खण्ड-250, अंक-8
बुधवार, 14 श्रावण, शक संवत् 1886
(5 अगस्त, 1964 ई0)

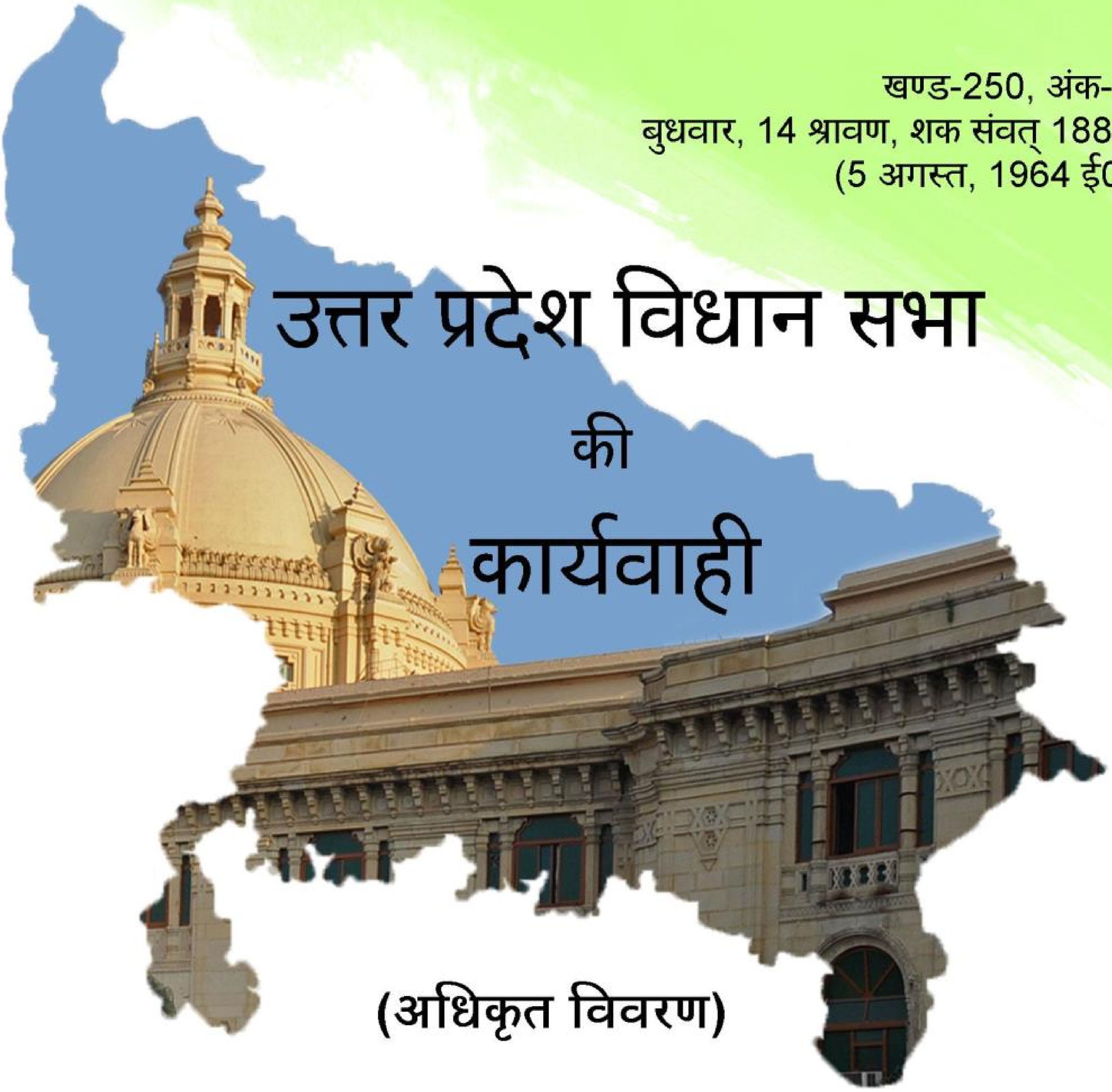

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 250 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६१९–६२३
प्रश्नोत्तर	६२३–६४६
उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनायें	६४६–६४८
नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	६४९
फीरोजाबाद कांच के कारखानों में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना	६४९–६५०
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना (नियम ५२ के अन्तर्गत स्वीकृत)	६५०
कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी	६५०–६५१
जे० के० जूट मिल्स में तालाबन्दी के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य ..	६५१–६५४
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ (जारी)	६५५–६९५
नत्थी	६९६–६९७

विधान परिषद प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ५ अगस्त, १९६४

विधान सभा की बैठक सभा-मंडप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—३७०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल सग्गी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवधशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी श्री
कंन्धईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वर प्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजन्द्रनारायण, श्री
धर्म दत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंह नारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नैनसिंह, श्री

नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरन सिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पीतर्राम, श्री
पूरनलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटसिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम बैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल, जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल,, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लनजी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रथुनाथसिंह, श्री
रघुवीर श्री
रघुवीरसहाय कंथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजदेव, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द विकल, श्री
रामचन्द्र सिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी

श्रीनिवास, श्री
श्रीपत मिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
संतसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त कांडपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हुकुमसिंह, विसेन, श्री
हतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट--गृह मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह, शिक्षा मंत्री, श्री कैलाशप्रकाश तथा शिक्षा उपमंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तर

बुधवार ५ अगस्त, १९६४

तारांकित प्रश्न

१ दिसम्बर, १९६३ को श्री होरी लाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न १ के उत्तर में संशोधन

वित्त मंत्री (श्री जयराम वर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, १ दिसम्बर, १९६३ को श्री होरीलाल यादव द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १ के उत्तर में संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मूल प्रश्न

*१--क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में कुल सेल टैक्स कितना लगाया गया और उसमें से कितना रुपया ३१ मार्च, १९६३ तक वसूल हुआ?

मूल उत्तर

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में ५,२९,६०,४२४ रु० ५० नये पैसे बिक्री-कर लगाया गया था और उसमें से ३१ मार्च, १९६३ तक १,२१,५९,६४६ रु० ७५ नये पैसे वसूल हुआ था। बिक्री-कर की उक्त निर्धारित रकम में वह रकम सम्मिलित नहीं है जो व्यापारियों ने स्वयं कर निर्धारण से पूर्व जमा कर दी थी।

संशोधित उत्तर

उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष १९६२-६३ में ५,३१,०७,२४९ रुपये ६० पैसे बिक्री-कर लगाया गया था और उसमें से ३१ मार्च, १९६३ तक १,२१,७६,९४३ रुपये ८५ पैसे वसूल हुआ था। बिक्री-कर की उक्त निर्धारित रकम में वह रकम सम्मिलित नहीं है, जो व्यापारियों ने स्वयं कर निर्धारण से पूर्व जमा कर दी थी।

*१--श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

*२-४--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

बरूआ सागर न्याय पंचायत के चपरासी का अवशेष वेतन

*५--श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि बरुआ सागर (जिला झांसी) न्याय पंचायत के किसी चपरासी ने जिलाधीश झांसी को सन् १९६३ व सन् १९६४ में अनेक बार प्रार्थना-पत्र इस आशय के दिये हैं कि उसको करीब २७ माह का वेतन नहीं दिया गया व कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो उक्त न्याय पंचायत के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी व उक्त चपरासी को वेतन का रुपया मिला या नहीं ? यदि नहीं, तो दिलाने का क्या प्रबन्ध किया गया ?

मुख्य मंत्री के सभा सचिव (श्री बंशीधर पांडेय)--

जी हां। फुटेरा बरुआ सागर नामक न्याय पंचायत के भूतपूर्व चपरासी श्री हरिकिशुन ने सन् १९६३-६४ में जिलाधीश झांसी को तीन प्रार्थना-पत्र दिनांक २८ नवम्बर, १९६३, १८ जनवरी, १९६४ तथा १ अप्रैल, १९६४ को दिये थे। खंड विकास अधिकारी द्वारा जांच कराने के उपरान्त उक्त चपरासी की सेवायें दिनांक १ मई, १९६४ से समाप्त कर दी गयी और सरपंच को उसका अवशेष वेतन तुरन्त भुगतान करने के निर्देश दिये गये। चपरासी के २७ मास के वेतन की अवशेष धन-राशि ५४० रु० की थी जिसमें से २२० रु० का भुगतान किया जा चुका है और शेष धन-राशि के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि इस चपरासी ने बराबर २७ मास तक काम किया और उसके बाद कई दरख्वास्तें देने के बाद भी उस को वेतन नहीं मिला और वेतन देने में बिलम्ब हुआ तो इस देरी का कारण क्या है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

माननीय सदस्य ने वही प्रश्न किया जो मैंने उत्तर में कहा था कि उन की ३ दरख्वास्तें आईं, २७ मास का वेतन नहीं दिया गया, उसमें से केवल २२० रुपया ही दिया है और बाकी की अदायगी के लिये निर्देश कर दिया गया है। वह इस कारण से अभी तक नहीं दिया जा सका कि न्याय पंचायत के फंड्स इतने नहीं थे, पता नहीं कब से उन्होंने इस चपरासी को रख लिया था, बाद में जब उन की आय कम होने लगी और मालूम हुआ कि माल के मुकदमें उन के यहां से

हट गये और आय कम हुई तो उन्होंने समझा कि अब उस को नहीं रख सकते, लेकिन उस समय का वेतन चढ़ता रहा । अब पंचायत ने अपने जराये देखकर २२० रुपया दे दिया है । अब वह इस स्थिति में नहीं है कि ऐसे वैतनिक कर्मचारी रख सकें इसलिये उसकी सेवा समाप्त कर दी गयी है और बकाया वेतन की अदायगी के लिए आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)--

जिन दिनों चपरासी को वेतन नहीं दिया गया उन दिनों में न्याय पंचायत को जुरमाने आदि से कितनी आय हुयी ?

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)--

न्याय पंचायतों की आमदनी से ही चपरासियों की तनख्वाह दी जाती है । कागजात छानबीन करने से पता चला कोई ऐसा कागज नहीं मिला जिससे मालूम हो सके कि हरिकिशन, चपरासी किस तारीख से रखा गया है । खाली यह पता चला कि श्री पन्ना लाल के समय रखा गया था तो उसको ठीक मान कर उसे तनख्वाह दे दी गयी । पंचायत के पास अगर पैसा होगा तो तनख्वाह दी जायगी । अगर देने के लिये पैसा नहीं होगा तो टेम्पोरेरी किस्म से चपरासी रखे जाते हैं खाली लोगों को इत्तला देने के लिये कि किस तारीख को मुकदमा है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय--

श्रीमन्, मैंने पूछा है कि कितनी आय हुयी है ? क्योंकि मंत्री जी ने कहा कि पैसा नहीं था । इसलिये मैं जानना चाहता हूं आय ।

श्री राममूर्ति--

उसको कुल जोड़ कर २२० रु० दिये गये हैं जिसके माने यह है कि २२० रु० से ज्यादा आय नहीं थी । बाकी तनख्वाह देने की जो बात है तो जैसी आमदनी होगी उन्हें तनख्वाह दी जायगी ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

इस बात को देखते हुये कि एक न्याय पंचायत में ८ से १० गांव होते हैं और हर एक ग्राम सभा के चपरासी को वेतन दिया जाता है तो इस बात को सही मान कर कि इस पंचायत अदालत ने जानबूझ कर उस चपरासी को तनख्वाह नहीं दी उसकी इस साल की आमदनी और जितने दिनों चपरासी को वेतन नहीं दिया गया उन सालों की जांच मंत्री जी करायेंगे जिससे पता चल सके कि वास्तव में भूल किसकी है ?

श्री राममूर्ति--

पंचायत राज एक डेवलपमेंट की स्टेज में है इसमें सरकार की तरफ से ज्यादा अंकुश का बैठालना उचित बात नहीं है । जो माननीय सदस्य आल इंडिया पंचायत राज परिषद् की प्रोसीडिंग्स को पढ़ते होंगे उन पर यह असर हुआ होगा कि पंचायती राज के विकास में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । जो पंचायती राज के चलाने वाले लोग हैं जैसे सभापति न्याय पंचायत के प्रमुख उनके देखने की चीज है । अगर वह समझते हैं कि हमारी आमदनी नहीं है तो उनको चपरासी होल टाइम नहीं रखना चाहिये । और अगर समझते हैं कि उनकी तनख्वाह बच सकती है तो रखना चाहिये ।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह २२० रु० दिया गया यह ग्राम सभायें से लेकर दिया गया तो यह एक मुश्त दिया गया या कई किस्तों में दिया गया ?

श्री राममूर्ति--

इसके लिये नोटिस चाहिये।

सिविल अस्पताल, लखनऊ

*६--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)--

क्या १५ अप्रैल, १९६४ के तारांकित प्रश्न संख्या ५८ के उत्तर के क्रम में मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो २०४ मरीज अपनी मरजी से अस्पताल छोड़कर चले गये उनको अस्पताल में क्या असुविधा तथा परेशानी थी ?

शिक्षा उपमंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)--

इन मरीजों को अस्पताल में किसी प्रकार की असुविधा अथवा परेशानी नहीं थी।

सिविल अस्पताल लखनऊ मे खून नष्ट हो जाना

*७--श्री उमाशंकर--

उक्त तिथि के तारांकित प्रश्न संख्या १४३-१४४ के उत्तर के सन्दर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जो खून खराब हो गया था वह किस-किस मरीज को लगाने के लिये आया था और यह खून मरीजों को न लगाकर रखने की क्या जरूरत थी तथा उक्त खून की एक्सपाइरी डेट क्या थी ? क्या यह सच है कि उस खून में मिलावट कर दी गयी थी जिसकी वजह से उक्त खून खराब हो गया था ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जो दो बोतल खून खराब हो गया था उनमें से एक की एक्सपाइरी डेट १६-३-१९६४ थी और दूसरी की १९६३-६४ थी। यह खून श्री जयरामसिंह नामक एक मरीज के लिये मंगाया गया था। १४-३-१९६४ को जब यह खून मरीज को लगाने के लिये रेफरीजरेटर से निकाला गया तो उन बोतलों में कुछ ब्लड क्लाट्स (blood clots) दिखाई पड़े। उसी दिन इस खून को ब्लड बैंक में जांच के लिये भेजा गया और जांच के उपरान्त यह मालूम हुआ कि यह खून जम गया था और उपयोग के योग्य नहीं रहा। इस खून में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गयी थी।

श्री उमाशंकर--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि इन मरीजों में से बहुत से मरीज उस अस्पताल के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के कारण भाग कर मेडिकल कालेज में चले गये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

ऐसी स्थिति नहीं है

श्री चन्द्रबलीसिंह--

मंत्री जी बतायेंगे कि २०४ मरीज जो अपने से अस्पताल छोड़ गये वह किस असुविधा और किस कारण गये हैं ? इसके लिये मंत्री जी जांच कमीशन बैठायेंगे जो लोगों के बयान ले और सही स्थिति सरकार के सामने आये ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

४१,००० से कुछ अधिक मरीज भरती हुए उनमें से २०४ मरीज चले गये, इनमें से बहुधा यह होता है कि कुछ तो असाध्य रोगी जो समझते हैं कि अच्छे नहीं हो सकते उनके घर वाले उनको अगेन्स्ट मेडिकल एडवाइज ले जाते हैं ताकि वह घर में अपने संबंधियों के सम्मुख रहें।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि खून मरीज को तुरन्त क्यों नहीं चढ़ाया गया ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, निवेदन है कि जब आवश्यकता होती है तभी खून चढ़ाया जाता है। जब यह मरीज अस्पताल में आया था उस समय उसकी हालत खराब थी। जांच से पता चला कि उसके ब्लैडर के अन्दर स्टोन था। और जब तक मरीज आपरेशन के काबिल न हो जाय उसको वहां रखना पड़ता है। उस समय उसको बुखार भी था। जब यह स्थिति आयी कि इसका आपरेशन किया जाय उस समय भी यह समझा गया कि इनके शरीर में पर्याप्त खून नहीं है। इसलिये यह मंगाया गया।

श्री उमाशंकर--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह खून किन खास कारणों से रैफ्रिजरेटर में रखा गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह नियम है कि जब खून मंगाया जाता है उसे उसके बाद जब तक वह मरीज के शरीर में चढ़ाया नहीं जाता एक खास तापमान में रखा जाता है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या यह सही है कि खून में किसी प्रकार की मिलावट थी जिसके कारण उक्त खून खराब हो गया था ? तो क्या इस मिलावट करने के संबंध में किसीका हाथ था या कोई डाक्टर..... ?

(उत्तर के लिए मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मंत्रीजी को ज्ञात है कि इन मरीजों ने शिकायती-पत्र इस इरादे का प्रस्तुत किया था कि अस्पताल में उनके खाने की जो सुविधाएं प्राप्त थी, उनको नहीं मिलीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है।

श्रमिक बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ में किराये की वसूली

*८--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)--

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि नवीन श्रमिक बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ के किरायेदारों से किराया वसूल करने में इण्डस्ट्रियल हाउसिंग ऐक्ट की धारा १५ का पालन नहीं किया जा रहा है और ड्यू डेट से पहले ही किराया वसूल किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

श्रमिक बस्ती, ऐशबाग, लखनऊ में किराया वसूल करने में औद्योगिक आवास अधिनियम १९५५ की धारा १५ का पालन किया जाता है। किन्तु कुछ एक ऐसे उदाहरण है जिनमें ऐसे श्रमिकों के वेतन में से जो किराया देने में अनियमित रहे हैं, उनके वेतन दिवस पर उक्त अधिनियम की धारा २० के अन्तर्गत कटौती करा ली गयी।

*९—श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री प्रेमसिंह—

क्या सरकार इस प्रकार की अनियमित कार्यवाही को रोकने की कृपा करेगी ?

श्री बनारसीदास—

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिनका वेतन काट लिया जाता है उनके खर्चे की व्यवस्था कैसे होती है ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया ।)

*१०–१२—सर्वश्री श्रीराम (जिला बिजनौर), नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद), मन्नालाल (जिला खीरी) तथा हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१३—श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया ।]

जे० जे० आर० इन्डस्ट्रीज, वाराणसी के श्रमिकों की मांगें

*१४—श्री ऊदल (अनुपस्थित) (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जे० जे० आर० इण्डस्ट्रीज से दुलहीपुर, वाराणसी में ६ जून, १९६४ को मजदूरों ने आम हड़ताल कर दी है ? यदि हां, तो हड़ताल करने का कारण क्या है और मजदूरों की मांग क्या है ?

श्री बनारसीदास—

जे० जे० आर० इन्डस्ट्रीज, वाराणसी में ६ जून, १९६४ से कोई हड़ताल नहीं हुई । एक हड़ताल श्रमिकों ने ९ जून, १९६४ से अवश्य की थी जो श्रम विभाग के प्रयत्नों के फलस्वरूप २१–७–१९६४ को समाप्त हो गई और प्रतिष्ठान में काम चालू हो गया है ।

यह हड़ताल श्रमिकों द्वारा २४ मांगों को लेकर, जो संलग्न तालिका में दी गयी है, की गयी थी ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ६९६–६९७ पर) ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

उन २४ मागों में मुख्य-मुख्य कौन-कौन सी हैं ?

श्री बनारसीदास—

पहले यह फैसला हुआ था कि मजदूर लोग बिना किसी शर्त के पहले अपना स्ट्राइक वापस लें और काम पर जाने के बाद उनके तथा मिल मालिक के प्रतिनिधियों के बीच वार्तालाप होगी । अभी बातें चल रही हैं । उस वक्त यह हुआ था कि स्टेटस-को रहेगा और किसी वर्कर को निकाला नहीं जायेगा । मजदूरों का कहना था कि २० को निकाला गया था, लेकिन १५ का सवाल था । तो यह निश्चय हुआ था कि ९ तारीख से पहले जो वर्कर काम करता था यदि वह काम करता हुआ पाया जायेगा तो प्रत्येक को रख लिया जायेगा । इस संबंध में शीघ्र निर्णय होने वाला है ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या १४ श्री भीखालाल ने पूछा ।

श्री उग्रसेन--

क्या उनके सामने बोनस और छुट्टियों का भी सवाल था ?

श्री बनारसीदास--

इस संबंध में कोई वायदा नहीं किया गया था। उस वक्त लेबर कमिश्नर के माध्यम से जो बातचीत हुई उसमें यह तय हुआ कि पहले स्ट्राइक वापस ले लिया जाय। बोनस आदि के संबंध में यह तय हुआ था कि वे आपस में मिल करके स्वयं तय करेंगे।

श्री संतसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी इस मामले में खुद दखल देकर जल्दी से जल्दी समझौता कराने की कोशिश करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इस संबंध में मैंने स्वयं दिलचस्पी ली। लेबर कमिश्नर वाराणसी आये। दो मर्तबा लेबर कमिश्नर से बातें कीं। उसके फलस्वरूप दोनों के प्रतिनिधियों के बीच में यह फैसला हुआ कि काम चालू किया जाय और किसी का विक्टिमाइजेशन न किया जाय तथा ९ तारीख के पहले जो स्थिति थी वही रहे। इस संबंध में वेतन वृद्धि के बारे में भी मिल मालिकों ने आश्वासन दिया। चूंकि दोनों के बीच में फैसला हो गया था इसलिये मेरे बीच में पड़ने का प्रश्न पैदा नहीं होता।

जिला परिषद्, लखीमपुर में मुशायरा

*१५--श्री मन्नालाल, श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा) तथा श्री लोकपालसिंह (जिला एटा)--

क्या सरकार को पता है कि जिला खीरी लखीमपुर में जो ७ व ८ मार्च, १९६४, को मुशायरा हुआ था उसके लिये जिला बोर्ड के अध्यक्ष ने समस्त जिला बोर्ड के अध्यापकों के वेतन से एक-एक रुपया कटवा लिया था ? यदि हां, तो क्या सरकार इस महंगाई के समय अल्प वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

श्री जयराम वर्मा--

जिला परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार केवल ७ मार्च, १९६४ को मुशायरा हुआ था। इस मुशायरे के लिये जिला परिषद के अध्यक्ष ने परिषद् के अध्यापकों के वेतन से न तो किसी प्रकार की कोई कटौती की कार्यवाही की और न ही उन्होंने इस आशय का कोई मौखिक अथवा लिखित आदेश दिया।

*१६--श्री मन्नालाल, श्री सुखदेवप्रसाद तथा श्री लोकपालसिंह--

क्या यह भी सत्य है कि जिला बोर्ड, खीरी की इमारत के अन्तर्गत एक कैन्टीन चल रही है जिसके लिये भी जिला बोर्ड द्वारा गरीब अध्यापकों से १२ आना प्रति अध्यापक वेतन काटा गया ?

श्री जयराम वर्मा--

जिला परिषद् खीरी की इमारत में जो कैन्टीन चल रही है उसके लिये परिषद् के किसी भी कर्मचारी से धन की वसूली व कटौती नहीं की गयी।

श्री मन्नालाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखीमपुर में जो जिला बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मुशायरा चलाया गया वह किस कारण से आयोजित किया गया था तथा उसका खर्चा कहां से हुआ और वह किस मद से लिया गया ?

श्री बनारसीदास--

कारण तो लोगों की तफरीह था। जहां तक खर्चे का सवाल है इसके बारे में पूछने से पता चला कि टीचर्स से कोई रुपया नहीं लिया गया। अध्यक्ष ने अपना कोई तरीका अपनाया होगा और माननीय सदस्य तो वहीं के हैं स्वयं जानकारी हासिल कर लें।

चौधरी अब्दुल हसीब खां (जिला बहराइच)--

क्या कोई कवि सम्मेलन भी हुआ था या यह कल्चरल प्रोग्राम ही ?

श्री बंशीधर पांडेय--

इस सम्मेलन की कोई सूचना नहीं है। मुशायरे की खबर है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

किस चीज की खुशी मनाने के लिये मुशायरा किया गया था, क्या इस बात के लिये किया गया था कि जो भुखमरी फैली हुई है उसे खुद मना रहे थे ?

(उत्तर के लिये मंत्री को नहीं बुलाया गया।)

वित्त विभाग में निगरानी समिति

*१७--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९६२ में वित्त विभाग में किसी निगरानी समिति (विजिलेंस कमेटी) की स्थापना की गयी थी ? यदि हां, तो उक्त कमेटी के निर्माण का क्या उद्देश्य था और क्या उक्त कमेटी अब भी कार्य कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जयराम वर्मा--

जी हां। इस समिति का उद्देश्य यह है कि शासन का कार्य शीघ्रता तथा सुचारू रूप से चलता रहे, शासन की कार्यविधियों में कुशलता की वृद्धि हो तथा भ्रष्टाचार का निवारण हो। यह समिति अभी विद्यमान है।

*१८--श्री नाथूराम शिक्षक--

उक्त कमेटी ने कब तक क्या कार्य किया और उक्त कमेटी के सामने कौन-कौन मामले विचाराधीन रहे और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

*१९--श्री नाथूराम शिक्षक--

जो मामले विचाराधीन रहे उनकी जांच कमेटी ने किस प्रकार की और क्या तथ्य सामने आये ?

श्री जयराम वर्मा--

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री नाथूराम शिक्षक--

प्रश्न १८ और १९ के उत्तर में जो यह कहा गया है कि वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है तो यह तो यहीं विधान भवन के अन्दर की बात है, इतने दिन सूचना एकत्र न करने के क्या कारण हैं ?

श्री जयराम वर्मा--

यह विधान भवन के अन्दर की चीज नहीं है। वित्त विभाग में चार अलग-अलग विभाग तथा समितियां हैं। क्या काम हुआ कब-कब मीटिंग हुयी, क्या काम कैसे होगा, इस सब के बारे में जानकारी करने में, कुछ समय लगेगा। इसलिये आज उसका उत्तर देना संभव नहीं हो सका।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या यह सत्य है कि सन् १९६२ में सभी विभागों में इस प्रकार की कमेटियां बनायी गयी थीं जांच करने के लिये जिनमें गंभीर प्रकार के किस्से आये और ऊंचे अफसरों के खिलाफ चीजें आयी इसलिये कमेटियां डिफंक्ट बना दी गयी हैं ? क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि सन् १९६२ से जो ये कमेटियां बनीं थीं उनकी बैठक कै मर्तबा हुई ?

श्री जयराम वर्मा--

वित्त विभाग के बारे में यह प्रश्न है। ये कमेटियां कब-कब हुई इसकी सचना के लिये कहा गया है।

श्री अध्यक्ष--

कब तक सूचना आ जायगी ?

श्री जयराम वर्मा--

जल्दी ही आ जायगी।

कुंवर श्रीपालसिंह--

इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष--

वे तो स्थगित ही हैं।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

इस कमेटी की कार्यवाही इसलिये नहीं आयी है कि इसमें कई गंभीर मामले हैं और उनको दबाने के लिये कमेटी को डिफेंक्ट किया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

जब सूचना आ जायगी तो पूछ लिया जायगा।

*२०-२२--श्री मुमताज मुहम्मद खां (अनुपस्थित) तथा श्री प्रेमसिंह--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

उपभोक्ता सहकारी समिति, जौनपुर

*२३--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपभोक्ता सहकारी समिति, जौनपुर, के संगठन का क्या स्वरूप है तथा पदाधिकारी कौन-कौन हैं ? इस समिति द्वारा क्या-क्या उद्योग व कार्य किये जा रहे हैं ?

श्री बनारसीदास--

यह समिति जिला थोक एवं फुटकर उपभोक्ता सहकारी समिति, जौनपुर के नाम से मल्टी यनिट (शाखा पद्धति) के आकार पर संगठित की गयी है।--

इसके पदाधिकारी निम्नलिखित हैं--

१--सर्वश्री राजदेव सिंह	.. .. ..	अध्यक्ष
२--चन्द्रेश मिश्र	.. ..	संचालक
३--सन्त सेवक लाल, वकील	.. .. ..	,,
४--प्यारे लाल मेहरोत्रा	.. .. ..	,,
५--छोटे लाल	.. ..	,,
६--लाल जी	.. ..	,,
७--बाबूराम गुप्ता	.. .. ..	,,
८--जयराम मौर्य	.. .. ..	,,
९--जगदेव राम	.. ..	,,
१०--धारी लाल	.. ..	,,
११--गुल्जारी लाल	.. .. ..	,,
१२--ठाकुर प्रसाद सिंह	.. .. ..	,,
१३--अरुण कुमार	.. .. ..	,,
१४--प्रीतम सिंह	.. .. ..	,,
१५--काली प्रसाद	.. ..	,,
१६--संतोष सिंह	.. ..	,,

समिति द्वारा इस समय चीनी वितरण का कार्य मड़ियाहूं, मछलीशहर व शहर जौनपुर में किया जा रहा है। सरकारी सस्ते गल्ले की दूकानें चलायी जा रही हैं। इसके अतिरिक्त दैनिक उपभोक्ता की वस्तुएं जिन पर कन्ट्रोल नहीं है जैसे गेहूं, दाल, अरहर, चना, मटर, बनस्पति घी, मसाला, दियासलाई व साबुन, तेल आदि की उपरोक्त दूकानों के अतिरिक्त नगर में और तीन दूकानें खोल कर बिक्री की जा रही है।

*२४--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि उपभोक्ता सहकारी समिति, जौनपुर, मड़ियाहूं तहसील में क्या कार्य कर रही है ?

श्री बनारसीदास--

समिति मड़ियाहूं तहसील में चीनी व आटे का थोक व्यापार कर रही है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या यह सत्य है कि इस समिति के पास इतना पैसा नहीं है कि वह मड़ियाहू के चीनी और गल्ले के थोक व्यापार को कर सके ? यदि हां, तो फिर इसको दूकान देने का क्या कारण है ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, ऐसा नहीं है। इस समिति के पास काफी धन है। स्वयं सरकार ने एक लाख रुपया ऋण का दे रखा है, ५० हजार के इसके शेयर्स हैं और २७ हजार की पूंजी है।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि इसने मड़ियाहूं में न तो चीनी का और न आटे का कोटा उठाया था जिसके कारण सभी सस्ते गल्ले की दूकानों पर सामान नहीं पहुंच सका ? क्या मंत्री जी को सूचना है कि कितनी बार इसने कोटा उठाया ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है कि समिति ने कोटा नहीं उठाया।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मंत्री जी को इसकी सूचना है कि कितनी बार उठाया ?

श्री बनारसीदास--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस प्रकार की जो सहकारी समिति बनती है उनका प्रधान नामीनेशन से होता है या वहां से चुनाव होता है ?

श्री बनारसीदास--

सरकार की तरफ से जितने सहकारी उपभोक्ता भंडार होते हैं उनके केवल डायरेक्टर का नामीनेशन होता है। जिस समय समिति का निर्माण होता है उस समय प्रावीजनल डायरेक्टर्स के चुनाव की बात हो जाती है और बाद को चुनाव हो जाता है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि देहात में भी इस प्रकार के सहकारी उपभोक्ता भंडार के खोलने की कोई योजना है और वह क्या है ?

श्री बनारसीदास--

इस समय भारत सरकार की योजना के अनुसार प्रदेश के उन नगरों में जिनकी जनसंख्या ५० हजार से अधिक है इस तरह के सहकारी उपभोक्ता भंडार कायम किये गये हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों में जिनके वर्कर्स की संख्या ३०० से अधिक है वहां के मालिकों की सहायता से ऐसे भंडार कायम किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेशीय सरकार ने एक योजना हिल्स में इस प्रकार की सुविधा और सहायता देने के लिये भेजी है जैसे कि नगरों में हैं वैसे ही भंडार देहातों में कायम किये जा सकते हैं। वैसे उनके लिये हिस्सा खरीदने या अनुदान देने की योजना सरकार की नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या मंत्री जी इसको देखते हुये कि एक लाख का ऋण लेने के बाद और ५० हजार शेयर कैपीटल के बाद भी कई बार इस समिति ने चीनी और आटे का कोटा नहीं उठाया है जिससे दूसरी दूकानों को परेशानी हुई, इसकी जांच करायेंगे कि इसमें गड़बड़ी तो नहीं है और उसका पैसा दूसरी जगह तो नहीं चला गया ?

श्री अध्यक्ष--

इसका उत्तर आ चुका है कि हमारे पास कोई सूचना नहीं है कि इसने कोई कोटा नहीं उठाया।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यह तदर्थ सहकारी समिति के रूप में है और इसका चुनाव कब तक हो जायगा ?

श्री बनारसीदास--

जिस वक्त यह योजना चालू हुई उससे पहले जौनपुर नगर के अन्दर एक जौनपुर उपभोक्ता भंडार काम करता था और दूसरी जगह जौनपुर कंज्यूमर्स कोआपरेटिव स्टोर काम करता है और जब नियमावली बनायी गयी तो उसने उसको अपना लिया और उसके वही पदाधिकारी हैं और इस प्रतीक्षा में थे कि वह स्टोर भी इसमें शामिल हो जायगा। लेकिन वह शामिल नहीं हुआ, इस लिये निश्चय किया गया है कि जो मौजूदा भंडार है उसका चुनाव १५ सितम्बर तक हो जायगा और इसकी व्यवस्था की जा चुकी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या यह जो उपभोक्ता भंडार है उनके लिये मुनाफे की कोई सीमा निश्चित की गयी है या नहीं और यदि नहीं, तो क्या उनको बिलकुल खुली छूट है कि वे जितना चाहें नफा कमा सकते हैं ?

श्री बनारसीदास--

उपभोक्ता भंडार स्वतंत्र संस्थायें हैं उनके लिये कानूनन कोई मियाद मुनाफे की मुकर्रर नहीं की जा सकती, लेकिन उनको बराबर परामर्श दिया जाता रहा है कि उपभोक्ता भंडार अपने माल को कंज्यूमर्स को कम से कम मुनाफे पर सप्लाई करें ताकि उनके द्वारा जनता की सेवा हो सके और भावों की वृद्धि को रोका जा सके।

कुंवर श्रीपालसिंह--

क्या यह सही है कि कुछ दिनों पहले यह जौनपुर सहकारी उपभोक्ता भंडार द्वारा लाखों रुपयों का गबन हुआ था और सरकार ने उसे जब्त कर लिया था और फिर उसे अकारण ही छोड़ दिया गया ?

श्री बनारसीदास--

माननीय सदस्य यदि इस बात की नोटिस दें तो मैं देखकर सूचना दूंगा कि वास्तविक स्थिति क्या है ?

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजनान्तर्गत कार्य

*२५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित) (जिला सीतापुर)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में मैन पावर यूटिलाइजेशन योजना के अन्तर्गत कितने पुल, सड़कें, नालियां तथा अन्य निर्माण-कार्य होने वाले थे तथा इस पर कुल कितना धन व्यय करने की योजना थी ?

श्री बंशीधर पांडेय--

वित्तीय वर्ष, १९६३-६४ में ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत जिन स्कीमों पर कार्य होने वाला था उनका †विवरण साथ में संलग्न है। इन कामों पर वर्ष १९६३-६४ में कुल १२५ लाख रुपया व्यय करने की योजना थी।

*२६--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (अनुपस्थित)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ में उक्त योजना के अन्तर्गत कुल कितना निर्माण-कार्य किया गया तथा कुल कितना धन व्यय किया गया ?

---

†छापा नहीं गया।

नोट--तारांकित प्रश्न २५ श्री रामचरण शाह ने पूछा।

श्री बंशीधर पांडेय--

सूचना एकत्रित की जा रही है।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)--

माननीय मंत्री जी ने जो लिस्ट दी है वह अंग्रेजी में है। मैं चाहूंगा कि वह हिन्दी में हो। दूसरी बात यह है कि २६वें प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि उनको जितनी सूचना प्राप्त हो गयी है उसमें कितना व्यय हुआ है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जब सूचना एकत्रित की जा रही है तो पार्शियल कैसे बताया जा सकता है। अगर आप यह पूछेंगे कि कितने जिलों से सूचना आ चुकी है तो अगली बार बता दिया जायगा।

श्री अध्यक्ष--

यह शिकायत है कि अंग्रेजी में लिस्ट दी गयी है, ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मंत्रीजी बतायेंगे कि मैन पावर यूटीलाइजेशन स्कीम के मातहत १२८ लाख रुपया खर्च करना है, लेकिन योजना के रहते हुये भी आप उसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं ? क्या टैक्नीकल हैन्ड्स की कमी को आप आज तक पूरा नहीं कर पाये हैं, जिसके कारण काम अधूरे पड़े हुये हैं ?

श्री राममूर्ति--

हमारे डिपार्टमेंट में ही नहीं जितने भी टेकनिकल डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर उनकी कमी है। ओवरसियर्स और इंजीनियर्स जितनी तादाद में हमें चाहिये, उतनी तादाद में नहीं मिल रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

क्या विकास मंत्री जी इस प्रकार के आदेश अपने विभाग को देंगे कि जहां-तहां मैन पावर स्कीम चल रही है, वहां-वहां उसको तत्काल आरम्भ कर दिया जाय जिससे गांवों में बढ़ती हुई मंहगाई के रोकने में सहायता हो ?

श्री राममूर्ति--

आदेश पहले से है, लेकन दुबारा फिर कह दिया जायगा।

ग्राम सभा, बड़ागांव में प्रधान का पद

*२७--श्री लखपतराम शर्मा--

क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या यह सत्य है कि ग्राम बड़ागांव, जिला झांसी के ग्राम पंचायत के सभापति का कई माह हुये स्वर्गवास हो गया है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर चुनाव अब तक न होने का क्या कारण है ?

श्री बंशीधर पांडेय--

जी हां। ग्राम सभा, बड़ागांव के प्रधान श्री रनछोरदास का निधन दिनांक ३०-१२-६३ को हुआ था। आवश्यक कार्यों के कारण प्रधान पद की पूर्ति हेतु उपनिर्वाचन नहीं कराये जा सके, परन्तु अब शीघ्रातिशीघ्र उपनिर्वाचन कराने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि ३०-१२-६३ को ही सभापति का निधन हो गया था। तो वे क्या कारण हैं जिनसे अब तक उपचुनाव नहीं हुआ ?

श्री बंशीधर पांडेय--

लखपतराम जी की शंका सही है कि उनकी मृत्यु को काफी समय हो गया और उपचुनाव क्यों नहीं हुये। लेकिन हमारे जिलाधिकारियों ने उपप्रधान को लेकर ही काम चलाया और वर्ष के अन्तिम समय के कारण और प्लानिंग के कामों में व्यस्त होने के कारण उपचुनाव नहीं करा सके। जब उन्होंने उपचुनाव के कार्यक्रम को देखा तो अब उसकी व्यवस्था की गयी है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सही है कि ग्राम समाज के कई माननीय सदस्यों द्वारा लिखित सूचना इस बात की दी गयी जिसमें यह प्रार्थना की गयी कि शीघ्र से शीघ्र उपचुनाव कराये जायं, लेकिन चुनाव आज तक नहीं हुये? इसके क्या कारण हैं?

श्री बंशीधर पांडेय--

मैंने निवेदन किया कि जिला कार्यालय प्लानिंग के कार्य में व्यस्त थे फरवरी और मार्च में, लेकिन जब उनके सामने उपचुनाव कराने की बात आयी तो अब वह होने जा रहा है। मुझे इस बात के स्वीकार करने में कोई हिचक नहीं है कि इसमें हमारे जिलाधिकारियों ने थोड़ी देर की, लेकिन सरकार अब उस पर ध्यान दे रही है।

श्री लखपतराम शर्मा--

क्या यह सही है कि बहुत से सदस्यों ने लिखकर भेजा.....

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने यह मान लिया है कि जिलाधिकारियों से थोड़ी-सी असावधानी हुई। वह इसे मानते हैं अब इसके ऊपर जो पूछना हो आप पूछें।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं उसी संबंध में पूछ रहा हूं। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ जिनकी लापरवाही के कारण उपचुनाव नहीं हुये कोई कार्यवाही करने जा रही है?

श्री राममूर्ति--

माननीय शर्मा जी की बात से पता लगता है कि शायद उन्होंने कोई अनियमितता कर दी है जिसके कारण चुनाव नहीं हुआ और पंचायती राज में ऐसी बात नहीं होनी चाहिये। परन्तु मैं उनके खिलाफ एन्क्वायरी कराऊंगा और अगर गलती पायी जायगी तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जायगी।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं यह जानना चाहता हूं कि अब चुनाव की तिथि कब तक निर्धारित कर रहे हैं, कब तक चुनाव हो जायगा?

श्री बंशीधर पांडेय--

यह तो नहीं बताया जा सकता। लेकिन यह आदेश दे दिये जायेंगे कि जल्दी से जल्दी जो नियमानुसार कराया जा सकता है वह कराया जाय।

*२८-२९--श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिये स्थगित किया गया।]

आजमगढ़ सदर अस्पताल का भवन

*३१—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल के भवन निर्माण की प्रगति क्या है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

३० जून, १९६४ तक ७५ प्रतिशत कार्य हो चुका है ।

*३२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ सदर अस्पताल की एक्स-रे मशीन कब से और क्यों नहीं काम कर रही है और उसके सुधारने के कौन-कौन प्रयास किये गये हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

२ दिसम्बर, १९६३ से कुछ खराबी आ जाने के कारण मशीन कार्य नहीं कर रही है । तुरन्त ही लखनऊ की एक कम्पनी को उसे सुधारने के लिये लिखा गया । मशीन को सुधारने के लिये जिस सामान की आवश्यकता है वह उस कम्पनी के पास नहीं है और वह उसे प्राप्त करने की कार्यवाही कर रही है । सामान प्राप्त करने के बाद कम्पनी अपना इंजीनियर मशीन सुधारने के लिये भेजेगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या स्वास्थ्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन-सी ऐसी कम्पनी है जिसको यह सामान लाने के लिये आदेश दिये गये और लगभग दो साल हो रहे हैं अब तक वह सामान नहीं ला सके हैं और जिले का जो सबसे बड़ा अस्पताल है वहां एक्स-रे नदारद है जिससे मरीजों और डाक्टरों को बड़ी असुविधा है तथा उसके संबंध में क्या कार्यवाही हो रही है जिससे कि जल्दी से जल्दी एक्स-रे मशीन वहां लग जाय ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यह सत्य है कि इसमें विलम्ब हुआ । कारण उसका यह है कि जो मशीन बिगड़ी हुई है उसके लिये पहले तो उन्होंने यह समझा कि बम्बई के आफिस से ही वह उपलब्ध हो जायगी सीमेन्स मैन्युफैक्चरिंग कम्पनी वह है । लेकिन बाद में फिर उसे जर्मनी से मंगाने की व्यवस्था करनी पड़ी । जिसमें कि विलम्ब हुआ और अब सम्भवतः जल्दी ही यह कार्य हो जायगा ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस कम्पनी के अलावा प्रदेश में और कोई कम्पनी ऐसी नहीं थी जिसके पास यह मशीन रही हो और उसके बनाने में वह उसको कुशलता प्राप्त हो ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, ऐसी ही स्थिति थी, वरना हम दूसरे से मंगाने का प्रयत्न करते ।

श्री उग्रसेन—

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनको यह सूचना है कि करीब-करीब ९५ प्रतिशत उनके सूबे के जो जिला अस्पताल हैं उनमें सबमें एक्स-रे की मशीनें खराब हैं ? यदि हां, तो क्या आजमगढ़ के लिये आदेश देते हुये वह उन सभी अस्पतालों के लिये भी आदेश देंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, ऐसी बात नहीं है कि ९५ प्रतिशत अस्पतालों की एक्स-रे मशीनें खराब हैं ।

श्री उग्रसेन---

देवरिया, बस्ती और गोरखपुर की तो खराब हैं ही ।

श्री अध्यक्ष---

उनका मतलब है कि अगर खराब होतीं तो आप जरूर प्रश्न करते । अभी तक आपने प्रश्न नहीं किया, इससे मालूम पड़ता है कि खराब नहीं हैं ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

क्या यह बात सही नहीं है कि उत्तर प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में जो मशीनें लगायी गयी हैं एक्स-रे की वह एक खास कम्पनी की ही लगाई गयी हैं और जिस कम्पनी ने सरकार को एक तरह से धोखा दिया है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

नहीं, श्रीमन् ऐसी बात नहीं है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि एक ही कम्पनी के द्वारा क्या ये सारी मशीनें लगायी जा रही हैं और जो मशीनें लगायी जा रही हैं वह सन्तोषजनक नहीं हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

जी नहीं, श्रीमन् ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

श्रीमन्, एक ही कम्पनी है जिसने कि सारे उत्तर प्रदेश के सब अस्पतालों में मशीन सप्लाई की है.....

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, एक ही कम्पनी नहीं है और भी कम्पनियां हैं । यह तो सीमेंन्स की कम्पनी है जो कि जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कन्सर्न हैं ।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)---

कोई निश्चित तारीख माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जब मशीन आजमगढ़ डिस्पैच की जायगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

अब श्रीमन्, निश्चित क्या कहा जाय । कम्पनी वालों ने यह कहा है कि उनका आदमी जा रहा है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यह मशीन आजमगढ़ सदर अस्पताल में कब लगायी गयी थी, क्या यह कम्पनी द्वारा लगायी गयी थी, कितने रुपये की थी और वह सामान जो खराब हुआ है वह कितने रुपय का है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह २८-३-५३ को लगायी गयी थी। २१,३२८ रुपया इसकी कीमत थी। सीमन कम्पनी, मेफेयर बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ से इसको लिया गया था। इसमें कितने पुर्जे लगेंगे इसके बारे में अभी उन्होंने अपना एस्टीमेट नहीं दिया। उनका आदमी जा रहा है वह देगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

मैं यह जानना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने जो अभी यह कहा कि सूबे भर में जर्मन कम्पनी की मशीन लगायी जाती है तो जर्मनी की स्टैंडर्ड कम्पनी एक ही है और वह है रौंजेल तो यह उसी कम्पनी की है या किसी और नान स्टैंडर्ड कम्पनी की है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

मैं इसका विशेषज्ञ नहीं हूं। यह मैं नहीं बतला सकता।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं यह जानना चाहता हूं कि जब अभी मन्त्री जी को पता नहीं है कि कितने रुपये का नुकसान हुआ है और न इसके बारे में अभी उनको पूरी जानकारी है जिससे यह जल्द बन सके तो फिर इसमें २ साल से भी अधिक और समय लग सकता है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जब यह मशीन खराब हुई तो उसके बाद हमको लिखा गया। हमने डाइरेक्टर को लिखा और उन्होंने सीमन कम्पनी को लिखा। कम्पनी ने कहा कि यह कैसे खराब हुई। उनको फिर लिखा गया तो कम्पनी ने वादा किया कि हम अपना आदमी भेजते हैं। फिर जब उनका आदमी नहीं आया तो उनको बराबर रिमाइन्डर दिया गया। उस के बाद देखने पर पता चला कि ये पुर्जे खराब हैं। इसके लिये कम्पनी ने कहा कि वे पुर्जे यहां पर उपलब्ध नहीं हैं जर्मनी से लाकर लगाने होंगे। इस स्थिति में निश्चितरूप से ठीक मालूम नहीं हुआ कि कितने पुर्जे लगेंगे। फिर उनसे एस्टीमेट के लिये कहा गया कि क्या-क्या बदला जायगा और क्या उसका चार्ज होगा। अभी उनका एस्टीमेट नहीं आया है कि क्या-क्या चीजें लगानी हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

यह जो आर्डर एक्स-रे मशीन का परचेज करने के लिये हुआ था तो क्या उसके लिये टेंडर हुये या केवल पर्सनल कंटेक्ट पर ही आर्डर दिया गया था?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या स्वास्थ्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि वह किस आधार पर यह कहने के लिए तैयार हैं कि मशीन का दो-एक पुर्जा खराब है उनको वह जल्दी ही बनवा देंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह कम्पनी वालों का विश्वास है कि वह आदमी को भेज कर ठीक करवा देंगे।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या यह मशीन जो फिट हुई, यह टेंडर लेकर फिट हुई थी या बिना टेंडर के हुई और उसके बाद यह खरीदी गई। या पर्सनल कंटेक्ट के आधार पर अधिकारियों ने इसका आर्डर प्लेस कर दिया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

मैंने निवेदन किया कि इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)---

अभी माननीय मन्त्री जी ने कहा कि अपनी कोई कम्पनी नहीं है। जब आजमगढ़ की मशीन २ साल से बिगड़ी हुई है, तो जब वह बनाने में असमर्थ रहे तो दूसरी मशीन मंगाने का प्रयत्न क्यों नहीं किया गया? मन्त्री जी ने बताया कि मशीन बनाने का जिम्मा आजमगढ़ की एक कम्पनी को दिया गया था, तो जब वे उसे ठीक नहीं कर सके तो उसे बनाने के लिये दूसरी कम्पनी को क्यों नहीं दिया गया?

डाक्टर रामनारायण पांडेय-----

श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर दूं कि दूसरी कम्पनी इस कार्य को नहीं कर सकती।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या कभी यह विचार हुआ है कि यह मशीन किन-किन देशों से लें?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, उसके लिये मुझे सोंचने का मौका दें।

श्री प्रेमसिंह---

क्या माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मशीन की कीमत क्या है?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने बता दिया है कि यह कोई २१ हजार की है।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

अभी माननीय मन्त्री जी ने बताया कि दूसरी कम्पनियां इस कार्य को नहीं कर सकतीं। तो क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कौन-कौन सी कम्पनियों से डिपार्टमेंट ने कण्टेक्ट किया और उन्होंने रिफ्यूज किया कि वे कार्य नहीं कर सकते?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह कण्टैक्ट करने की बात नहीं है। जो कम्पनियां पहले काम करती हैं उन्हीं से पूछा जाता है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

यह देखते हुये कि २ वर्ष से मशीन खराब है। तो क्या माननीय मंत्री जी इस पर विचार नहीं कर सकते कि वहां नई मशीन लगवा दी जाय और पुरानी मशीन की मरम्मत करा ली जाय?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, नई मशीन उपलब्ध ही नहीं है।

क्षेत्र समिति, करंजाकलां के प्रमुख द्वारा शपथ ग्रहण

*३३---श्री यादवेन्द्रदत्त---

क्या सरकार बतायेगी कि जिला जौनपुर में करंजाकलां ब्लाक के ब्लाक प्रमुख का चुनाव १७ मार्च को हुआ था और आज तक ब्लाक प्रमुख का शपथ ग्रहण करंजाकलां के बी० डी० ओ० ने नहीं कराया? यदि हां, तो शपथ ग्रहण क्यों नहीं करायी गयी?

श्री बंशीधर पांडेय--

जौनपुर जिले के विकास क्षेत्र करंजाकला के प्रमुख का चुनाव न्यायालय द्वारा रद्द होने के फलस्वरूप दिनांक १७ मार्च, १९६४ को पुनः उपनिर्वाचन हुआ, जिसमें श्री राजबहादुर प्रमुख निर्वाचित हुये। क्षेत्र समिति करंजाकला के निर्वाचित प्रमुख ने क्षेत्र समिति की बैठक दिनांक २८ जून, १९६४ में शपथ ग्रहण कर लिया है।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

क्या विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला जौनपुर में करंजाकला ब्लाक के ब्लाक प्रमुख का चुनाव १७ मार्च को हुआ था और आज तक ब्लाक प्रमुख का शपथ ग्रहण, करंजाकला के बी० डी० ओ० ने नहीं कराया? यदि हां, तो शपथ ग्रहण क्यों नहीं कराई गई, चुनाव होने के बाद ही शपथ ग्रहण कराने की कोशिश क्यों नहीं की गई?

श्री बंशीधर पांडेय--

इस सम्बन्ध में एक मीटिंग बुलाई गई थी। उसमें कोरम पूरा नहीं हुआ। अतः दूसरी मीटिंग बुलाई गई और उसमें शपथ ली गई।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

बिना शपथ लिये कान्स्टीट्यूशन में कोई काम नहीं कर सकता। तो क्या जब मीटिंग बुलाई गई थी तो उसमें बी० डी० ओ० को बुला लेने से काम नहीं चल सकता था?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, बी० डी० ओ० के मौजूद हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना बी० डी० ओ० के उस क्षेत्र समिति में रहे भी वह शपथ ग्रहण कर सकते हैं। असली बात कोरम न पूरा होने की है।

श्री अहमद बख्श (जिला मुजफ्फरनगर)--

क्या माननीय मन्त्री जी कृपा करके बतायेंगे कि जब वहां के प्रमुख ने शपथ नहीं ग्रहण की तो उस अरसे तक वहां का काम कैसे होता रहा?

श्री बंशीधर पांडेय--

उसके उपप्रमुख होते हैं। वे उस कार्य का संचालन करते रहे।

कुंवर श्रीपालसिंह--

ये जो ब्लाक प्रमुख हैं, वे जनसंघ के हैं, क्या इसीलिये यह न्याय बरता गया?

श्री बंशीधर पांडेय--

श्रीमन्, पंचायतराज के स्तर पर कोई पार्टी की दृष्टि से चुनाव नहीं होता।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मंत्री जी, बताने की कृपा करेंगे कि जब उस ब्लाक के प्रमुख को शपथ नहीं दिलाई गई, तो क्या इसकी कोई सूचना बी० डी० ओ०, जिला पंचायत आफिसर, या जिला नियोजन अधिकारी को दी गई कि हमारी मीटिंग हुई और शपथ नहीं ग्रहण की जा सकी?

श्री बंशीधर पांडेय--

इसकी मेरे पास सूचना नहीं है, लेकिन १२ जून की मीटिंग में हालांकि कोरम की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन प्रमुख ने यह महसूस किया कि कोरम होना चाहिये था, इसलिये शपथ ग्रहण नहीं की। २८ जून को फिर मीटिंग बुलाई गयी थी, उसमें शपथ ली।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

यह जानबूझकर डिले करायी गयी मीटिंग होने में। १७ मार्च को इलेक्शन होता है, १२ जून को मीटिंग बुलाई गई। ढ़ाई महीने तक क्या करते रहे? जानबूझकर शपथ में देर हुई है। जब मेरा प्रश्न हुआ है तो २८ जून में करायी गयी। क्या मेरे इस चार्ज की इंक्वायरी करायेंगे वहां के बी० डी० ओ० और स्थानीय नेता लोगों से?

श्री राममूर्ति--

कुंवर श्रीपालसिंह की पार्टी के वह प्रमुख हैं, इसलिये किसी इंक्वायरी की आवश्यकता नहीं है। उनको सब मालूम है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

बात यह है कि जब नये ब्लाक प्रमुख चुन लिये गये तो उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी यह चाह रही थी कि हम पेटीशन दायर करायें, लेकिन जब कोई आदमी नहीं मिला ढ़ाई महीने में तो उन को शपथ दिलायी गयी। क्या यह सत्य है कि इस किस्म की चीज कांग्रेस पार्टी ने की, यह मंत्री जी को मालूम है?

श्री राममूर्ति--

हमारे यहां इसकी कोई इत्तला नहीं है। मैं बतला देना चाहता हूं कि जुलाई, १९६३ में एक सर्कुलर तमाम ब्लाक कमेटीज़ को भेजा गया है कि जब कोई प्रमुख चुने जायं तो उनके लिये किसी अफसर की हाजिरी की जरूरत नहीं है, अगर २-४ मेम्बर भी आ जांय तो भी शपथ पढ़ सकते हैं।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

मैंने जो चार्ज पेश किया है कि यह जानबूझकर डिले करायी गयी है, इस चार्ज की इंक्वायरी मंत्री महोदय करायेंगे या नहीं?

श्री राममूर्ति--

इसकी मैं आवश्यकता नहीं समझता।

निलम्बन भत्ता

*३४--श्री सन्तसिंह यूसुफ--

केन्द्रीय गृह मंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी के नेशनल हेराल्ड में छपे १६ जून के भ्रष्टाचार सम्बन्धी लेख में दिये गये वक्तव्य को ध्यान में रखते हुये कि अधिक लम्बी अनुशासनीय कार्यवाहियों से कर्मचारियों को परेशानी होती है, क्या सरकार छः महीने से अधिक निलम्बन पर निलम्बन-भत्ता बढ़ा कर चौथाई वेतन से आधा वेतन तक व एक वर्ष से अधिक निलम्बन पर तीन चौथाई वेतन तक करने की कृपा करेगी?

श्री जयराम वर्मा--

जहां तक निलम्बन-भत्ते को चौथाई वेतन से बढ़ा कर आधा वेतन तक देने का सवाल है ऐसा फंडामेंटल रूल ५३ के अनुसार अभी भी किया जा सकता है अगर निलंबन अवधि को लम्बी करने की जिम्मेदारी सरकारी कर्मचारी की न हो। जहां तक इस भत्ते को आधा वेतन से बढ़ा कर तीन चौथाई वेतन तक देने का प्रश्न है, सरकार का मत है कि निलंबित कर्मचारियों को उन कर्मचारियों से अधिक सुविधा नहीं मिलनी चाहिए जो आधा वेतन पर छुट्टी लेते हैं। इसलिए निलंबन भत्ते को अधिकतम अवधि में भी आधा वेतन तक ही सीमित रहना चाहिए।

श्री सर्त्तासिह यूसुफ--

सरकारी कर्मचारियों के बारे में श्री गुलजारीलाल नन्दा ने कहा है कि जब डिसिप्लिनरी ऐक्शन होता है तो जस्टिस फौरन होनी चाहिये, हार्डशिप नहीं होनी चाहिये, तो ६ महीने के लिए अगर सस्पेंशन हो तो आधा वेतन और अगर साल भर से ज्यादा हो तो तीन चौथाई दिया जाय आज के जमाने में जिन्दा रहने के लिये, तो इसमें सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री जयराम वर्मा--

मैंने तो नियम बता दिये। बहुत से कर्मचारी आधे वेतन पर छुट्टी लेते हैं, उनको तो आधा वेतन दें और निलंबित को तीन चौथाई वेतन दें, ऐसा करना सरकार मुनासिब नहीं समझती।

श्री काशीनाथ मिश्र--

क्या सरकार मजदूरों की परेशानी को देखते हुये इस बात पर विचार करेगी कि जो मजदूर अनुशासन संबंधी कार्यवाही के अन्तर्गत निलम्बित किये जाते हैं, उनके साथ न्याय जल्दी से जल्दी हो और उसकी अवधि भी कम से कम हो ?

श्री जयराम वर्मा--

इस प्रकार के आदेश हैं बल्कि एक शेड्यूल बना हुआ भी है कि इतने समय के अन्दर कार्यवाही समाप्त हो जाना चाहिये।

श्री जे० पी० मिश्र--

माननीय नंदा जी ने भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो नये नियम बनाये हैं उनको ध्यान में रखते हुये सरकार भी भ्रष्टाचार संबंधी नये नियम बनायेगी क्योंकि अभी तक भ्रष्टाचार की जांच पुराने नियमों द्वारा ही हो रही है ?

श्री अध्यक्ष--

वह नये नियम आपने बताये नहीं हैं।

श्री अहमद बख्श--

जब कि एक मियाद मुकर्रर है, तब अगर कोई केस उस मियाद के अन्दर फैसल नहीं होता तो क्या सरकार उस केस में कोई जांच कराती है कि क्यों देरी हुई ?

श्री अध्यक्ष--

(मंत्री से) इस केस में क्या कोई विलम्ब हुआ है ?

श्री जयराम वर्मा--

किसी पर्टीक्युलर केस के बारे में तो पूछा नहीं गया है। अगर विलम्ब होता है और उसकी जिम्मेदारी कर्मचारियों पर नहीं होती तो उनका भत्ता बढ़ा दिया जाता है।

श्री उग्रसेन--

मैं एक उदाहरण रखना चाहता हूं। गोरखपुर के एक जनरल मैनेजर मिस्टर सयाल के ऊपर ७ पंखे और एक अलमारी चुराने की जिम्मेदारी है, मगर उनसे जवाब तक नहीं पूछा गया और एक कृपा नारायण कन्डक्टर को ६ साल से मुअत्तल कर रखा है। तो माननीय मंत्री जी क्या कोई ऐसे नियम बनायेंगे जिसके अनुसार एक माह से ज्यादा कोई मुअत्तल न रखा जाय ?

श्री जयराम वर्मा--

इस मामले के बारे में तो मुझे जानकारी है नहीं। लेकिन जो नियम हैं वे सब के लिये एक से ही हैं।

अतारांकित प्रश्न

१--श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

२--श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

ग्रामीण जनशक्ति योजनान्तर्गत वाराणसी जिले में सड़कों का निर्माण

३--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी जिले में जनशक्ति योजना के अन्तर्गत जो तमाचाबाद चौमुहानी से बड़ा गांव तक की कच्ची सड़क फूलपुर से धरसौना तक की नीराशाह से कठिरांव तक की कच्ची सड़क को लिया गया है, उस पर कब काम शुरू होगा, और इन सड़कों के लिये कितने रुपये का प्राविधान किया गया है? क्या इस योजना में मोजूवीर, वाराणसी से केराकत की भी कच्ची सड़क ले ली गई है?

श्री राममूर्ति--

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले में तमाचाबाद चौमुहानी से बड़ा गांव तक, फूलपुर से धरसौना तक, मीराशाह से कठिरांव तक की कच्ची सड़कें फिलहाल नहीं ली गई हैं। अस्तु इन सड़कों पर काम शुरू होने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी इन सड़कों के लिये किसी धन का प्राविधान नहीं है।

इस योजना के अन्तर्गत अभी मोजूवीर वाराणसी से केराकत की भी कच्ची सड़क नहीं ली गई है।

ससुरखदेरी नदी पर नेवारी गांव पुल की आवश्यकता

४--श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद जिले की तहसील मंझनपुर के ग्राम नेवारी के पास ससुरखदेरी नदी पर पुल निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो वह कब तक बन जायगा?

श्री राममूर्ति--

इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में कोई योजना राज्य सरकार अथवा जिला परिषद् के विचाराधीन नहीं है।

रोजगार दफ्तर से उम्मीदवार लेने के लिये जिला परिषदों को आदेश

५--श्री जगन्नाथ राव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला परिषदों को भी इस प्रकार का आदेश है कि वे अध्यापकों व कर्मचारियों की नियुक्ति करते समय बेरोजगारी के दफ्तर से नामों की सूची मांगें?

श्री राममूर्ति--

जी हां।

विकास खण्ड, फतेहपुर मंड़ाव की इमारतें

६--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड फतेहपुर मंड़ाव, जिला आजमगढ़ के भवन का निर्माण कब होने जा रहा है तथा स्वास्थ्य केन्द्र का निर्माण कब और कहां होने जा रहा है ?

श्री राममूर्ति--

विकास भवन जिस भूमि पर बनने की योजना है, उस भूमि को अधिकृत (एक्वायर) करने हेतु समस्त कागजात भूमि अधिकृत अधिकारी आजमगढ़ को प्रेषित कर दिये गये हैं। भूमि के प्राप्त होते ही भवन निर्माण करने हेतु कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग को दे दिया जायेगा ।

विकास भवन जहां निर्मित कराने की योजना है वहां पहले से ही राजकीय मानव चिकित्सालय स्थापित है और उसका भवन निर्मित है। चिकित्सालय में स्वास्थ्य केन्द्र के लिये अतिरिक्त भवन निर्माण का कार्य विकास भवन निर्माण के समय आवश्यकतानुसार कराया जायेगा। प्रस्तावित भूमि रेविन्यू विलेज मधुवन (सुल्तानपुर बारह गांवा) में स्थित है।

७--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

[१३ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किया गया।]

कंधला ताल से जल निकासी

९--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिला की बांस गांव तहसील में बांस गांव विकास क्षेत्र के पास कन्धला ताल से पानी निकासी की कोई योजना चालू की गई है ? यदि हां, तो वह क्या है ? वह कब तक पूरी होगी ? पानी निकासी का काम पूरा होने पर कितने एकड़ खेतों को लाभ पहुंचेगा ?

श्री राममूर्ति--

ग्रामीण जनशक्ति उपयोग योजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले में कंधला ताल से पानी को निकासी की कोई योजना अभी चालू नहीं की गई है। वास्तव में कंधला ताल के पानी को नाले द्वारा निकासी की योजना गोरखपुर जिले के उरवा ब्लाक में उपर्युक्त योजना के चतुर्थ चरण में प्रस्तावित होकर आयोजना आयोग, भारत सरकार को स्वीकृति के लिए भेजी गई है। अभी यह निश्चित रूप स नहीं कहा जा सकता कि आयोजना आयोग इस कार्यक्रम को उपर्युक्त योजना में लेने को स्वीकृति देगा या नहीं। अस्तु, अभी यह नहीं बताया जा सकता है कि यह काम कब चालू किया जायेगा और कब पूरा होगा ।

अगर यह कार्यक्रम उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत आयोजना आयोग द्वारा स्वीकृत हो जाता है तो इसके पूर्ण होने के उपरान्त लगभग ५७८ एकड़ भूमि जलमग्न होने से बच जावेगी तथा लगभग १०,००० एकड़ कृषि योग्य भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी ।

१०-११-श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

[१९ अगस्त, १९६४ के लिए स्थगित किये गये ।]

उत्तर प्रदेश खाद्यान्न (नियंत्रण प्राप्ति और वितरण) आदेश, १९६३ के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव तथा नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

अब कुछ कार्य-स्थगन प्रस्ताव आये हैं जिनको मैं महत्वपूर्ण अवश्य समझता हूं और उनका सम्बन्ध उस आदेश से है जो अभी जारी हुआ है। जो प्रस्ताव माननीय भानुप्रतापसिंह का है, उसे मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। उसके साथ ही साथ माननीय भीखालाल, माननीय विजयपालसिंह, माननीय चन्द्रजीत यादव व माननीय डाक्टर जेड० ए० अहमद का भी है। और एक माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय दौलतलाल, माननीय राधेश्याम शर्मा, माननीय चन्द्रबलीसिंह, माननीय बांकेलाल व माननीय होरीलाल यादव का भी है। माननीय भानुप्रतापसिंह का नियम ५२ के अन्तर्गत भी इसी सम्बन्ध में है....

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा भी इस सम्बन्ध में नियम ५२ का है।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय रामसुन्दर पांडेय, माननीय दौलतलाल, माननीय बांकेलाल, माननीय चन्द्रबलीसिंह, माननीय राधेश्याम शर्मा व माननीय होरीलाल यादव का है और माननीय काशीनाथ मिश्र का भी है। तो मैं चाहूंगा कि इसे पढ़ कर सुना दूं।

जैसा मैं कह रहा था, माननीय भानुप्रतापसिंह जी का इस प्रकार है--

"आज प्रातः 'पायनियर समाचार पत्र' में 'एन्टी होर्डिंग आर्डर' के ब्योरे को पढ़ा। इसके अनुसार किसानों को जो गल्ला अपने पास रखने की छूट दी गयी है, इसमें उनके परिवार की संख्या का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा बीज के लिये केवल २५ किलोग्राम प्रति एकड़ छोड़ने की इजाजत दी गयी है, जबकि बीज ४० से ५० किलोग्राम प्रति एकड़ लगता है। बैलों के लिये दाना, मजदूरी तथा दूसरे कार्यों के लिये बिलकुल गल्ला न छोड़ने की व्यवस्था की गयी है।

व्यापक रूप से उपरोक्त आदेश से कृषक वर्ग में घोर असन्तोष उत्पन्न होगा और खेती का कार्य अस्त व्यस्त हो जायगा। यदि उपरोक्त 'एन्टी होर्डिंग आर्डर' लागू किया गया तो अगली रबी के लिये किसानों के पास बीज भी नहीं बचेगा।

यह विषय इतने महत्व का है कि प्रार्थना है, सदन की अन्य कार्यवाही को स्थगित कर 'एन्टी होर्डिंग आर्डर' पर विचार करने का अवसर दिया जाय।"

और दूसरा माननीय जेड०ए० अहमद का भी इसी प्रकार का है:--"सरकार का यह आदेश आम किसानों के हितों के विरुद्ध है और उत्पीड़क कार्य (आपरेसिव मेजर) है और बड़े-बड़े गल्ले के व्यापारियों और जखीरेबाजों को लूट को जारी रखने का मौका देता है।"

तो मैं चाहता हूं कि माननीय खाद्य मंत्री जी कल इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे दें और हम लोगों को समझा दें, नहीं तो फिर इस विषय को कल सायंकाल में कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लूंगा।

श्री यादवेन्द्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, एक जानकारी मैं करना चाहता हूं। नियम ५२ के अन्तर्गत जो आपने इसे स्वीकार किया है, तो वक्तव्य होने के बाद हम लोगों को प्रश्न करने व विवाद करने का अवसर मिलेगा ?

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि मैं स्वयं बहुत सन्तुष्ट नहीं हूं। तो कल जरा बयान सुन लें, आप प्रश्न कर लें, यदि सन्तोषजनक नहीं हुआ तो हम विवाद करा देंगे।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, मेरा नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न है कि जखीरेबाजों के खिलाफ जो गवर्नमेन्ट का आदेश हुआ है, उस आदेश के चलते बड़े-बड़े अढ़तिये रातों रात अपना गल्ला बाजार से बाहर भेज रहे हैं और सरकार उसको रोक नहीं पा रही है।....

श्री अध्यक्ष--

माननीय काशीनाथ जी, आप बैठ जायं। आपके कहने का मतलब क्या है ? अगर एन्टी होर्डिंग आर्डर की वजह से जखीरेबाज अपना गल्ला बाहर भेज रहे हैं, तो क्या सरकार उस आर्डर को वापस ले ले ?

श्री काशीनाथ मिश्र--

मेरा मतलब है कि सख्ती से उस आर्डर का पालन किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे सम्बन्धित मंत्री के पास कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

मेरा भी एक कामरोको प्रस्ताव है।

श्री अध्यक्ष--

यदि आप इस किताब (प्रक्रिया नियमावली) को पढ़ें तो इसमें दिया हुआ है कि एक दिन में एक ही कामरोको प्रस्ताव लिया जा सकता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, आप हमारा नियम ५२ का तो ले लें, कल सारे प्रदेश के दस हजार टीचर्स माननीय कैलाशप्रकाश जी से मिलना चाहते थे, लेकिन वह बाहर नहीं निकले। यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें, उसके बारे में बात कर लेंगे फिर।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

श्रीमन्, आपने अभी माननीय भानुप्रतापसिंह के कामरोको प्रस्ताव को पढ़ा जिसमें यह लिखा गया है कि आज के पायनीयर के समाचार के अनुसार यह चीज है, आप इस पर व्यवस्था

[श्री ब्रह्मदत्त मायर]

दें कि समाचार-पत्रों के आधार पर इस सदन में कोई चीज नहीं आ सकती ऐसा आपका पूर्वनिर्णय है लेकिन आपने आज उस चीज को उलट दिया, यह आपने आज सही किया है या नहीं ?

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)--

यह चीज प्रस्ताव के रूप में देने से पहले मैंने नेगी जी से फोन पर बात कर ली थी।

श्री अध्यक्ष--

मैं यह कहने वाला ही था कि उन की बातचीत नेगी जी से इस विषय में हो गई है और यह चीज उन के प्रस्ताव में मौजूद है।

(व्यवधान)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--

मैं निवेदन करना चाहता था कि जो कामरोको प्रस्ताव आपने स्वीकार किया है, उसको आप कामरोको नहीं मानते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो क्या मानते हैं और अगर कामरोको प्रस्ताव मानते हैं तो.....

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो सरकार से कहा है कि वह बयान दे दें और इस तरह के कामरोको प्रस्तावों पर सरकार से बयान मांगे जा सकते हैं और सरकार का बयान आने पर फिर मैं निर्णय दूंगा और जो जरूरी होगा, वह किया जायगा।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)--

श्रीमन्, मैं एक नुकतये तरतीबी पेश करना चाहता हूं उसके बाद कोई बात वह फरमायें। अभी जब आप बोल रहे थे तो मेरे मित्र श्री रामसुन्दर जी पांडेय खड़े हुये थे। मेरी गुस्ताखी आप माफ करें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपने दोस्तों से तो मैं नहीं कर सकता कि जब आप कोई आदेश या निर्णय देते होते हैं तो हमारे दोस्त सदन में खड़े रहते हैं, यह उचित नहीं है। मेरी दरख्वास्त है कि इस सम्बन्ध में आप नियमों का कठोरता से पालन करें तो उससे आपको और सदन को सुविधा होगी।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं चौधरी साहब से निवेदन कर दूं कि मैं खड़ा हो गया था और कह रहा था कि अभी आपने कोई नया आइटम आगे नहीं लिया है और उसी बीच में हम कह सकते हैं कि आप ने स्वीकार नहीं किया है और कामरोको प्रस्ताव स्वीकार करते हैं तो समय का बंटन कर दें और वह नहीं स्वीकार करते हैं तो उसका भी फैसला पहले ही होना चाहिये, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

मैंने तो आपसे निवेदन कर दिया कि मुझे अधिकार है कि मैं सरकार से स्पष्टीकरण मांगूं और उसके उपरान्त निश्चय करूं कि बहस हो।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, क्या कृषि मंत्री जी को अधिकार है कि जब सदन में कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों तो वह उनके बोलते समय खड़े हो जायं और आप का ध्यान आकृष्ट करें ?

श्री अध्यक्ष--

वह मेरे ऊपर छोड़ दीजिये।

नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

एक प्रस्ताव श्री ब्रह्मदत्त मायर का है, जो देहरादून ऐक्सप्रेस में डकैती हुई है उसके विषय में यह सूचना नियम ५२ में आयी है। मैंने इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया है। वह भेज दिया जायगा और स्थिति मालूम हो जायगी। इसी तरह से एक श्री शिव सम्पत्ति शर्मा का आया है दूकानों के लूटे जाने के विषय में, उस को भी मैं माननीय खाद्य मंत्री जी के पास भेज रहा हूं और माननीय चन्द्रपाल रावत और श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी का बाढ़ के बारे में है उस पर माननीय राजस्व मंत्री जी वक्तव्य देंगे, उसको मैं उनके पास भेजे दे रहा हूं।

फीरोजाबाद के कांच कारखानों में मजदूरों की हड़ताल से उत्पन्न परिस्थिति के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

मेरे पास नियम ५३ में २,३ सूचनायें आयी हैं। एक माननीय भगवानदास यादवेन्दु की है, जिसमें कहा गया है कि चूड़ियों का खास व्यापार फिरोजाबाद में है और वहां के मजदूरों और मालिकों क बीच में कुछ झगड़ा उनके वेतन के सम्बन्ध में पैदा हो गया है, जिसके कारण वह लोग हड़ताल किये हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

सरकार का इससे इतना ही सम्बन्ध है कि जिस वर्ग ने हड़ताल की है, उसके नियोजकों को इस बढ़ती हुई महंगाई में इतनी उदारता बरतनी चाहिये कि जब १०० फीसदी महंगाई बढ़ गयी है तो २५ फीसदी बढ़ोत्तरी की मांग उन्होंने की है और श्रमिक, जो लेबर ट्रिब्युनल और कंसीलियेशन में आते हैं, वह ५० हजार मजदूर इससे बेकार हो गये हैं। इसलिये सरकार का हस्तक्षेप करना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष--

मैं पूछ रहा था कि सरकार का इससे क्या सम्बन्ध है ?

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

सरकार से यह सम्बन्ध है कि इतने लोगों को बेकार होने से बचाने के लिये नियोजकों को जो कच्चा माल जैसे कोयला आदि देती है, इसलिये सरकार उनको दबाये।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

सरकार का इससे सीधा सम्बन्ध है। फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग के ४० हजार मजदूर हड़ताल कर रहे हैं। उनकी मांग इंडस्ट्रियल ऐक्ट के मुताबिक है, जो पूरी नहीं हो रही है और जिसको पूरा कराने की शत प्रतिशत जिम्मेदारी सरकार पर है। श्रम विभाग का यही काम है। जो कानूनन हक उन्हें मिलना चाहिये वह भी नहीं मिल रहा है। इसलिये सरकार की जिम्मेदारी है। यह गम्भीर प्रश्न है। महंगाई के जमाने में ४०,००० मजदूर डेढ़ महीने से बेकार हैं। इसलिये आप इस पर अवश्य विवाद करायें।

श्री अध्यक्ष--

श्रम मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ बता सकेंगे ?

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)--

इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के बाद ही कुछ कह सकूंगा।

श्री अध्यक्ष--

माननीय यादवेन्दु जी, आप मुझ से मिल लीजियेगा ।

श्री भगवानदास यादवेन्दु--

मुझे इतना ही कहना है कि २ महीने से स्ट्राइक चल रही है ५०,००० आदमियों की, उनका जीवन खतरे में है, उनके बच्चे भूखों मर रहे हैं और मंत्री जी को पता नहीं कि क्या मामला है।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ की मांगों को सरकार द्वारा स्वीकार न करने के संबंध में नियम ५३ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना नियम ५३ के अन्तर्गत माननीय हरीशकुमार गंगवार और माननीय बसन्त सिंह की है अध्यापकों के सम्बन्ध में। माननीय शिक्षा मंत्री कल इस सम्बन्ध में अपना वक्तव्य दें।

शिक्षा मंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)--

बहुत अच्छा, श्रीमन् ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, इसी सम्बन्ध में मेरा भी कामरोको प्रस्ताव था, वह भी जुड़वा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

नियम ५२ में वह भी कल आयेगा ।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

एक सदस्य--

मैं यह कह रहा था कि नियम ५२ के अन्तर्गत हमने और माननीय मोहिले जी ने एक सूचना दी थी, आपने वायदा भी किया था ।

श्री अध्यक्ष--

उसको भी मैंने मंत्री जी के पास भेज दिया है ।

श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)--

नियम ५२ में श्रीमन्, एक मेरा भी था और आपने कहा था कि मंत्री जी को भेजेंगे। उस सम्बन्ध में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

श्रीमन्, शिक्षकों वाला मसला आपने नियम ५२ के अन्तर्गत लिया है न ?

श्री अध्यक्ष--

जी हां ।

श्री बनवारीलाल विप्र (जिला आगरा)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है और वह यह है कि हमने और श्री बालोजी अग्रवाल ने आगरा की जो घटना थी उसके सम्बन्ध में एक सूचना नियम ५२ के

अन्तर्गत दी थी। और इस सम्बन्ध में जब आपसे आपके कक्ष में मिले भी थे तो आपने यह आश्वासन दिया था कि कम से कम इसको सम्बन्धित श्री जी के पास भेज देंगे.....

श्री अध्यक्ष—

तो आपको कैसे मालूम हुआ कि नहीं भेजा गया है ?

श्री बनवारीलाल विप्र—

तो आप कम से कम सदन में कह दीजिये कि उसको भेज दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

उसके कहने की जरूरत नहीं है।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—

बारिश होने के सम्बन्ध में मैंने भी एक दिया था।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप बैठ जाइये।

जे० के० जूट मिल्स में तालाबन्दी के संबंध में श्रम मंत्री का वक्तव्य

सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)—

जे० के जूट मिल्स, कानपुर के कर्मचारियों ने १३ जुलाई, १९६४, (सुबह की पाली) से हड़ताल की। उनकी मांग है कि १९६३ का बोनस ३५ पैसा प्रति रुपया मूल वेतन की दर से दिया जाय। सेवा योजक मूल वतन क आधार पर कवल १२ दिन का बोनस देने को तैयार हैं।

सेवा योजकों ने अपनी २७ जुलाई, १९६४, की नोटिस द्वारा मिल में ताला बन्दी कर दी है, जो उसी दिन से लागू है।

सेवा योजकों ने जुलाई के प्रथम पक्ष के वेतन का वितरण २० जुलाई, १९६४ से आरम्भ किया और उनका वेतम वितरण २५ जुलाई, १९६४ को पूरा हो गया। पहले दिन वेतन लेने वाले श्रमिकों की संख्या अधिक रही जिनमें कुछ श्रमिक ऐसे भी थे, जिन्होंने वेतन कटौती के बावजूद भी वेतन लिया। धीरे-धीरे वेतन लेने वालों की संख्या कम होती गई। सेवा योजकों ने १६ जुलाई, १९६४ को इस आधार की एक और नोटिस लगाई जिसमें उन्होंने यह लिखा कि अवधानिक हड़ताल पर जाने वाले श्रमिकों का ८ दिन का वेतन काट लिया जायेगा।

श्रमिकों और मिल मालिकों में वेज बोर्ड की सिफारिशों के सम्बन्ध में एक समझौता हो गया है। इस समझौते के अनुसार हर श्रमिक को ८.३३ पैसा बढ़ोत्तरी मिलेगी। इस बढ़ोत्तरी में ३.४२ पैसा अन्तरिम सहायता का शामिल है। वेज बोर्ड की मुख्य सिफारिशें जिनका सम्बन्ध मूल वेतन तथा डिफरेन्शियल्स से है, के अर्थनिरूपण के प्रश्न पर पक्षों में मतभेद है और इस मतभेद को सुलझाने की पूरी कोशिश की गयी। परन्तु यह मतभेद दूर न हो सका। इस मतभेद का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

जहां तक १९६३ के बोनस का प्रश्न है, मामले को सुलझाने का शुरू से प्रयास किया गया। पक्षों के प्रतिनिधियों से २ अगस्त, १९६४ को लखनऊ में बातचीत की गयी परन्तु अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। यह बातचीत पक्षों के प्रतिनिधियों के बीच और उनसे बराबर हो रही है और

[श्री बनारसीदास]

इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि समझौता हो जाय। लेकिन दोनों पक्षों के प्रतिनिधि अपनी अपनी ही बात पर इस समय तक दृढ़ हैं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि अभी हाल में जे० के० जूट मिल यूनियन के श्री निर्मल मेहरोत्रा और मदन पांडेय मंत्री जी से मिले जो कि आरबिट्रेटर नियुक्त हुए हैं ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया २ अगस्त, १९६४ को जूट मिल के पुरषोत्तम सिंहानिया और लेबर विभाग के कर्मचारी इस सम्बन्ध में मिले। दोनों पक्षों की ओर से एक फैसला किया गया था। उसके बाद में यह आश्वासन दिया कि वे जाकर फैसला करें। लेकिन कानपुर जाने के बाद दोनों पक्षों ने पूर्ण समझौता फेर दिया। इसलिये मेरी तरफ से एवार्ड देने का प्रश्न नहीं होता।

श्री उग्रसेन—

मैं पी० डी० सिंहानिया की बात नहीं कहता, लेकिन क्या मजदूर यूनियन के लोगों ने आपको लिख कर दिया है कि हम आपको आर्बिट्रेटर नहीं मानते हैं ?

श्री बनारसीदास—

लिखकर उन्होंने नहीं दिया, लेकिन अभी जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक मैं उग्रसेन जी को यकीन दिलाना चाहता हूं कि अभी प्रयत्न जारी है और आशा है कि दो-तीन रोज के अन्दर दोनों पक्षों के बीच में कोई फैसला हो जायगा और जल्दी वहां पर काम शुरू हो जायगा।

श्री उग्रसेन—

क्या माननीय मंत्री पी० डी० सिंहानिया, मदन पांडेय और निर्मल मेहरोत्रा को निमंत्रण देंगे कि हमारे कमरे में आकर नहीं कर जाइये और अपनी पोजीशन से हट जाइये ?

श्री बनारसीदास—

माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है, उसकी जरूरत नहीं है। अभी दोनों पक्षों के बीच वार्तालाप चल रही है। मैं आशा करता हूं कि जो दो तारीख को दोनों के बीच में तय होगा, जरूर उस पर अमल किया जायगा।

श्री सन्तसिंह यूसुफ (जिला कानपुर)—

पिछले साल २५ नये पैसा इसी मिल ने बोनस दिया था और इस साल मिल मालिक यह मानते हैं कि पहले से प्राफिट ज्यादा हुआ है और ५ हजार गांठ पैदावार बढ़ी है तो फिर ज्यादा बोनस देने में उनको क्या आपत्ति है ?

श्री बनारसीदास—

जहां तक इस वर्ष ज्यादा मुनाफा होने का सवाल है इसको मिल मालिक नहीं मानते। सन् ६२ की बैलेंस शीट के मुताबिक ३९ लाख रुपया मुनाफा हुआ था और इस मर्तबा २२ लाख के लगभग मुनाफा हुआ है, हालांकि इस मर्तबा उत्पादन ज्यादा हुआ है। सन् ६२ में २५ नये पैसे के हिसाब से बोनस दिया गया था। इस वक्त मतभेद यह है कि मिल मालिक कहते हैं कि वेज बोर्ड की सिफारिश के मुताबिक ज्यादा से ज्यादा १२ दिन का बोनस दिया जा सकता है। लेकिन

उसके लिये मजदूर तैयार नहीं थे। मजदूर कहते हैं कि कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बोनस दिया जाय लेकिन केन्द्रीय सरकार ने उस रिपोर्ट पर अपना फैसला नहीं दिया है। मैं आशा करता हूं कि १५ अगस्त के आसपास उस पर फैसला हो जायगा। मजदूर ३५ नये पैसे के हिसाब से बोनस चाहते हैं और मिल मालिक का कहना है कि जब तक बोनस कमीशन का फैसला नहीं आता वेज बोर्ड के मुताबिक १२ दिन का बोनस मजदूर ले लें और जब बोनस कमीशन का फैसला अमल में आयेगा तो बकाया मिल मालिक दे देगा। मजदूरों का कहना है कि पहले मिल मालिक बोनस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बोनस दे दें और अगर उसमें कमी होती है तो बाद में मिल मालिक मजदूरों की तनख्वाह से काट लें। दोनों में इतना मतैक्य था कि बोनस कमीशन का जो फैसला होगा दोनों दल उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

४ हजार मजदूर बेकार हैं और काफी दिन से हड़ताल चल रही है और लाखों रुपये के उत्पदान का नुकसान हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री मिल मालिकों पर अपना दबाव डालेंगे कि इस हड़ताल को खत्म किया जाय ?

श्री बनारसीदास--

माननीय सदस्य के कहने के मुताबिक कानून के खिलाफ कार्यवाही की जाय, वह तो किया नहीं जा सकता। कानून के मुताबिक कार्यवाही की जा रही है। बराबर हम प्रयत्नशील हैं और आशा करते हैं कि दो तीन दिन में फैसला हो जायगा और हड़ताल खत्म हो जायगी।

श्री उग्रसेन--

सन् ६२ में जे० के० जूट मिल ने ५८ हजार गांठें बनाईं और सन् ६३ में ६८ हजार गांठें तैयार हुईं। मजदूरों का कहना है कि सन् ६२ में अगर २५ नया पैसा बोनस दिया गया था तो अब उनको ३५ नये पैसे बोनस मिलना चाहिये। वेज बोर्ड का इसमें क्या सवाल है ? अगर बोनस कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कम दिया जाता है तो मिल मालिक काट लेंगे, इसमें मिल मालिकों को क्या एतराज है ? मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि क्या इसके लिये उनको राजी कर लेंगे ? जहां तक न्याय का प्रश्न है, वह मजदूरों के पक्ष में है कि उनको २५ नये पैसे ज्यादा बोनस मिलना चाहिये और बोनस कमीशन के एवार्ड को वह भी मानते हैं और हम भी मानते हैं।

श्री बनारसीदास--

यह सही है कि गांठों का उत्पादन ज्यादा हुआ। लेकिन ज्यादातर इस फैक्टरी ने डिफेंस की जरूरत को पूरा किया इसलिये मुनाफा कम हुआ। पहली मर्तबा १७ नये पैसे के हिसाब से बोनस लेना मजदूरों ने स्वीकार किया था। लेकिन पिछले दो तीन साल से बोनस नहीं मिला था, इसलिये मिल मालिकों ने स्वयं २५ नये पैसे के हिसाब से बोनस देना स्वीकार किया था। इस मर्तबा वह यह चाहते हैं कि इस प्रश्न को बैलेंस शीट के आधार पर आर्बीट्रेटर को सुपुर्द कर दिया जाय लेकिन इसको मजदूरों के प्रतिनिधियों ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने यह भी कहा कि इसको एडजूडीकेटर को दे दिया जाय, लेकिन उन्होंने इसको भी स्वीकार नहीं किया। इसलिये कि बोनस कमीशन की रिपोर्ट आने वाली है और मैं समझता हूं कि जल्दी फैसला होने की आशा है।

श्री सन्तसिंह यूसुफ--

श्रीमन्, अभी बंगलौर में फैसला हुआ है कि बोनस कमीशन की रिपोर्ट १५ तारीख को निकलेगी, उसी बुनियाद पर मंत्री जी बोनस का फैसला कराने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, पूरे प्रयत्न इसके लिये जारी हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उस रिपोर्ट के आधार पर अमल किया जाय। लेकिन जब तक यह रिपोर्ट स्वीकार न हो जाय तब तक हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स ऐक्ट के मातहत अमल में नहीं ला सकते हैं। ऐसी आशा है कि १५ अगस्त तक कोई न कोई संतोषजनक फैसला हो जायगा।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, प्रायः देखा जाता है कि जितने झगड़े मजदूर और मिल मालिकों में पैदा होते हैं, उनको नियमों का बहाना लेकर अधिक दिनों तक लटकाया जाता है। क्या वे ऐसी व्यवस्था करेंगे कि इस प्रकार के झगड़ों को शीघ्र निबटाया जाय ?

श्री अध्यक्ष--

वही व्यवस्था कर रहे हैं।

श्री उग्रसेन--

क्या मंत्री जी को मालूम है कि मालिकों ने मजदूरों का अर्जित धन नहीं दिया था, इस पर श्रम विभाग ने देने के लिये कहा और मुंसिफ कोर्ट ने ८ दिन की मजदूरी न काटने का इंजेक्शन जारी कर दिया फिर भी उन्होंने नहीं दिया ? क्या मंत्री जी पैनाल्टी सहित उस धन को दिलाने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

यह सही है कि मिल मालिकों ने यह आरोप लगाकर कि यह हड़ताल अवैधानिक है आठ दिन का वेतन काट लिया, जिसका की काम किया था। इसकी जांच की गई और उनको लिखा गया कि यह अनुचित है। यह भी सही है कि सिविल कोर्ट ने इंजेक्शन जारी किया और मिल मालिक भी कोर्ट में गये हैं। लेकिन हमारी तरफ से प्रयत्न किया जा रहा है कि ८ दिन का वेतन दिलाया जाय।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा कहना यह है कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट यहां की मिलों को जूट के लिये रेलवे फ्रेट मुफ्त देती है और बंगाल की जूट मिलों से यहां के लोगों को वह सस्ती पड़ रही है और इस साल अधिक उत्पादन हुआ है, तो किस आधार पर मिल मालिक कह रहे हैं कि मुनाफा कम हुआ ? क्या वे इसकी जांच करायेंगे कि मुनाफा कम नहीं हुआ और मजदूरों को बोनस मिलना चाहिये ?

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मुनाफा तो बैलेंस शीट के आधार पर होता है। जहां तक हमारा सवाल है बैलेंस शीट को मान कर ही चलना पड़ता है। पहले भी बलेंस शीट थीं और अब भी है। अगर इस प्रकार की कोई बात होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कम्पनीज ऐक्ट के अन्तर्गत इसको देख सकती है।

श्री उग्रसेन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि जे० के० जूट मिल के बारे में मैंने और हरीशकुमार जी गंगवार ने नियम ५२ के अन्दर सूचना दी थी। लेकिन एजेन्डे में जो छपा है, उसमें नाम नहीं है। यह होना जरूरी है। मैं यही कहना चाहता हूं।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३*

†कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय ।

अध्यक्ष महोदय, अभी एक सप्ताह हुआ कि प्रवर समिति का प्रतिवेदन माननीय सदन की मेज पर रखा गया है और मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मित्रों ने उसे देख लिया होगा । फिर भी उनकी सहूलियत के लिये जो मोटी-मोटी बातें इसमें संशोधित हुई हैं, प्रवर समिति में उनके बारे में जिक्र कर देना चाहता हूं । पहला संशोधन तो यह किया गया है कि कृषि उत्पादन की परिभाषा में शहद भी शामिल कर लिया गया है, जो अब तक नहीं आता था ।

दूसरा संशोधन यह किया गया है कि उत्पादक की परिभाषा में वह लोग भी आ जाते थे जो कि दूसरों की उपज की प्रोसेसिंग करें । मसलन गन्ना खरीद लिया और गुड़ बनाने लगे, वह भी उत्पादक की डेफिनीशन में आ जाते थे । अब हमने ऐसे लोगों को नहीं रखा है और यह है कि जो अपना उत्पादन करें और उसकी प्रोसेसिंग करे । दूसरे की उपज को लाकर उसका रूप जो बदलता है, वह उत्पादक की परिभाषा में नहीं आयेगा ।

तीसरा संशोधन यह किया है कि ट्रेड चार्जेज यानी व्यापार परिव्यय हिन्दी में उसका तर्जुमा है इसके माने यह कि जो कटौती वगैरह होती थी वह ट्रेड चार्जेज में आने लगी । तो उसकी जो डेफिनीशन थी उसमें हमने एक प्रतिबन्ध लगा दिया । वह मैं सुनाये देता हूं:—

"कक—'व्यापारिक परिव्यय' का तात्पर्य किसी भी नाम से कहे जाने वाले किसी ऐसे परिव्यय से है जो, व्यापार या अन्यथा किसी रूढ़ि या प्रथा के अधीन या उससे अभिप्रेत किसी कृषि उत्पादन के क्रय या विक्रय के किसी सौदे के संबंध में किसी व्यापारी से वसूल किया जाता हो या वसूल किया जा सकता हो अथवा उसको देय हो ।

स्पष्टीकरण—नमूने से क्रय किये जाने की दशा में नमूने से अन्तर होने या किसी ज्ञात मानक से क्रय किये जाने की दशा में मानक से अन्तर होने के कारण अथवा वास्तविक तथा मानक बाट या तौल में भिन्नता के कारण की गयी कटौती से भिन्न प्रत्येक कटौती व्यापारिक परिव्यय समझी जायगी ।"

तो अगर नमूने के आधार पर खरीदारी होती है और अगर खरीदी हुई चीज से नमूने में कोई अन्तर है और अगर उसकी वजह से कोई कटौती होती है तो वह ट्रेड चार्ज नहीं माना जायगा । इसी तरह से अगर एक स्टैंडर्ड मानक के आधार पर खरीदारी होती है और उस चीज में और स्टैंडर्ड में अन्तर होता है तो वह भी ट्रेड चार्ज नहीं माना जायगा । इसी तरह से बांट में अन्तर होने से यानी जिस हिसाब से माल तौला गया है उसमें स्टैंडर्ड बेट में अन्तर होने की वजह से कोई अनियमितता होती है तो वह ट्रेड चार्ज नहीं माना जायगा । इसके अलावा और सबका ट्रेड चार्ज होगा ।

इसके अलावा एक यह संशोधन किया गया है कि व्यापारी उसको कहा है जो रेगुलर कोर्स आफ बिजनेस में ट्रेड करता हो । यह नहीं है कि सिर्फ खरीदता और बेचता है । उसमें हमने यह कहा है कि वह आमतौर पर ऐसा काम करता हो । उसका रेगुलरली यह काम हो । यह नहीं कि २, ४ दिन काम कर दिया और फिर काम दूसरा करने लगे । जिसका बिजनेस ही यह है और खरीद और फरोख्त का काम करता है वही ट्रेडर माना जायगा । उस डेफिनीशन को दुरुस्त कर दिया गया है ।

---

*छापा नहीं गया ।

†वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री चरणसिंह]

अध्यक्ष महोदय, खंड ८ में हमारे मौजूदा विधेयक में यह था कि जो मार्केट एरिया है उसके रकबे को, क्षेत्र को हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं या २ मार्केट एरिया को हमको एक करना हो या किसी मार्केट को अबालिश करना हो तो उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा इसका इसमें जिक्र नहीं था, लकिन इस नये विधेयक में हमने इसको साफ कर दिया है। इसी तरह से इस विधेयक में एक बात यह की गई है कि मार्केट एरिया में कोई आदमी खरीद और फरोख्त का काम नहीं कर सकता जब तक वह लाइसेन्स न ले। तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है कि जो आदमी अपने घर के खर्चे के लिये खरीदता है तो उसको लाइसेन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय एक बात यह की गई है कि इस मौजूदा विधेयक में यह साफ नहीं था कि ट्रेड चार्ज कौन देगा। अब हमने इसमें यह कर दिया है कि किसान उस ट्रेड चार्ज को नहीं देगा। जो किसान अपनी प्रोडयूस को लेकर बाजार में बेचने के लिये आता है उससे वह चार्ज नहीं लिया जायगा। अध्यक्ष महोदय, एक सवाल यह था कि एक गवर्नमेंट आफ इंडिया के ऐडवाइजर थे। उनको बुलाया था क्योंकि उनको मार्केटिंग का कुछ अनुभव भी था। उनसे हमने बातचीत की। वह कमेटी के सामने आये लेकिन उनसे हमको कोई रोशनी नहीं मिली। सवाल यह है कि मार्केट यार्ड के बाहर लेकिन मंडी क्षेत्र के अन्दर या मार्केट यार्ड के अन्दर कोई आदमी दूकानदारी करने लगे यानी खरीद फरोख्त का काम करने लगे तो उसको कैसे रोका जाय। अगर हम यह कहते हैं कि मार्केट यार्ड के अन्दर हर प्रकार की सेल, जो बहुत से व्यापारी किसानों से उनके घरों से खरीदकर मंडी में लाते हैं तो उनके ऊपर प्रतिबन्ध लगाते हैं और रेगुलेट करते हैं तो उसके लिये एक जबरदस्त स्टाफ की जरूरत होगी। इसमें खर्चा भी बढ़ेगा और करप्शन का भी अन्देशा था। इसलिये हमने उस पर बहुत बड़ा कंट्रोल रखने की बात नहीं सोची है। न स्टाफ है, न मार्केट यार्ड को हमारा रेगुलेट करने का मंशा है, लेकिन सवाल यह है कि अगर इस कानून की मंशा को डिफीट करने की कोशिश की जाय तो क्या हो। एक दफा १० (अ) हमने इसमें बढ़ा दिया है कि इस कानून के मुताल्लिक जो प्राविजन है उनको उचित संशोधन के साथ जहां मुनासिब समझेंगे और जहां पर समझेंगे कि लार्ज कन्ट्रावेन्शन हो रहा है तो वहां पर इसके प्राविजन को एस्टेंड कर देंगे। या गांव सभा के प्रधान को अधिकार दे देंगे या छोटे मोटे बाजार जो होते हैं, उनमें भी इस तरह का काम होता है तो ग्राम समाज या टाउन एरिया के प्रधान को अधिकार दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय, मार्केटिंग कमेटी के मेम्बर कौन-कौन होंगे इसके लिये खंड १२ है। उसमें जो शब्द पहले थे, उसके अनुसार जिला परिषद् का मेम्बर और क्षेत्र समिति का कोई रिप्रेजेन्टेटिव और उस इलाके से गया हुआ जिला परिषद् का सदस्य या उसके मेम्बर हो जाते थे। अब हमने इसको निकाल दिया। हम यह समझते हैं कि हर जगह जिला परिषद् के सदस्य या क्षेत्र समिति के नुमाइन्दे को रखना उचित नहीं है। वह मंडी जिस निकाय के जूरिस्डिक्शन के अन्दर हो, उस निकाय का रिप्रेजेन्टेटिव होगा चाहे वह म्युनिसिपैलिटी हो, चाहे टाउन एरिया हो, चाहे गांव सभा हो। अगर वह मंडी एक से ज्यादा निकायों या लोकल बाडीज के जूरिस्डिक्शन के अन्दर पड़ती है, दो गांव पंचायतों के जूरिस्डिक्शन के अन्दर आ जाती है या पास ही में नोटिफाइड एरिया और म्युनिसिपैलिटी दोनों हैं, दोनों के अन्दर पड़ जाती है जैसे झांसी में है तो हर लोकल बाडी का एक-एक नुमाइन्दा मार्केट कमेटी का मेम्बर होगा। अगर सेन्ट्रल वेयर हाउसिंग कारपोरेशन कोई है तो उसका भी एक नुमाइन्दा होगा। स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन चल रहा है तो उसका भी एक नुमाइन्दा होगा। पहले हमने एक लफ्ज रखा था सर्वेयर। जो बाजारों में काम करते हैं पल्लेदार वगैरह, उसमें सवयर भी एक नाम लिखा हुआ है। हमने मालूम किया तो पता लगा कि सर्वेयर किताबों में तो लिखा हुआ है, लेकिन वास्तव में हमारे प्रदेश में कोई सर्वेयर नाम की चीज है नहीं। इसलिये हमने सर्वेयर को निकाल दिया। इस तरह अब गैर किसान रिप्रेजेन्टेटिव्ज की संख्या ज्यादा हो गई तो हमने

किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज की संख्या आठ के बजाय दस कर दी और यह इस वजह से भी कर दिया कि किसानों के रिप्रेजेन्टेटिव्ज आयेंगे सारे मार्केट एरिया से, १०० गांव हुए तो उनके रिप्रेजेन्टेटिव्ज होंगे। गांव सभाओं से वह चुने जायेंगे। खैर, वह तो रूल्स में हो जायगा। लेकिन वह गांव के रहने वाले होंगे और सब लोग गांवों से मार्केट कमेटी की मीटिंग अटेंड करने के लिये कस्बे में आयें यह शायद सम्भव नहीं होगा। काफी लोग गैरहाजिर रहेंगे, तो बावजूद गैरहाजिरी के भी सबस्टेंशियल रिप्रजन्टशन उनका होता रहे, इसलिय उनकी तादाद आठ के बजाय दस कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, पहले यह था कि २-३ मेम्बर भी चुन जायं तो मार्केट कमेटी फौरन काम शुरू कर देगी। अब हमने ३-४ कर दिया है। और यह भी कर दिया है कि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन तो कमेटी का मेम्बर जो हो वह हो ही सकता है, उसके अलावा कमेटी का मेम्बर न हो, प्रोड्यूसर हो, उत्पादक हो और उस एरिया में रहता हो, तो उसको भी प्रेसीडेंट और वाइस-प्रेसीडेंट वह चुन सकते हैं, यही लिखा है। मार्केटिंग कमेटी जो होगी वह नामिनेटिंग बाडी होगी। पहले हमने इस नामिनेटिंग बाडी को दे रखा था ३ साल, अब कर दिया है १ साल। इसके संबंध में जो बाईलाज हैं, वह ज्यों के त्यों हैं, इसका आर्डर हमने बदल दिया है। अध्यक्ष महोदय, पहले हमारे इस विधेयक में ट्रेडर के लाइसेन्स को रिन्यु करने के सिलसिले में कोई प्रावीजन नहीं था। लेकिन कमेटी चाहे तो इनकार कर दे अगली बार रिन्यु करने से। ऐसा कोई प्रावीजन नहीं था और हमने उसको बढ़ा दिया है। इसी प्रकार विधेयक में एक खंड है जिसमें लिखा है कि कमेटी जो उसके पास धन होगा उसको किस प्रकार व्यय करे। तो उसमें हमने बढ़ा दिया है कि किसानों के फायदे के लिये जितनी भी सूचनायें होंगी क्रय-विक्रय के संबंध में, वह सूचनायें इकट्ठा कर लें। उसको किसानों की मंडी में बतलाने के लिये खर्च कर सकते हैं। इसी तरह से अगर वह मार्केटिंग कमेटी चाहे तो अन्य ऐसे ही कामों में खर्च कर सकती हैं, कर्ज भी दे सकती हैं। एक बात फीस वगैरह की है, उसमें फीस नहीं रखी थी। उन्होंने कहा है कि फीस रख दी जायगी। अध्यक्ष महोदय, हमने अख्तयार दिया है मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी को या किसी अन्य अधिकारी को, जिसको कमेटी उचित समझे, अपने उत्तरदायित्व को निभाने के लिये कि अगर किसी मकान या किसी वेहिकिल वगैरह की तलाशी लेना चाहें, तो तलाशी ले सकते हैं और बाकी बातें ज्यों की त्यों हैं। इस विधेयक का जो नक्शा है, उसकी बसिक बातें वही हैं और जो संशोधन किये गये हैं उनको मैंने समझाने की कोशिश की। मैं आशा करता हूं कि यह संशोधन विधयक माननीय सदस्यों को मंजूर होगा।

(इस समय १२ बजकर ४९ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट पीठासीन हुए।)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ तब तक पूर्णतया सार्थक नहीं है जब तक कि राज्य सरकार पहले एक निश्चित दामनीति निर्धारित करे। मंडी विधेयक बिना निश्चित दामनीति के उत्पादकों की दोहरी लूट रोकने में बिल्कुल असमर्थ है। अतः यह विधेयक तीन माह तक जनमत के लिये घुमाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय लगेगा आपको ?

श्री राधेश्याम शर्मा—

जितनी देर में खतम हो जाय। आदरणीय चौधरी चरणसिंह साहब के डिस्कसन के पहले भी उत्तर प्रदेश मंडी विधेयक इस सदन में लाया गया था। इस पर सेलेक्ट कमेटी में भी बातें हुईं और प्रवर समिति से भी यह विधेयक लौट कर आया है। यह उत्तर प्रदेश मंडी विधेयक, जिसको आज लाया गया है, अगर वह इसलिये है कि कुछ प्यासे लोगों का ओस से

[श्री राधेश्याम शर्मा]

मुंह भर जाय, पानी पीकर प्यास बुझ जाय, या फटे कपड़े की जगह कुछ पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर लिया जाय, तब तो बात दूसरी है, वरना मैं तो नहीं समझता कि इस विधेयक से कोई विशेष फायदा किसानों को होने वाला है। चौधरी चरणसिंह जी मेरठ के किसान हैं और मैं भी मथुरा का किसान हूं। मैं देहातों की हालत जानता हूं, किसानों की खेती की हालत जानता हूं और मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश में किसानों की क्या हालत है। जब तक आप उत्तर प्रदेश के सारे किसानों की परिस्थिति का ज्ञान न कर सकें तब तक यह विधेयक कारगर नहीं हो सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ४ करोड़ एकड़ भूमि है खेती करने योग्य। एक बार श्री ऊदल ने इस हाउस में कहा था कि ८ लाख एकड़ भूमि पर बड़े लोगों का कब्जा है। तब श्री चरणसिंह ने कहा था कि अगर ८ लाख एकड़ के करीब होगी तो मैं कम्युनिस्ट पार्टी का मेम्बर बन जाऊंगा। यह मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ८ लाख एकड़ जमीन २ प्रतिशत काश्तकारों के पास है और ८२ प्रतिशत किसान आज अलाभकर जोत वाले हैं और उसमें ३० प्रतिशत ऐसे हैं जो मंडियों में आ सकते हैं, वरना बकाया लोग अपने गांव में ही सौदा कर लेते हैं। उनको साफ-साफ मालूम होना चाहिये कि आज जिस संकट से किसान गुजर रहा है, उसमें खासकर के अलाभकर जोत वालों से लगान की, कोआपरेटिव की वसूली की जाती है, अनेक प्रकार के टैक्स वसूल किये जाते हैं। उनका गल्ला खलिहान में भी नहीं आने पाता। चरणसिंह जी जानते हैं कि गांव का बनिया या व्यापारी उसको खरीदकर उसे पैसा दे देता है, वह मंडी तक नहीं आने पाते हैं। अगर आप यह २५-२६ या ३० फीसदी किसान जो मंडी में आ सकते हैं उनके लिये विधेयक लाये हैं तो बात दूसरी है। ८५ फीसदी किसानों का फायदा तभी हो सकता है जब मंडी विधेयक लाने से पहले उत्तर प्रदेश सरकार के अन्दर अगर दम है तो केन्द्रीय सरकार से कहे कि एक निश्चित दामनीति बने। जब भावों का उतार-चढ़ाव होता रहेगा कि काश्तकार का गेहूं या मोटा अनाज तो १६ रुपये और १२ रुपये मन बिके और उसको अपने खाने के लिये और बीज के लिये जरूरत हो तो ३०-३५ और ४० रुपये मन तक चला जाय, जब तक यह परिस्थिति है तो इस विधेयक की क्या आवश्यकता है।

श्री चरणसिंह--

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उपस्थित करता हूं। हमारे मित्र ने जो अमेंडमेंट पेश किया है वह यह है कि "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि राज्य सरकार पहले एक निश्चित दामनीति निर्धारित करे। मंडी विधेयक बिना निश्चित दाम नीति के उत्पादकों की दोहरी लूट रोकने में बिलकुल असमर्थ है। अतः यह विधेयक तीन माह तक जनमत के लिये घुमाया जाय।" अध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मंशा दाम नीति से कुछ नहीं है, दाम नीति निर्धारण से कोई इसका ताल्लुक नहीं है। इसका मंशा केवल यह है कि जो भी किसान मंडी में अपना सामान बेचने के लिये ले जाय तो अपने आप को असहाय महसूस न करे और उसकी जो लूट होती है और तरह-तरह की कटौतियां काटी जाती हैं और उसकी जहालत का फायदा उठाया जाता है, उससे उसकी रक्षा की जाय। प्राइस का प्रश्न अलग है, गवर्नमेंट आफ इंडिया उसपर विचार कर रही है। आपका संशोधन यह है कि दामनीति तय की जाय और जनमत के लिये इसको भेजा जाय तो वह सवाल ही नहीं उठता। इसलिये मेरी गुजारिश है कि यह बिलकुल अनकांस्टीट्यूशनल है और आउट आफ आर्डर है।

श्री अधिष्ठाता--

राधेश्याम जी, आप बैठें, मैं व्यवस्था दे दूं। यह जो अमेंडमेंट राधेश्याम जी का है वह आ गया है, उनको अधिकार है कि विधेयक में जो कमी है, उसको संशोधन के जरिये रफा कर सकें, इसलिये वह अपने संशोधन पर भाषण कर सकते हैं।

श्री चरणसिंह---

आप की रूलिंग हो गयी, वह बात दूसरी है, लेकिन मैं निवेदन करूं कि यह विधेयक क परव्यू के बाहर की बात है जो दामनीति का जिक्र है।

श्री अधिष्ठाता--

चूंकि भाषण जारी हो चुका है, उसके पहले कोई प्वाइंट आफ आर्डर रेज नहीं किया गया इसलिये वह अपना भाषण जारी रखें।

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं माननीय चरणसिंह जी को समझाना चाहता हूं कि मैंने आपके इस उत्तर प्रदेश मंडी विधेयक की पूरी गीता और भागवत को पढ़ा है और बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। जब तक दामनीति निर्धारित नहीं होगी, किसान का भला किसी हालत में नहीं होगा।

श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)--

आप उनको बोलने की इजाजत दे रहे हैं या जो संशोधन है उसे पेश करने की इजाजत दे रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

जो प्वाइंट आफ आर्डर माननीय मंत्री जी की ओर से उठाया गया था, उसको मैंने रूल आउट कर दिया है और जो संशोधन माननीय राधेश्याम जी ने पेश किया है उस पर वे बोलेंगे।

श्री राधेश्याम शर्मा--

तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि काश्तकार का तब तक भला नहीं होगा जब तक कि दामनीति निर्धारित न हो जाय। उत्तर प्रदेश की सरकार को, अगर वह किसानों का हित चाहती है, तो उसे केन्द्रीय सरकार से बार-बार आग्रह करना चाहिये कि वह एक प्रगतिशील दामनीति निर्धारित करे। सोशलिस्ट पार्टी ने जनता के बीच और विधान सभा में बार-बार इस बात को कहा है कि जब फसल तैयार हो उसक पहल उसकी कीमत निर्धारित की जाय और उसमें अधिक से अधिक एक आना सेर से ज्यादा का फर्क न हो। १६ रुपये मन अगर फसल बिकी है तो साढ़े १८ रुपये से अधिक उसका भाव नहीं जाना चाहिये।

इसके अलावा किसान की जरूरत की जितनी भी चीजें हैं, उसके औजार वगैरह, वह सब लागत खर्च से ड्योढ़े भाव पर उसको नहीं मिलना चाहिये। उस तरफ तो सरकार का ध्यान जाता नहीं, ध्यान जाता है आढ़तियों की तरफ, या पल्लेदारों की तरफ। इस तरफ ध्यान नहीं जाता कि काश्तकार को गल्ले की उचित कीमत मिले। किसान को जब भी जरूरत पड़े उसे उचित भाव पर गल्ला मिलना चाहिये। (व्यवधान)

इसलिये अधिष्ठाता महोदय, मैंने अपना प्रस्ताव रखा है कि इस बिल को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय और उसके बाद इस विधेयक को एक निश्चित दामनीति निर्धारित करके यहां सदन में लाया जाय।

दिल्ली की सरकार के सामने या यहां की सरकार के सामने अगर कोई प्रतिष्ठा का प्रश्न इस बात से हो कि यह सोशलिस्ट पार्टी ने रखा है तो आप १ आना सेर की जगह ५ पैसे कर सकते हैं। इस विधेयक से कोई लाभ किसान को होने वाला नहीं है। २ परसेंट बड़े-बड़े फार्म वालों को लाभ हो जायेगा, कुछ साधन सम्पन्न लोगों को लाभ हो जायेगा, किसान को लाभ नहीं होगा। अतः मेरा यह निश्चित मत है कि इसे जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय। उसके बाद यह सरकार इस विधेयक को यहां लाये, हम पास करेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा संशोधन इस प्रकार है :

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, को एक प्रवर समिति को पुनः सुपुर्द किया जाय, जिसे परिधि बढ़ाने का अधिकार हो, जो अपनी रपट १ माह के अन्दर दे दें।

(समिति के सदस्यों की नामावली बाद को दी जावेगी)

इस संशोधन के पुनः लाने का कारण यह है कि इस बिल के जरिये किसानों को जितनी राहत दिलाने का मकसद है वह पूरा नहीं हो रहा है। जसा साथी राधेश्याम जी ने कहा, भाव वाला सवाल बहुत अहम है और वह इसमें होना चाहिये। मंत्री जी कहते हैं कि इस विधेयक की मंशा भावों को ठीक करने की नहीं है। यह मंत्री जी की मंशा हो या न हो, लेकिन आज समूचा उत्तर प्रदेश क्या सारा हिन्दुस्तान, इस बात को चाहता है और इसका इस विधेयक में हल करना बहुत आवश्यक है। आप जानते हैं कि किसान तरह तरह के टैक्सों से ही नहीं लूटा जाता है बल्कि भाव में भी उसकी लूट हो रही है। हमारा गेहूं १६ और १७ रुपये मन लेकर आज हमको ६० और ७० रुपये मन पर दिया जा रहा है। इस बात को ठीक करने के लिये कोई योजना इस विधेयक में नहीं है, यद्यपि इसका नाम रखा है मंडी विधेयक। किसान जब जाग्रत हो जायगा तो वह सिर फोड़ कर ठीक कर लेगा। अब तो हालत यह ह कि ज्यों ही चैत का महीना आता है भाव गिरने लगते हैं और किसान की फसल के वाजिब दाम दिलाने के लिये सरकार ने इस विधेयक में कुछ भी नहीं किया है। बैसाख में जब किसान के घर में गल्ला आता है, उस समय सरकार की भी मालगुजारी की वसूली, सिंचाई की और तकावी की वसूली जारी हो जाती है और साहूकार भी अपना कर्जा वसूल करने के लिये उसी समय पहुंचता है, तथा उसके रिश्तेदार भी न्योते के लिये पहुंचते हैं। इन सबका नतीजा यह होता कि किसान को अपना गल्ला सस्ता बेचना पड़ता है। ये सब चांप उसके ऊपर होते हैं। साथ ही शादी-विवाह के लिये किसान को कारखानों का माल महंगा खरीदना पड़ता है। आज किसान बाजारों में विद्रोह करने पर उतारू हो गया ह। व्यापारी हमार गल्ले को दो एक महीन अपन गोदाम में रख कर तिगुने और चौगुने दाम पर हमें बेता है। यह सरकार तमाशा देख रही है। किसान के बेटे चरणसिंह जी भी कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस विधेयक का नाम आप कोई दूसरा रखिये, तो भी कुछ समझ में आवे, वरना नाम है चीनी प्रसाद और लज्जत चोटा की भी नहीं ह।

भीखालाल जी ने इस ओर समिति का ध्यान और चरणसिंह जी का ध्यान खींचा भी, भीखालाल जी ने लिखा कि कृषि उत्पादकों की उच्चतम और न्यूनतम कीमत प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिये निश्चित की जानी चाहिये। अकाल दूर करने के लिये सरकार ने आदेश निकाला, लेकिन व्यापारियों के भाव पर कोई प्रबन्ध नहीं है। सरकार एक समिति द्वारा गल्ला खरीदे और जब तक व्यापारी उस भाव से ऊपर खरीदने के लिये तैयार नहीं हों तब तक सरकार खरीदे जाय। किसान की लागत और एक मुनाफा देखकर भाव तय होना चाहिये। हमारे यहां परतावल के बाजार में किसान ऐसी लूटों को सिपावे से ठीक करता है। मुंडेरा में हमारा गल्ला जाता था, लेकिन उस समय लूटों के लिये हम लोग मंत्री जी के विधेयक की जरूरत नहीं समझते थे। ऐसी लूट को तो लोग स्वयं ही खत्म कर लिया करते थे, लाठी के बल पर ठीक हो जाया करता था, लेकिन जो बाजार के भाव की लूट है उसके बारे में जो यह कहावत प्रसिद्ध है कि भाव और मौत को कोई नहीं जान सकता, वह दूकानदार और व्यापारियों द्वारा लूट होती है। सरकार के पास इस विधेयक में भाव वाले सवाल को बिलकुल नहीं रखा गया है। इसलिये जरूरी है कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि इसमें भाव में लूट रोकनेवाली धारायें भी आ जायं। इससे उपभोक्ता त्राण पा जायगा। जब गल्ला सस्ता होता है तो उपभोक्ता समझता है कि अब तो हमको सस्ता ही मिलेगा, लेकिन दो महीने के बाद जब वह व्यापारियों के गोदामों में चला जाता है या उनके जरिये से बैंकों के गोदामों में चला

जाता है तो उसको बहुत ही महंगे दामों में गल्ला और दूसरी चीजें खरीदनी पड़ती हैं। उपभोक्ता समझता है कि यह लूट किसानों द्वारा की जा रही है लेकिन लूटता है व्यापारी और सरकार। इसलिये सरकार को चाहिये कि निम्नतम दाम लागत, आदि को ध्यान में रखकर निम्नतम दाम किसान का जीवन उच्चतम और भव्यतम् के साथ मुकर्रर कर दे और उस समय तक सरकार या मंडी समितियां गल्ला खरीदे जब तक कि उस भाव से ज्यादा पर व्यापारी खरीदने के लिये तैयार न हो जायं। इसके अलावा उच्चतम भाव भी १६ प्रतिशत अधिकतम के साथ मुकर्रर कर दे ताकि लोगों को किसी हालत में भी अधिक दाम न देना पड़े। और यदि उच्चतम् दाम से आगे भाव जाय तब सरकार अपना खरीदा गल्ला बाजार में डाल दे और कमी पड़ने पर बाहर से मंगा ले ताकि उपभोक्ताओं को उच्चतम दाम से ज्यादा न देना पड़े। इससे किसानों को भी ठीक दाम मिल जायगा और दूसरी ओर उपभोक्ता को भी ठीक दामों में चीज मिल जायगी। लेकिन किसानों को राहत दिलाने के नाम पर इस विधेयक द्वारा किसानों को धोखे में डालने का प्रयत्न किया जा रहा है। एक तरफ तो भावों को बढ़ा कर जनता की लूट हो रही है दूसरी ओर उसी समय मंत्री जी इस बिल को लाकर लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। उस धूल को हटाने का यही तरीका है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

जहां तक कमेटी बनाने का सवाल है उसमें सहकारी समिति, केन्द्रीय गोदाम निगम, व्यापारियों का, सब का एक-एक प्रतिनिधि होगा। सहकारी समिति तो खरीदने और बेचने वाली समिति होगी, वह तो एक प्रकार से व्यापारी ही हुई, इसके अलावा उसमें सरकारी भी प्रतिनिधि होंगे, सोसाइटी और निगम भी एक प्रकार से सरकार के ही होंगे। इसका नतीजा यह होगा कम नोटिस पर मीटिंग्स बुलाई जायेंगी, जिनमें किसानों के प्रतिनिधि आ न सकेंगे। इसलिये जरूरत इस बात की है कि किसानों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि उनमें ज्यादा हों तथा किसानों के इतने प्रतिनिधि हों कि लापरवाही करने पर भी उन्हीं का बहुमत कमेटी में हो।

इसके अलावा बाजार में सरकार अब तो सांड़ छोड़ने जा रही है। अभी कल ही एक विधेयक के अनुसार एक सांड़ पशुधन अधिकारी के रूप में गांवों में छोड़ा गया है जो गांव गांव में घूमा करेगा और जनता को लूटेगा। एक तरफ तो सरकार पंचायतीराज की बात कहती है और दूसरी तरफ जितनी कमेटियां सरकार बनाती है, उनके सारे अधिकार वह अपने हाथों में ले लेती है। अब बाजारों में पंचायतीराज के बजाय इन्सपेक्टरी राज होगा और इस विधेयक के अनुसार भी सरकार इन्सपेक्टरी राज बनाने जा रही है इसीलिये मैं कहता हूं कि विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि जो इन्सपेक्टरीपना है इस बिल के अन्तर्गत वह समाप्त हो। मुकम्मल अधिकार पंचायतों का होना चाहिये ताकि सही लाने में पंचायती राज फले फूलें। इसीलिये अधिष्ठाता महोदय, गम्भीरता के साथ मेरी राय है तथा बहुत से लोगों की यह राय है कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द हो ताकि पुनः इस पर गम्भीरता के साथ विचार हो और जो बातें इसमें छूट गयी हैं वे भी आवें ताकि इस मंडी विधेयक के अनुसार किसान, पल्लेदार और उपभोक्ता भी राहत पायें, इसका भी इस विधेयक में प्राविजन किया जाय।

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता जी, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव करता हूं—"यह सदन निश्चय करता है कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को पुनः सौंपा जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करे। समिति को विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो।"

[श्री भीखालाल]

श्रीमन्, मैंने बहुत सोच समझ कर यह संशोधन रखा है और मेरा अनुमान है कि जिस रूप में यह मंडी विधेयक सेलेक्ट कमेटी से वापस आया है और जिस उद्देश्य के लिये यह विधेयक बनाया गया है कि उससे जनता को लाभ पहुंचे, कृषि उत्पादकों को लाभ पहुंचे, उसकी पूर्ति यह नहीं करता। इसीलिये जिस समय पहली बार यह विधेयक इस सदन में पेश हुआ था और माननीय मंत्री जी ने इसको प्रवर समिति में जाने का प्रस्ताव रखा था, उसका मैंने समर्थन किया था। सौभाग्य से उस कमेटी का मैं सदस्य भी था। उस कमेटी में मैंने इस बिल में मौलिक सुधार करने का कुछ प्रयास किया और इस बात की कोशिश की कि यह बिल जिस उद्देश्य से लाया गया है, उन आवश्यकताओं को पूरा करें जिससे प्रदेश की जनता का कुछ लाभ हो सके। लेकिन मेरा वह सुझाव समिति ने यह कह कर अस्वीकार कर दिया कि वह विधेयक की परिधि से बाहर है। इसीलिये मैंने यह संशोधन रखा है कि इस विधेयक की परिधि को बढ़ाने की व्यवस्था की जाय। इसकी परिधि बढ़ाने की बात मैंने इसीलिये कही कि माननीय मंत्री जी कहीं एतराज न करें कि जो बातें मैं कहना चाहता हूं वह इसकी सीमा के अन्तर्गत नहीं हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा था कि मंडी विधेयक का एक खास उद्देश्य है और इसीलिये यह लाया गया है। मंडियों में किसानों के साथ जो लूट होती है उसी को रोकने के लिये यह विधेयक आया है। ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जिनको इस विधेयक के बनाते समय विचार न करना या उनको नजरन्दाज कर जाना भल होगी और हमारे प्रदेश के लिये भी हानिकारक सिद्ध होगा। इसीलिये मैंने यह संशोधन सोच समझ कर और मजबूती के साथ रखा है। इसमें कुछ खामियां हैं, जिनको दूर करने के लिये ही इसे ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी में भेजने का मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसे दोनों सदनों की समिति को सौंपा जाय और इस पर विचार हो।

एक बात मैं पहले ही कह देना आवश्यक समझता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी बातों का जब उत्तर देंगे तो जरूर कहेंगे--क्योंकि पिछली बार जब यह विधेयक सदन में प्रस्तुत किया गया था तो उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि यह विधेयक जल्दी पास किया जाय क्योंकि उसे हम जल्दी लागू करना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि वे जिन २०० मंडियों को अपने नियंत्रण में लेना चाहते हैं उनका ठीक तरह से नियंत्रण हो और इसमें भी कोई दो रायें नहीं हैं कि इसको जल्दी लागू होना चाहिये। लेकिन इस बिना पर अगर इस बात का जवाब दिया जाय कि हमने जो ३ मास की अवधि मांगी है कि इसे संयुक्त प्रवर समिति में भेजा जाय, यह हमारी तरफ से कोई देर लगाने का तरीका है, यह दलील उचित न होगी। मैंने निवेदन किया कि जहां तक जल्दी का सवाल है उसमें भी....

श्री चरणसिंह--

यह दलील हम नहीं देंगे।

श्री भीखालाल--

ठीक है, तो मैं इस बात को छोड़ देता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य जो इसमें दिया गया है वह यह है कि "ऐसे बहु-स्थानीय व्यापार-परिव्ययों, उद्ग्रहणों तथा आहरणों का कम करना, जो इस समय उत्पादक विक्रेताओं से लिये जाते हैं। सही, बांटों तथा तराजुओं के सत्यापन की व्यवस्था करना और यह देखना कि उत्पादक-विक्रेता अपने उचित भाग से वंचित न हों, मंडी समितियां स्थापित करना, जिनमें कृषि उत्पादक को उसका उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त हो, यह सुनिश्चित करना कि समस्त रूप से मंडी की उन्नति के लिये मंडी-निधियों का उचित प्रयोग करने के संबंध में कृषि उत्पादक की बात भी सुनी जाय, कृषि उत्पादन के विक्रय के संबंध में विवादों को न्यायोचित रूप से निपटाने की व्यवस्था करना, उत्पादक विक्रेता के लिये मंडियों में सुविधा की व्यवस्था करना, संग्रह की अपेक्षाकृत अच्छी सुविधायें देने का प्रबन्ध करना, उत्पादक विक्रेता से लिये जाने वाले अनुचित तथा अप्राधिकृत परिव्ययों तथा उद्ग्रहणों को बन्द करना और मंडी सम्बन्धी सूचनायें प्राप्त करने के लिये पर्याप्त प्रबन्ध करना, जिससे कि कृषि उत्पादकों को उनके उत्पादन का क्रय-विक्रय करने वाली मंडियों से

संबंधित नवीनतम स्थिति की सूचना मिलती रहे। मुख्य रूप से इस बिल के दो स्पष्ट उद्देश्य हैं, एक यह कि उत्पादकों को बिचौलियों और मुनाफाखोरों के शोषण से बचाना और दूसरा कृषकों को उनकी पैदावार का उचित मूल्य दिलाने के योग्य बनाना। इन्हीं दो उद्देश्यों की कसौटी पर इस विधेयक को देखना है कि यह इन पर ठीक उतरता है या नहीं।

जहां तक पहले उद्देश्य का सम्बन्ध है बिचौलियों की लूट से बचाना, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं और जानता हूं कि इन बिचौलियों के द्वारा किसानों की कितनी लूट होती है, अनेकों प्रथायें हैं जिनके द्वारा लूट होती है और कटौतियां होती हैं जिनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्रीजी पहले ही उसका विवरण दे चुके हैं। अब इधर किसानों में जरूर कुछ जागरूकता आई है, जिससे इन कटौतियों में कुछ कमी हुई है और कुछ प्रथाओं ने नया रूप धारण कर लिया है। पहले कटौतियां अन्न रूप में होती थीं। जब किसान बैलगाड़ी लेकर मंडी आता था तो उसका एक मन पक्का अनाज कटौतियों में कट जाता था। अब भी बहुत सी मंडियों में यह हो सकता है कि कटौतियां गल्ले के ही रूप में होती हों। लेकिन अब चूंकि गल्ला महंगा हो गया है, इसलिये गल्ले की कटौती कम हो गई है और नकदी में कटौती की प्रथा जारी हो गई है। पहले की सी मात्रा में चाहे अब न हो, लेकिन अब भी दोनों तरह की कटौती होतीं हैं। गलत बाट, तराजू, भाव आदि के नाम पर बहुत सी कटौतियां होती हैं। कुछ गल्ले को स्टैण्डर्ड में हेर फेर कर के अनेकों प्रकार से करते हैं। अब देखना यह है कि आज जो मौजूदा परिस्थिति में कटौतियां की जाती हैं, उनसे यह बिल किस हद तक छुटकारा देता है और कितनी कटौतियां इसके द्वारा जायज कर दी गई हैं और कितनी छूट किसानों को मिली है। यह कटौतियां उत्पादकों से किस सीमा तक होती हैं। मुझे सूबे की मंडियों की प्रथाओं की व्यक्तिगत जानकारी तो नहीं है, परन्तु जिन मंडियों की जानकारी है, उसकी बिना पर मैं पुरानी व चालू व्यवस्था व नई व्यवस्था जो इस विधेयक के द्वारा होगी का विश्लेषण आपके द्वारा सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। जब उत्पादक गल्ला मंडी में लाते हैं तो आढ़ती जो कच्चे और पक्के दो तरह के हैं, उनके द्वारा अपना गल्ला बेचता है और उन्हीं के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की कटौतियां होती हैं। वह गल्ला जो व्यापारी के हाथ बिकवाया जाता है, वह आढ़ती १ रुपया सैकड़ा कमीशन लेता है। इसके अलावा कुछ और भी प्रथायें हैं, धर्मादे के नाम पर १ आना प्रति सैकड़ा काटा जाता है, १ पैसा फी सैकड़ा कमेटी का चन्दा काटा जाता है। एक पैसा फी बोरा जिस जमीन पर बैलगाड़ी खड़ी होती है उसका किराया काटा जाता है। पिछली दो कटौतियां केवल कच्चे आढ़ती करते हैं। पक्के आढ़ती तो १ रुपया फी सैकड़ा बिकबाली और १ आना फी सैकड़ा धर्मादा काटते हैं। कुछ और कटौतियां हो सकती हैं जो गल्ले के रूप में अब भी होती हैं। मुझे बहुत सी मंडियों का अनुभव नहीं है, एक दो का है जो मैं बता रहा हूं। अब नये विधेयक के अनुसार मंडी शुल्क उत्पादक से लिया जायगा। जो आधा प्रतिशत होगा, यानी ८ आना फी सैकड़ा। यह विधेयक किसान को केवल ९ आना फी सैकड़ा की बचत कराता है। किसान एक बैलगाड़ी में गल्ला ले जाता है, जिसमें करीब ५०० रु० का गल्ला आता है तो इस तरह से २ रु० १३ आने की बचत उस किसान को यह विधेयक दिलाता है। दूसरी तरफ खरीदने वाले से आढ़तिये कितनी कटौती करते हैं यह भी देखने की जरूरत है। उससे १ रु० ९ आना फी सैकड़ा बिकवाई लेते हैं। यह सब आढ़तिये का ही नहीं होता। उसमें से १ रु० तो सेल्स टैक्स में जमा होता है और ९ आना आढ़तिया लेता है। आढ़तिया किसानों को क्या सहूलियत देते हैं? व्यापारी से जो कमीशन आढ़तिया ९ आना लेता है उसके बदले में वह व्यापारी की ओर से अगर किसान को कीमत का भुगतान कर देता है और बाद में वह उससे वसूल करता रहता है। व्यापारी ३ दिन के अन्दर आढ़तिये को भुगातन कर देता है तो वह ३ आने की छूट दे देता है। इस तरह से आढ़तिये का कमीशन ६ आना ही रह जाता है। अब इस विधेयक के जरिये व्यापारी से कितनी कटौती होगी, क्योंकि जितनी कटौती होगी वह सब खरीदार को पड़ेगी। कितनी कटौती उस खरीदार को पड़ेगी, यह इस विधेयक से स्पष्ट नहीं है क्योंकि इसको निश्चित करने का अधिकार मंडी समिति को दिया गया है। पर मेरा खयाल है कि ६ आने से किसी हालत में कम नहीं हो सकती। अब यह साफ जाहिर हो गया कि यह विधेयक बिचौलिये की लूट से

[श्री भीखालाल]

उत्पादक व व्यापारी को किस हद तक बचाता है। जो नक्शा मैंने आप के सामने रखा है, उससे स्पष्ट है कि बहुत ही सीमित छूट दिला पाता है।

दूसरा उद्देश्य है कि किसान को उनकी उचित कीमत दिलाने योग्य बनाना। यह प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। अगर हम चाहते हैं कि इस कानून के जरिये किसान को इस योग्य बनायें तो यह विधेयक उस दिशा में कोई मदद नहीं करता। उसके लिये हमको कीमतों पर जाना पड़ेगा, वरना उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती। यह सब जानते हैं कि किसान के घर जब गल्ला आता है उस पर कितने आर्थिक दबाव पड़ते हैं। मालगुजारी, सरकारी टैक्स, सिंचाई, लगान, महाजन का कर्ज और अन्य सामाजिक कार्य का तकाजा, इन सब को पूरा करने के लिये वह मजबूर होता है कि अपना गल्ला जल्द से जल्द बेंचे। इसलिये मुनाफाखोर उनकी मजबूरी से फायदा उठाते हैं और यह भी सर्वविदित है कि जिस समय किसान के यहां से गल्ला निकल कर व्यापारियों के भंडार में चला जाता है तो किस दाम पर बिकता है। पिछले साल और इस साल का अनुभव इस बात को सिद्ध करता है कि भाव में किस कदर अन्तर हुआ है। पिछले साल १६ रु० मन का खरीदा गेहूं ३०, ३२ रु० मन बिचौलियों ने बेचा और किसान और उपभोक्ता का शोषण हुआ। इस साल में २० रु० मन में खरीदा हुआ गेहूं ४० रु० मन बेचा जा रहा है। सरकार इसको रोक नहीं पाती है और न रोक सकती है। सरकार जब रोकने का प्रयास करती है तो मुनाफाखोर उसकी सब योजनायें फेल कर देता है, सरकार लुंज-पुंज हो जाती है। सरकार के मंत्रीगण निहत्थे हो जाते हैं और अन्त में ये उनके सामने घुटने टेक देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि आप कीमतें गिरायें। खाद्य मंत्री खाद्यान्न व्यापारियों को बुला कर कहते हैं कि आप लोग कीमतें गिराइये। मुरादाबाद में भाषण करते समय आपने (खाद्य मंत्री) कहा था कि अगर आपने ३० रु० प्रति मन चावल खरीदा है तो उसे २४ रु० प्रति मन बेचिए और अपनी देशभक्ति का परिचय दीजिए। ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्यमंत्री को उनकी देशभक्ति पर बड़ा विश्वास है। जब देश की जनता भूखों मर रही है आप उनमें देशभक्ति टटोल रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई मजबूत कानून नहीं है जो उनके भंडारों से आप गल्ला निकलवा सकें। अगर सरकार कीमतें बढ़ने से रोकना चाहती है तो उसे गल्ले की कीमतों को मुकर्रर करना चाहिए था। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अब वह समय आ गया है कि जब इस प्रश्न को अधिक दिन तक टाला नहीं जा सकता है। आपको इस चीज को मानना पड़ेगा। केन्द्रीय सरकार भी इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि दाम नीति निश्चित करनी पड़ेगी। योजना आयोग ने भी घोषणा की है कि दाम-नीति निश्चित करनी पड़ेगी, केन्द्रीय खाद्य मंत्री ने भी घोषणा की है कि दाम नीति निश्चित की जाय। तो क्या यह नीति केवल भाषणों से कार्यान्वित होगी या कोई अमली कदम उठाया जायेगा। उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जो इसी विषय पर है और इन्हीं अनुभवों के आधार पर लाया गया है, इसके लिए सुअवसर प्रदान करता है। इसके लिए मजबूत कानून बनाना पड़ेगा। अध्यादेशों और आर्डरों के सहारे गाड़ी नहीं चल सकती। आज ही सरकार ने एक आर्डर निकाला है, ऐन्टी होर्डिंग आर्डर, जिसमें यह प्रतिबन्ध है कि किसान १० क्विन्टल से ज्यादा नहीं रख सकता है और २५ किलोग्राम प्रति एकड़ अपनी बीज के लिए रखेगा और बाकी सब बेच देगा। मेरी राय में एक स्थायी कानून बनाया जाय। उसके जरिए सरकार अपनी नीति को घोषित करे। मौजूदा सरकार बिचौलियों और मुनाफाखोरों को नाराज नहीं करना चाहती है। इस आर्डर के मातहत हमारे किसान १० क्विन्टल से ज्यादा गल्ला नहीं रख सकते हैं और वह एक परिवार के लिए होगा। साथ ही साथ इसमें यह भी दिया हुआ है कि एक संयुक्त खाते में जितने परिवार सम्मिलित होंगे वह एक यूनिट समझे जावेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक संयुक्त खाते में जितने भी हों वे एक यूनिट समझे जायंगे। जमींदारी के वक्त में एक आदमी के नाम खाता होता था और जब वह मर जाता था तो उसके लड़कों में से बड़े लड़के के नाम खाता दर्ज हो जाता था, लेकिन सभी

वारिस अपने अपने हिस्से की जमीन जोतते थे। इस प्रकार एक खाते में इस समय कई-कई परिवार खेती करते हैं।

श्री चरणसिंह—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जहां तक किसान का सम्बन्ध है, किसान के अल्फाज में तो सारी एकोनौमी पर बहस हो सकती है। खाद्य होर्डिंग आर्डर में क्या पेश है उस पर मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं कि किस तरह से उनका प्रस्ताव आता है। एन्टी होर्डिंग आर्डर पर व्याख्यान हो रहा है वह किस तरह से इसमें आता है।

श्री अधिष्ठाता—

विषयान्तर हो रहा है। श्री भीखालाल जी आप कृपया अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध में ही बोलें।

श्री भीखालाल—

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। अगर हमारी बातें माननीय मंत्रीजी को कड़वी लगती हैं तो मैं दूसरी बात कहता हूं। लेकिन जब मैं दाम नीति पर अपना मत व्यक्त करूंगा तो दाम से सम्बन्धित सभी चीजों पर विचार करना पड़ेगा और उसमें होर्डिंग आ जाती है जिससे अलग नहीं रहा जा सकता। एंटी होर्डिंग ऐक्ट सरकार को इसीलिये लागू करना पड़ा क्योंकि सरकार के पास कोई निश्चित कानून नहीं है। किसी हद तक किसान भी होर्डिंग करता है इसको मैं मानता हूं। दो फीसदी ऐसे किसान हैं जिनके पास ७-८ लाख एकड़ जमीन है। उनकी सामर्थ्य है कि वे अपने गल्ले को रख कर भविष्य में ऊंचे दामों में बेच सकें। आपने कौन-सा इंसेंटिव दिया है कि वे बाजार में गल्ला लावें उनको इन्सेंटिव इस बात का मिलता है कि अगर ज्यादा दिन रखे रहे तो ४० रुपये मन के भाव से बेच सकते हैं, तो क्यों २० रुपये के भाव से उसी वक्त बेचें? अगर आप किसानों द्वारा होर्डिंग रोकना चाहते हैं तो कानून में व्यवस्था होनी चाहिये कि जिस समय भी वह बेंचेंगे उन्हें उचित दाम मिलेंगे। फिर क्यों होर्डिंग करेंगे और रिस्क लेंगे कि कीड़े मकोड़े लगें, छीजन हो और उनको नुकसान हो। इसलिये आपको दाम निश्चित करने की आवश्यकता है। जब तक दामों में अन्तर रहेगा होर्डिंग की प्रवृत्ति बढ़ती जायगी। मुनाफाखोर और जखीरेबाज होर्डिंग करेगा। अगर दाम निश्चित नहीं किये गये तो फिर यह विधेयक हमारी जनता को कुछ दे नहीं सकेगा। अगर कुछ दे सकेगा तो केवल यह कि जहां अभी तक हमारा उत्पादक मंडियों में बिचौलियों के जरिये लूटा जाता था अब दो एजेंसियां हो जायेंगी। एक तरफ उत्पादक और खरीदने वाला दोनों ही मंडी समितियों द्वारा लूटे जायेंगे और दूसरी तरफ उत्पादक बिचौलियों के जरिये लूटा जायगा।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। कल्पनार्थसिंह जी इस वक्त सो रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय कल्पनार्थसिंह जरा सदन की मर्यादा रखें।

श्री भीखालाल—

इसलिये जरूरी हो गया है कि कृषि उत्पादन में न्यूनतम और अधिकतम मूल्य निर्धारित किया जाय। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर केवल कानून बना दिया गया तो भी काम नहीं चलेगा। सरकार की जो मशीनरी है और कानून को लागू करने का जो तरीका है उससे बहुत से कानून अलमारियों में बन्द हैं लागू नहीं होते। कहीं इसका भी वही हश्र न हो जाय। कीमतें

[श्री भीखालाल]

निश्चित कर दीं गईं और प्रभावकारी ढंग से लागू न हुईं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसको लागू करने का यही रास्ता है कि जो निर्ख मुकर्रर किये जायं उन पर स्वंय सरकार खरीद फरोख्त करे। तभी किसान और उपभोक्ता को बिचौलियों की लूट से बचाया जा सकता है। जब तक यह नहीं किया जायगा तब तक यह उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। मंत्री जी कहेंगे कि यह तो स्टेट ट्रेडिंग की बात है इसमें नहीं आ सकती है। मंत्री जी का अगर कोई सैद्धान्तिक विरोध हो तब तो बात दूसरी है, वरना प्रदेशीय सरकार ने और केन्द्रीय सरकार ने निश्चित कर लिया है कि इसको अपनाया जाय। तो इसको लागू क्यों न किया जाय? मंत्री जी यह भी कहेंगे कि हमारे यहां विधेयक बहुत बाद में बना है जब कि अन्य सूबों में बहुत पहले बन चुका है। हमने उनके अनुभव पर यह विधेयक बनाया है और किसी भी विधेयक में यह बात नहीं है तो हम नई बात कैसे रखें? लेकिन हम कहना चाहते हैं कि आप को बहुत देर में होश आया है। १९३८ के बाद आप १९६३ में चेते हैं और उसके बाद भी अधूरा कानून बना रहे हैं। यह परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। यह कोई दलील नहीं है कि अगर अन्य सूबों के कानूनों में राजकीय व्यापार की व्यवस्था नहीं है तो हम भी उधर अग्रसर न हों। आज हमारा प्रदेश पहल करे और अन्य सूबों को रास्ता दिखाये कि यह सही रास्ता है इससे किसानों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। क्या कारण है कि आज महाराष्ट्र सरकार घोषणा कर सकती है कि हम व्यापार को राज्य के हाथ में लेंगे, आंध्र की सरकार कर सकती है, वेस्ट बंगाल कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार के लिये कौन सी बाधा है जो नहीं कर सकती है। आज सरकार को भावों को निश्चित करने के लिये स्पष्ट घोषणा करनी चाहिये और अन्न के व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहिये। तभी काम चल सकता है वरना यह विधेयक, जिसके बनाने में लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है, बेकार हो जायगा।

मेरा यह निश्चित मत है कि सरकार को इसके लिये कानून बनाने पड़ेंगे कि गल्ले की कीमत क्या हो और सरकार को व्यापार में दखल देना पड़ेगा। अगर कानून बनाने पड़ेंगे तो फिर पीस मील लेजिस्लेशन लाने से क्या फायदा है? अभी तो अवसर मिला है जिसमें व्यापक तरीके से सभी चीजों का समावेश किया जा सकता है तो क्यों नहीं रखना चाहते हैं? अगर नहीं रखेंगे तो हम समझेंगे कि जैसे आपके दूसरे विधेयक बेकार पड़े हुये हैं उसी तरह से यह भी सरकार के शो केस में ही रखने लायक हो जायगा। इसलिये मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि इसको ज्यादा दिन तक नहीं टाला जा सकता है।

विधेयक में मैं और भी कमियां पाता हूं। जहां तक मंडी की बात है इसमें सिर्फ उत्पादक ही नहीं होता है बल्कि उपभोक्ता भी होता है। इसमें ५० प्रतिशत उन छोटे-छोटे किसानों का हिस्सा होता है जिनके पास छोटी जमीनें हैं। वह अपना गल्ला फसल पर बेच देता है और बाद को बाजार से खरीद कर खाता है। इसलिये उपभोक्ता को भी सही कीमत पर गल्ला मिलना चाहिये। यह चीज नजरन्दाज नहीं की जा सकती है। यह तभी संभव हो सकता है कि जब उपभोक्ता और उत्पादक के बीच से बिचौलिया और मुनाफाखोरों को हटा दिया जाय। इसके लिये एक ही रास्ता है कि सहकारी क्रय-विक्रय समितियों की स्थापना हो। हमें देखना यह है कि उपभोक्ताओं को वाजिब कीमत पर अनाज मिले। इसके लिये सहकारी क्रय-विक्रय समितियां बनें। लेकिन इस विधेयक में इसके लिये कुछ नहीं है। मेरा इसके लिये सुझाव था, लेकिन उसको अस्वीकार कर दिया गया। इस विधेयक में इस बात का प्राविधान होना चाहिये कि आज जहां हम मंडियों में मंडी समितियां बनाने जा रहे हैं वहां उनके और कर्तव्यों में यह कर्तव्य भी होना चाहिये कि हर मंडी में तीन साल के अन्दर कम से कम एक-एक क्रय-विक्रय मारकेटिंग सोसाइटी स्थापित हों और एक प्रासेसिंग सोसाइटी की स्थापना की जाय जिसमें पूरे क्षेत्र के किसानों को और जितनी ऋण समितियां हैं उनके सदस्य बनने के लिये आवाहन करें और सरकार से ऋण और अनुदान मांगे, इसके कार्य को आगे बढ़ावें और खुद अपने भंडार खोलें, चीजों को खरीदें और बेचें ताकि उत्पादक और उपभोक्ता दोनों को लाभ पहुंचे सके। यह चीजें बहुत आवश्यक हैं लेकिन यह विधेयक उस तरफ बिलकुल खामोश है। माननीय चरणसिंह जी क्यों नाराज

हैं जो वह इन बातों को सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि उस तरफ भी विधेयक का इशारा होना चाहिये। मंडी समितियों का यह कर्तव्य है कि वह सहकारिता की ओर बढ़ें। मान्यवर, मैंने जो संशोधन रखा है वह यही है कि यह दोनों सदनों की समिति को फिर सौंपा जाय और उसको इस विधेयक की परिधि बढ़ाने का अधिकार हो जिससे इसमें समुचित संशोधन हो सकें और लाखों जनता को इससे लाभ हो सके वरना जो यह विधेयक है उससे लाभ होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी बदलती हुई परिस्थितियों में फिर से सोचें और सोच कर हमारे इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री बृजबिहारी (जिला आजमगढ़)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने इस विधेयक को पढ़ा है और जो संशोधन प्रस्तुत किये हैं उन्हें भी पढ़ा है और उन पर माननीय तीन सदस्य, माननीय राधेश्याम जी, माननीय चन्द्रबली सिंह जी और माननीय भीखालाल जी के भाषण को भी ध्यान से सुना है। इनके भाषणों में जो तथ्य हैं वह जहां तक मैं समझा हूं यही हैं कि इस विधेयक द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना भी आवश्यक है। कुछ इनके मन्तव्य को स्वीकार करने पर प्रश्न यह उठता है कि प्रस्तुत विधेयक में इसका समावेश हो भी सकता है या नहीं। मैं माननीय सदस्यों से विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर उन्होंने इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ लिया होता तो वे इन संशोधनों को कदापि प्रस्तुत न करते। इसके उद्देश्य में स्पष्ट किया गया है कि मंडियों में जो भ्रष्टाचार होता है उसको कैसे रोका जाय। हम सब इसे स्वीकार करते हैं कि भ्रष्टाचार है वहां।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)—

आपने कहा कि मंत्रियों में जो भ्रष्टाचार है उसको रोकने के लिये।

श्री बृजबिहारी—

"जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरति देखी तिन तैसी" माननीय मैनेजरसिंह को हमेशा मंत्रियों में भ्रष्टाचार ही दिखलाई पड़ता है इसीलिये उनको यहां भी वही दिखलाई पड़ा है। जितने माननीय सदस्य सदन में बैठे हैं उनमें अधिकतर ऐसे हैं जिनका खेती से संबंध है अधिक लोग गांवों से आते हैं और उनका मंडियों से भी संबंध अवश्य होगा। किसान जो अपना गल्ला मंडियों में ले जाता है उसकी वहां क्या हालत होती है, किस तरह से वह वहां लूटा जाता है किसी से यह छिपा नहीं है। एक ही तरह से नहीं, नाना प्रकार से उसको वहां लूटा जाता है। अधिष्ठाता महोदय, आप क्षमा करें तो मैं यह कहूंगा कि जैसे किसी पशु को जोंक लग जाती है और जोक उसके सारे खून को चूस लेती है उसी तरह से किसानों के मंडियों में नाना प्रकार की जोकें लग जाती हैं जो उसका सारा का सारा खून चूस लेती हैं उसका अधिकांश भाग समाप्त कर देते हैं इस बात को सरकार ने आज नहीं समझा है बल्कि सन् ३८ में ही समझ लिया था। मैं तो माननीय चरण सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं, उस समय जब वह मंत्री नहीं थे उन्होंने एक प्राइवेट बिल प्रस्तुत किया था सदस्य के रूप में जिसको सरकार ने स्वीकार कर लिया था। एक विधेयक भी उस समय तदनुसार लाया गया था। अभाग्यवश उस समय कांग्रेस गवर्नमेंट को इस्तीफा देना पड़ा था। नतीजा यह हुआ कि वह विधेयक हम नहीं ला सके। सारे देश में और प्रदेशों में करीब करीब हर जगह इस संबंध में विधेयक बन गया परन्तु उत्तर प्रदेश में जहां से यह आरम्भ हुआ था वहीं हम उसे नहीं बना सके। इस विधेयक की अति आवश्यकता थी, इसमें दो रायें नहीं हैं। इसे सब स्वीकार करते हैं जिन तीन माननीय सदस्यों का अब तक भाषण हुआ है उनका भी उद्देश्य यही है वह भी इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। उसके साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि इसमें कुछ बातें और होनी चाहियें मूल्यों के निर्धारण के संबंध में। माननीय भीखालाल जी ने कुछ और बातें कहीं कि इसमें उपभोक्ताओं के लिये भी कुछ प्राविधान होना चाहिये। उनकी बातें तो मैं स्वीकार कर सकता हूं उसमें कुछ तथ्य हैं लेकिन जो सुझाव माननीय राधेश्याम जी और माननीय चन्द्रबलीसिंह जी का आया है उसको तो मैं समझने में अपने को असमर्थ पाता हूं क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य और कारण में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि यह

[श्री बृजबिहारी]

विधेयक मूल्यों को भी निश्चित करने के लिये बनाया जा रहा है। यह तो इस अभिप्राय से बनाया जा रहा है कि जो भ्रष्टाचार मंडियों में होता है जो लूट खसोट मंडियों में होती है उसको रोका जाय और उसके लिये नियम, उप-नियम बनाये जायं। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये जो संशोधन यहां प्रस्तुत किये जायं उन पर हम विचार कर सकते हैं। बहरहाल अगर उसमें कुछ खामी है तो उसे बतलावें, हम इसमें संशोधन कर लेंगे।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है। मिश्र जी ने कहा कि जिन बातों को चन्द्रबलीसिंह ने उठाया है उसकी व्यवस्था इसमें नहीं है। वह जरा इसके उद्देश्य और कारण में पांचवें नम्बर पर देखें, उसमें लिखा है—कृषि उत्पादन के विक्रय के संबंध में विवादों को न्यायोचित रूप से निपटाने की व्यवस्था करना।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। उत्तर दे दीजियेगा।

श्री बृजबिहारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस उपखंड की तरफ माननीय चन्द्रबलीसिंह ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया उसमें कहीं इसका जिक्र नहीं है कि उचित मूल्य भी निर्धारित किये जायेंगे। मूल्य निर्धारित होना चाहिये, इसमें दो राय नहीं हैं। उनकी मंशा से मैं सहमत हूं कि इसके संबंध में व्यवस्था होनी चाहिये। प्रश्न केवल इतना है कि इस विधेयक में उसका समावेश किया जा सकता है या नहीं। और मेरा विनम्र निवेदन यह है कि इस विधेयक में इसके उद्देश्य और कारणों में यह प्रश्न नहीं आ सकता है। इसलिये यहां पर इस विधेयक के संबंध में यह कहना कि इसके द्वारा मूल्य निर्धारित किया जाय यह इसकी परिधि के बाहर है। यही मेरा आशय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मंडियों के लूट खसोट के संबंध में हम नियम बनाना चाहते हैं। इसके संबंध में माननीय मंत्री जी ने अपने प्रारम्भिक भाषण में बतलाया है कि जो पहला हमारा विधेयक था उसमें कुछ कमी थी और उन कमियों को दूर करके इसका संशोधन कर दिया गया है और कौन कौन से सुधार किये गये हैं। उसकी सूची उन्होंने दी है। मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक में उपभोक्ताओं, कृषकों और विक्रेताओं सब का हित दृष्टि में रखा गया है। इस योजना के अन्तर्गत ५० लाख रुपया व्यय किया जायगा। उसमें ३१ लाख २४ हजार रुपया कर्जा देने के लिये और १८ लाख ७६ हजार रुपया राज्य सहायता के लिये रखा गया है। राज सहायता का भार भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा ५०: ५० के आधार पर वहन किया जायगा। माननीय सदस्यों से मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस विधेयक द्वारा जो लाभ होने जा रहा है किसानों का, उपभोक्ताओं का और विक्रेताओं का यदि इसमें कोई कमी हो तो सुझाव देने की कृपा करें उसका स्वागत किया जायगा। आपको अधिकार है कि आप प्रस्ताव लायें और अगर वह उचित होगा तो सरकार उसे स्वीकार करेगी। हम और आप सभी चाहते हैं कि जनता की भलाई हो। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जो संशोधन पेश किये हैं उसको वापस ले लेंगे और इस विधेयक को विचार करके पारित करेंगे।

श्री मैनेजरसिंह—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है उस पर चर्चा दोनों तरफ से हुई। जो उत्पादकों की लूट बिचौलिया और मुनाफाखोर के द्वारा हो रही है वह नहीं होनी चाहिये इस पर सदन का एक मत है। मैं यह निवेदन करूंगा कि जो लूट उत्पादकों की इस प्रदेश में

हो रही है उसे मानते हुये भी यह सरकार आज तक उदासीन क्यों रही ? उद्देश्य और कारणों में मंत्री जी ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि जब सन् ३८ में कांग्रेस मंत्रिमंडल बना तो उस समय कानून बनाने की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को थी फिर भी इतने समय तक इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया, इससे बढ़कर अकर्मणयता और लूट की जिम्मेदारी और क्या साबित हो सकती है। जब कांग्रेस सरकार लगातार इस प्रदेश में हुकूमत कर रही है, माननीय कृषि मंत्री किसानों के दर्द समझते हैं और हम सभी इस सदन में यह स्वीकार करते हैं कि कृषि मंत्री को किसानों के उत्पीड़न की चिन्ता रहती है तो फिर क्यों यह विधेयक इतने विलम्ब से आया। इस विलम्ब का एक ही कारण है और वह यह कि मुनाफाखोरों और बिचवइयों का काफी असर कांग्रेस पार्टी के ऊपर है। यह कांग्रेस पार्टी का जो जाल बिछा है इस देश और प्रदेश में उसके संगठन के ढांचे में यह बिचवइये और मुनाफाखोर असर रखते हैं....

श्री चरणसिंह—

ईमानदारी की बात यह है कि सब पार्टियों पर असर है। आप लोग भी बरी नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

खादीवाला की बात आपने पढ़ी ?

श्री मैनेजरसिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब हमारी पार्टी की सरकार होगी तो हो सकता है कि हम में भी वह सम्मिलित होने का प्रयत्न करें। तो कृषि मंत्री जी कम से कम इस बात को तो स्वीकार करते हैं कि उनकी पार्टी पर उनका असर है और इसलिये यह विधेयक विलम्ब से आया। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर विलम्ब से आया तो इसको सही रूप में आना चाहिये। हमारे साथी माननीय राधेश्याम जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और वह इसलिये कि प्रवर समिति से जिस संशोधित रूप में यह विधेयक आया है वह भी पूर्णतया अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये प्रसारित किया जाय ताकि इस प्रदेश के जो उत्पादन करने वाले हैं वे इस पर विचार कर सकें और अपनी सही राय दे सकें। मुझे अफसोस है कि जो ढांचा इस विधेयक के द्वारा मंडी समिति का बनाया गया है उस से मुझे भय है कि जो मुनाफाखोरी कृषकों की होती रही है वह भविष्य में भी होती रहेगी। इस विधेयक में कहा गया है कि वे १० प्रतिशत गांव सभा के प्रधानों द्वारा चुने जायंगे और ८ के करीब राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होंगे और बाकी अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे जिनका प्रत्यक्ष उत्पादन से कोई सरोकार न होगा। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रकार का जो गठन होगा उसमें कृषकों की या उत्पादन करने वालों की हकतलफी होगी। जो दूसरी एजेन्सियों से आयेंगे वे उस समिति के अन्य कार्यों की ओर ध्यान देंगे और उत्पादन के हित की रक्षा नहीं हो पायेगी। मैं कृषि मंत्री जी का ध्यान उद्देश्य और कारण के पैरा ४ की ओर दिलाना चाहता हूं।

एक सदस्य—

श्रीमन्, कोरम नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

कोरम है।

श्री मैनेजरसिंह—

मैं निवेदन कर रहा था कि चौथे में जो दिया गया है कि यह सुनिश्चित करना कि समस्त रूप से मंडी की उन्नति के लिये मंडी-निधियों का उचित उपयोग करने के सम्बन्ध में कृषि उत्पादक

[श्री मैनेजरसिंह]

की बात भी सुनी जाय। इस सम्बन्ध में मैं आदरणीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस में आपने शायद अपनी बात सुनने की व्यवस्था की है। आपको इस में कोई इस प्रकार की व्यवस्था या प्राविधान करना चाहिये कि जो उत्पादक हैं उन्हें निर्णय में उचित हिस्सा मिले। इस प्रकार का सुझाव होना चाहिये था न कि उनकी बात सुनने का। इसलिये मैं श्री राधेश्याम जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इसे जनमत संग्रह के लिये प्रसारित करें ताकि उसमें सही राय जो उत्पादकों की है, वह आपको मिल सके और उससे आपको प्रकाश भी प्राप्त हो।

*श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं इस विधेयक के समर्थन में आपके समक्ष खड़ा हुआ हूं। यद्यपि इस विधेयक को जल्दी आना चाहिये था, लेकिन देरी हुई और देरी के कुछ मुनासिब कारण भी थे। मुझे अपनी तरफ से माननीय कृषि मंत्री जी से कुछ और निवेदन करना है और वह यह है श्रीमन्, कि वर्तमान खाद्य समस्या की पृष्ठभूमि में यह विधेयक इनकम्पलीट है। इस पर माननीय कृषि मंत्री महोदय को विचार करना होगा। क्यों? सवाल सबसे बड़ा यह है कि देश और प्रदेश में यह बात मजबूती से साबित हो चुकी है कि अन्न के मामलात में जखीरेबाजी और मुनाफाखोरी बहुत आ गई है। यह मंडी विधेयक, काश्तकारों को सहूलियत देने के लिये, उत्तर प्रदेश सरकार, जहां तक मैं समझता हूं, लायी है और श्रीमन्, काश्तकार जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनकी हालत कृषि मंत्री महोदय, अच्छी तरह से जानते हैं कि उपज के एक महीने के अन्दर ही वे अपनी सारी उपज बेच लेते हैं। कुछ ऐसे जरूरी कारण हैं, उन कारणों की वजह से। तो अपनी उस उपज को बेचना काश्तकार के लिये लाजिमी हो जाता है और छोटा परसेंटेज काश्तकारों का अपने प्रदेश में है, जो अन्न को बचाकर रख छोड़ता है। श्रीमन्, इस मंडी विधेयक में आपकी कुछ नीतियां अभी इस खाद्य के सम्बन्ध में देश और प्रदेश से आने वाली हैं। देश में नेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना, माननीय खाद्य मंत्री, भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है और मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने और खाद्य मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने, स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की बात स्वीकार कर ली है।

दूसरी बात श्रीमन्, है प्राइसेस की नियंत्रण की। इसे भी भारत सरकार ने मान लिया है कि वर्तमान खाद्यों के मूल्य और आने वाली जो फसल है, उनके मूल्यों पर नियंत्रण हो जाय। तो श्रीमन्, मुझे अभी इतना समझना बाकी है कि क्या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन में, नेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन में, मंडी विधेयक में, मैं जहां तक समझ रहा हूं, कुछ नीतियों का परिवर्तन करना होगा। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की ब्रांचेज, अगर पूरे व्यापार के ऊपर स्टेट और केन्द्र का आधिपत्य हो उस परिस्थिति में मंडियों की क्या परिस्थिति होगी और पूरे व्यापार पर, खाद्यान्न के ऊपर सरकार का हाथ नहीं रहने वाला है या आंशिक तरीके से रहने वाला है तो मंडियों में इस खाद्यान्न के सम्बन्ध में क्या दृष्टिकोण होगा? केन्द्र ने साफ तरीके से यह कह दिया है कि भाव का नियंत्रण होगा, उस स्थिति में आप इन जखीरेबाजों के पास यह गल्ला जाने देंगे या स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और नेशनल ट्रेडिंग कारपोरेशन के पास वह खाद्यान्न जायगा, ऐसी कुछ जरूरी बातें तय होने को बाकी हैं। सवाल सबसे बड़ा यह है कि खाद्यान्न की समस्या आज देश में और प्रदेश में साफ तरीके से रोशन है, खाद्यान्न की काफी कमी है, उपज को बढ़ाना है वरना देश और प्रदेश का गुजारा कठिन है। इसी पृष्ठ भूमि में मंडी विधेयक में क्या करना है, खाद्यान्न की खरीद फरोख्त, कीमतों का फिक्स होना ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करना चाहिये। मुमकिन है आपको आगे स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन सम्बन्धी विधेयक भी शीघ्र लाना पड़े। तो जो आपका दृष्टिकोण भाव फिक्स करने इत्यादि के सम्बन्ध में हो उसका सम्मिश्रण अगर इस विधेयक में आ सके तो ज्यादा उचित होगा। क्योंकि आबादी प्रदेश और देश की बढ़ती जा रही है। सन् १९८० तक ऐसी संभावना है कि ८०० मिलियन तक पहुंच जायगी, ऐसा खतरा आ गया है। इसलिये

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खाद्यान्न की आमद और वितरण के ऊपर आपको पूरे तरीके से काबू पाना होगा। उत्पादन और वितरण एक बहुत बड़ी समस्या है। इसलिये अगर कृषि मंत्री जी इस पर विचार करें, अच्छी तरह से सोच समझ लें कि जनमत स्टेट ट्रेडिंग के बारे में बहुत मजबूती से बन चुका है, इसकी अवहेलना संभव नहीं है और स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन की स्थापना न करना देश और प्रदेश के लिये घातक सिद्ध हो सकता है तो अपने कनक्लूडिंग उत्तर में आप कृपया बतायें कि इन सब चीजों का सम्मिश्रण किस रूप में होगा या नहीं होगा।

इस विधेयक में या इसके बाद वाले में क्या आप ला रहे हैं कि किसानों को उचित मूल्य मिल सके, बिचौलिया, मुनाफाखोर खत्म हो जायं या वह कायम रहेंगे, यह साफ होना चाहिये। इन मंडियों में स्टेट कारपोरेशन की शाखायें होनी चाहियें ताकि स्टेट, अनाज को खरीद सके। मेरी यह भी राय है कि कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये ही यह काम होना चाहिये और यह जो मुनाफाखोर हैं, जखीरेबाज हैं, इनको खत्म करना चाहिये। स्टेट ट्रेडिंग कारपोरेशन और कोआपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटीज के जरिये ही सारी खरीद फरोख्त होना चाहिये। सरकार का वितरण और प्राप्ति के ऊपर एकाधिकार होना चाहिये, पूरा नियंत्रण होना चाहिये। जब यह होगा तभी इस समस्या का हल संभव है। यह बहुत अच्छा विधेयक है, इसे तुरन्त लागू किया जाना चाहिये। इसके अलावा मैंने जो बातें निवेदन की हैं उनके बारे में भी माननीय मंत्री जी कुछ निवेदन करने की कृपा करें।

दूसरी बात मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका जो यह विभाग है, इसको सहयोग की जरूरत है। अगर आपको और विभागों का सहयोग प्राप्त नहीं है तो यह मंडी विधेयक चल नहीं पायेगा। अगर सड़क की जरूरत है तो वह बननी चाहिये। बिना उसके गल्ला मंडियों तक आ नहीं पायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री रामचरण शाह (जिला खीरी)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, ३ मास के लिये जनमत संग्रह के लिये जो प्रस्ताव यहां प्रस्तुत किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। विधेयक जितने भी आते हैं, उनका उद्देश्य यही होता है कि जनता को अधिक से अधिक सुविधायें प्राप्त हों। परन्तु हमें देखना यह पड़ेगा कि उन उद्देश्यों के पीछे है क्या? अभी हमारे पूर्व वक्ता महोदय ने बताया कि स्टेट ट्रेडिंग के जरिये इस व्यापार को चलाने की योजना सरकार की है। हम इस एकाधिकार की बात का या पूर्ण नियंत्रण की योजना का विरोध करते हैं। अगर पूर्ण नियंत्रण सरकार का हो गया तो यह मंडी विधेयक फेल हो जायगा। हमने देखा कि सीमेंट का व्यापार सरकार ने अपने हाथों में लिया सीमेंट के व्यापार को किस प्रकार से चलाया जा रहा है, इस पर आप विचार करें। जब सरकार ने इस व्यापार को अपने हाथ में लिया था सीमेंट का दाम ३ रुपया ९० पैसा प्रति बोरी था, लेकिन धीरे-धीरे वह अब ८ रुपया प्रति बोरी हो गया है। वितरण की प्रणाली में आप पूरा नियंत्रण नहीं कर सके हैं। इससे सिद्ध है कि सरकार के पास ऐसी मशीनरी नहीं है जिससे सब को संतोष होकर ठीक प्रकार से काम चल सके। इसी प्रकार सरकार इस मंडी विधेयक के द्वारा मंडियों में घुसना चाहती है और व्यापारियों या दलालों और उपभोक्ताओं से कुछ छीन लेना चाहती है जो उनको दलाली आदि के रूप में मिलता है। यह हो सकता था कि जहां व्यापारी लोगों को अधिक सताते थे वहां सरकार किसी प्रकार का नियंत्रण कर देती। इसके अलावा सरकार के पास ऐसे इंस्पेक्टर भी मौजूद नहीं हैं जो निष्पक्ष भाव से इसको लागू करा सकें। नेगी जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा कि वास्तव में हमारे पास ऐसे आदमी नहीं हैं। अब हम इस बात को महसूस करते हैं कि सही आदमी हमारे पास नहीं हैं तो फिर इस काम के लिए सरकार कहां से लायेगी? जनता और किसानों को फिर इस विधेयक से क्या लाभ होगा? हो सकता है चौधरी साहब का विभाग इस बारे में कुछ चैतन्य हो लेकिन मुझे इसमें शंका है। इस मंडी विधेयक के द्वारा किसानों को चंगुल में फंसाने

[श्री रामचरण शाह]

का अधिकार लिया जा रहा है । कोआपरेटिव सोसाइटीज में सरकार का इतना नियंत्रण है कि पब्लिक के लोगों की आवाज दब जाती है और सब कार्यकलाप सरकारी माध्यम से ही होते हैं। इसमें है कि सहकारी समितियों और उपभोक्ताओं के प्रतिनिधि भी लिये जायेंगे तथा सरकार भी अपना प्रतिनिधि नामीनेट करेगी। मेरा तो विचार है कि सरकारी लोग व्यापारियों और बड़े-बड़े लोगों से मिल कर किसानों और उपभोक्ताओं के खिलाफ मंडियों को एक अड्डा बना लेंगे । इसलिये इसको जनमत जानने के लिये भेज दिया जाय।

एक बात यह भी है कि सरकार ने कृषि उत्पादन में शहद को भी शामिल कर लिया है । वह तो जंगल में पैदा होता है और जड़ी बूटियों की कोटि में आता है । समझ में नहीं आता कि किस प्रकार से उसको कृषि उपज में शामिल किया जा रहा है । वह एक फारेस्ट प्रोडक्ट है । फारेस्ट द्वारा उसके ठेके दिये जाते हैं । कुछ लोग वहां उसको इकट्ठा करते हैं और व्यापारी वहां आकर उसको ले जाता है । गणेशचन्द्र जी काछी का इसमें एक अमेंडमेंट भी है जिसमें लिखा है कि मधुमक्खी पालन से जो शहद उत्पन्न होता है उसको भी कृषि उत्पादन में शामिल कर दिया जाय। इस तरह से सब्जी को भी इसमें शामिल कर देना चाहिये था।

एक सदस्य--

सब्जी को उसमें लिखा गया है ।

श्री रामचरण शाह--

तो इस मधुमक्खी पालन योजना को कृषि के उत्पादन में लाकर माननीय मंत्री जी कहां-कहां मंडी कायम कर सकेंगे और किस प्रकार से उनको वे चलायेंगे इसके बारे में माननीय मंत्री जी हमें बतलावें। मेरी समझ में तो नहीं आता कि किस प्रकार से इस विभाग के अन्दर लाकर वे उस स्कीम को चलायेंगे।

श्री चरणसिंह--

इसमें मछली भी है ।

श्री रामचरण शाह--

मछली पालन, मुर्गी पालन को तो आप रखेंगे ही । शहद और कृषि में काफी अन्तर है इसलिये मैंने उसका जिक्र किया । इस संबंध में मुझे यह कहना है कि सरकारी मशीनरी द्वारा इस प्रकार के किये जाने वाले कार्यों में जनता का कोई विश्वास नहीं है और इस विश्वास की बात मैंने पहले भी कई बार कही थी कि जब तक जनता का विश्वास सरकार के प्रति न हो तब तक सरकार को स्टेट ट्रेडिंग जैसी कोई बात नहीं करनी चाहिये । अगर किसी काम के करने के पक्ष में जनमत आ जाय तब तो सरकार उसे अवश्य करे परन्तु जब तक सरकार जनमत नहीं लेती है तब तक उसे इस तरह का कोई कार्य नहीं करना चाहिये । इसलिये इस संबंध में मेरी राय यह है कि जनमत जानने के लिये इस विधेयक को घुमाया जाय ।

(इस समय २ बजकर २९ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल पीठासीन हुए ।)

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बिल पर मुझे बोलने का अवसर दिया । मैं अपने उन साथियों से यह दरख्वास्त करता हूं कि वे मेरी बातों को सुनने की कोशिश करें जिनकी निगाह में मैं सो रहा था। मैं सबसे पहले जो प्रस्तावित संशोधन है इस संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसकी शब्दावली पर आप जरा ध्यान दें और अभी जो भाषण माननीय सदस्य ने दिया है उस पर जरा आप ध्यान दें अगर दोनों को आप गौर से पढ़ें और देखें कि दोनों में कितनी एकरूपता है, तो बड़ी कृपा होगी। आप फरमाते हैं-- यह विधेयक तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि दाम नीति तय न हो जाय। यह एक संशोधन

है जो एक ही पार्टी के चार सदस्यों ने दिया है और उसी पार्टी के एक दूसरे सदस्य माननीय चन्द्रबलीसिंह जी हैं जो अपनी भिन्न राय रखते हैं। उन्होंने अपना एक संशोधन पेश किया है कि नहीं, हम इससे सहमत नहीं हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि इस विधेयक को पुनः एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय।

माननीय भीखालाल जी ने उस सेलेक्ट कमेटी के मेम्बर की हैसियत से अपनी एक विमति टिप्पणी दी है और इस संशोधन के मातहत उन्होंने इस हाउस के सामने अपने विचार रखने की कोशिश की है, लेकिन जो हमारे दूसरे दोस्त हैं जिन्होंने यह संशोधन पेश किया है उनके दल के माननीय सदस्यों ने इस प्रवर समिति में सहयोग दिया है और उनकी कोई विमति टिप्पणी इस सिलसिले में नहीं आयी। विमति टिप्पणी केवल श्री भीखालाल जी की आयी। हमारे माननीय सदस्य श्री रामचरण शाह जो अभी बोल रहे थे, मेरी समझ में नहीं आया कि वे इस बिल के समर्थन में बोल रहे थे या इसके विरोध में बोल रहे थे। एक बात जरूर उन्होंने कही कि हम व्यापार के एकाधिकार के विरुद्ध हैं। स्टेट ट्रेडिंग का हवाला देकर जब श्री जे० पी० मिश्र ने कहा तब उन्होंने यह बात कही। वह मुक्त व्यापार चाहते हैं, उनकी नीति में ऐसा है, वह विरोध कर सकते हैं। मैं उस पर नहीं जाता। उसकी बात बाद में करूंगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जो उनकी पार्टी के ही माननीय सदस्य थे और जो इसकी प्रवरसमिति में थे उनकी भी कोई विमति टिप्पणी नहीं आई। मैं जानना चाहता हूं कि आखिर किस आधार पर आज इसका विरोध किया जा रहा है? यह मान लिया जाय कि कृषि मंत्री जी इसको सन् ३८ में लाना चाहते थे और नहीं ला पाये, रही होगी कोई बात वह क्यों नहीं लाये; यह अलग सवाल है, लेकिन देखना यह है कि जो विधेयक आज हमारे सामने पेश है वह कैसा है और उसमें संशोधन की क्या कोई गुंजायश है? मुझे एक बात से बड़ी तसल्ली है कि यह बिल किसी तरह भी हो इस वक्त आया। इसके उद्देश्य और कारणों में कृषि मंत्री जी ने यह साफ कहा है कि उनका यह मकसद कतई नहीं है कहीं उसका जिक्र भी नहीं है, पता नहीं श्री चन्द्रबलीसिंह कैसे उसका अर्थ लगाने लगे कि इस का संबंध व्यापार से भी है। इस विधेयक की मंशा यदि माननीय सदस्य समझ लें तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा जिन्होंने प्रवर समिति में बड़ी मेहनत से काम किया है। उसमें डाक्टर रघुनाथ सिंह जी भी थे वहां पर एक एक शब्द पर विचार हुआ है और काफी अच्छा काम हुआ है, डाक्टर साहब ने बहुत उपयोगी सहयोग दिया। ऐसे लोगों का भी मैं शुक्रगुजार हूं। कृषि मंत्री जी ने आज इस विधेयक को पेश किया। इसका अर्थ यह है कि जब किसान मंडी में गल्ला लेकर आता है, तो वहां उसके गल्ले का कोई खरीदार नहीं रहता, उसे भाव का पता नहीं रहता, न कहीं बैल या गाड़ी खड़ी करने की जगह होती है। आढ़तें अनाज से भरी रहती हैं कहीं जगह नहीं रहती। तो मंडी से किसान गल्ला वापस न ले जाय, उसको भाव मालूम हो, बैल और गाड़ी खड़ी करने की जगह हो, नाजायज कटौतियां न की जायं, यह सब एक तरफ हो और दूसरी तरफ धर्मादा और रामलीला फन्ड काटे जाते हैं उससे किसान को छुटकारा मिले, उसका शोषण न हो, यही उद्देश्य कृषि मंत्री जी का इस विधेयक को लाने का है। आज जो यह विधेयक सदन में पेश है और अगर माननीय सदस्य चाहते हैं कि नहीं यह बिल न आये तो मुझे कोई एतराज नहीं। आप जो चाहें कह सकते हैं। दूसरे लोग जो यह कहते हैं कि नहीं यह तो व्यापार पर और किसान पर कंट्रोल है, तो है कंट्रोल मैं इसको तस्लीम करता हूं और आवश्यकता इसलिये हुई कि जब उन व्यापारियों की लूट की वकालत इस हाउस में होगी तो ऐसे कंट्रोल लगेंगे। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगर इस सदन में किसान के हित की रक्षा की बात करनी है तो इस बिल का समर्थन करना होगा। इस प्रसंग में जहां शाहद की बात कही गयी, मैं कहता हूं कि वह इसमें रहना चाहिये क्योंकि इसकी परिभाषा में लिखा हुआ है कि कृषि उत्पादन का क्या अर्थ होगा:

"कृषि उत्पादन का तात्पर्य कृषि, उद्यानकर्म, रेशम उत्पादन, मत्स्य संवर्द्धन पशुपालन तथा वन से होने वाले समस्त या किसी उत्पादन से है, चाहे वह कृत प्रक्रिया हो अथवा न हो।"

[श्री कल्पनाथसिंह]

इसमें मछली तक शामिल है क्योंकि किसान को अगर मछली उत्पादन का प्रश्रय मिला और उसकी मंडी बनाने की जरूरत पड़ी तो मछली को लोड करने के लिये माल बाबू यह नहीं कह सकेगा कि आज हमारे पास वैगन नहीं है और सारी मछली सड़ जाय। ऐसे सामानों की जो किसान पैदा करता है उसको रेगुलेट किया जायगा, मंडी बनायी जायगी उसके लिये कृषि मंत्री ने यह बिल रखा है। मैं मान सकता हूं कि इस बिल में कोई बात छूट गयी हो क्योंकि यह मनुष्य का ही बनाया हुआ है, उसको दूर करने के लिये अगर कोई उचित संशोधन आयेगा तो मंत्री जी अवश्य उसको स्वीकार करेंगे और शायद हम लोगों को भी पसन्द आ जाय। लेकिन उद्देश्य के विरुद्ध संशोधन दे कर मैं समझता हूं हल्ला किया जा सकता है लेकिन किसी आदमी को कनविन्स नहीं किया जा सकता। मुझको हल्ला करके बोलने से बैठाया जा सकता है लेकिन मेरे दिमाग को नहीं बदला जा सकता।

एक बात अर्ज करूं। माननीय भीखालाल जी ने कहा, वह यहां नहीं हैं अन्यथा मैं उनसे जानकारी कर लेता, उन्होंने विमति टिप्पणी दी और जो भाषण किया उसके अन्त में बहुत खूबसूरती से इस बात को कहा कि वह स्टेट ट्रेडिंग के हामी हैं। यह सही है और मैं भी कहता हूं कि सरकार को मजबूती से स्टेट ट्रेडिंग को कायम करना चाहिये। मैं माननीय जे० पी० मिश्र की राय से सहमत हूं कि स्टेट ट्रेडिंग होना चाहिये था पर स्टेट ट्रेडिंग का अर्थ अभी तक खुलकर किसी ने नहीं बताया कि क्या प्रोसेस होगा। होलसेल में होगा या गल्ला खरीदने से लेकर कन्ज्यूमर तक पहुंचाने के लिये स्टेट ट्रेडिंग होगी। कौन-सी मशिनरी होगी। कौन-सा तरीका अख्तियार किया जायगा। इन बातों पर जरा विधिवत् विचार करने की आवश्यकता है। मैं यह समझता हूं कि आज इसकी बहुत आवश्यकता है। मेरी राय में जो स्टेट ट्रेडिंग को मानने वाले हैं वे एक सेमीनार बुलायें उसमें अपने विचार सामने रखें। यह सरकार अगर आवश्यकता समझेगी तो उन्हें मान लेगी। जब तक स्टेट ट्रेडिंग का क्लियर कनसैप्शन नहीं होगा तब तक इस पर क्या विचार किया जाय। स्टेट ट्रेडिंग के संबंध में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की भी बात हो सकती है। क्या क्या उस प्रोसेस में करना पड़ेगा यह विचारणीय है। अगर यही मंशा है तो यह भी बात साफ होनी चाहिये। मैं यह जरूरी समझता हूं कि इस मुल्क में इस बात की आवश्यकता है स्टेट ट्रेडिंग से कन्ज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों को लूट से बचाना चाहिये। यह सोशलिस्ट है और यह सोशलिस्टिक आइडियोलोजी इस मुल्क में होनी चाहिये। मैं यह समझता हूं कि फूडग्रेन का मुल्क में नेशनलाइज करना चाहिये। जो हमारे जनतंत्री नेता व्यापार की बात करते हैं उसमें एकाधिकार की गंध जरूर आयी है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि आपके इस एकाधिकार का मैं विरोधी हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हमारी सरकार स्टेट ट्रेडिंग के मामले में अपना सुनियोजित कदम उठा सके उतना ही अच्छा है। विचार करके एक निश्चित तौर पर एक विचारधारा रखनी पड़ेगी और उन लोगों का भी विश्वास प्राप्त करना पड़ेगा। जो आज विरोधी हैं उनके स्टेट ट्रेडिंग का क्या प्रारूप होगा उसके सम्बन्ध में माननीय सदस्य मुख्य मंत्री या कृषि मंत्री जी के पास लिख कर भेज दें तो अच्छा है। जो बात आप से पूछी भी न जाये उसके बारे में भी आप बता दें। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो स्टेट ट्रेडिंग और दाम बांधो नीति के समर्थक लोग हैं वे नारे बाजी छोड़कर यह बात बतायेंगे कि ये दाम कैसे बांधे जायेंगे और राज्य व्यापार कैसे किया जायगा। मैं समझता था कि चन्द्रबलीसिंह अथवा भीखालाल जी इस बात का जिक्र अवश्य करेंगे कि किस प्रकार की योजना वह चाहते हैं उसका क्या प्रारूप होगा और उसका क्या प्रतिफल सामने आयेगा। वह बात फिर समझ में आ सकती है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग की बात छेड़ी लेकिन बात कुछ ऐसी होनी चाहिये जिससे आपकी बातों का प्रभाव सरकार पर पड़ सके और आज की समस्याओं का समाधान हो सके।

मैं माननीय कृषि मंत्री का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने इस बिल को इस सदन में पेश किया। एक मेरी बहुत मामूली सी प्रार्थना है कि पूर्वी जिले के रहने वाले जो आदमी हैं,

किसान हैं उनको भी इस विधेयक से राहत मिल सके। उधर गल्ले की हापुड़ जैसी बड़ी मंडियां तो नहीं होतीं। इतना सरप्लस स्टाक भी नहीं होता, छोटी छोटी मंडियां हैं उन पर भी मंत्री जी को विशेष निगाह रखना चाहिये ताकि वहां के किसान बिचौलियों की लूट से बच सकें। मेरे विचार में सभी मार्केट्स को एक साथ इस विधेयक के अन्तर्गत मंत्री जी रेगुलेट नहीं कर सकते। लिहाजा जो भी लिस्ट बने उसमें बनारस, गोरखपुर, बलिया और बहराइच की मंडियां भी शामिल कर ली जायं, जिनमें किसान चावल, गेहूं, चना, आदि लाता है और बिचौलियों द्वारा जो उसकी लूट होती है उससे उसको राहत मिल सके और जो नुकसान उसको इस तरह से होता है उससे वह बच सके। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

*श्री प्रेमसिंह—

मान्यवर, जो विधेयक सदन में प्रस्तुत है उसके लिये चौधरी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूं कि वह ऐसा विधेयक लाये हैं। लेकिन बहुत जल्दी ले आये हैं। सन् ६३ और ६४ के बजाय उनको ८३ में लाये होते तो अच्छा था। यह विधेयक हम लोगों को मिटा रहा है और गरीब किसानों को भी मिटायेगा। एक शेर है कि "हमने माना तुम तगाफुल न करोगे लेकिन, खाक हो जायंगे हम तुमको खबर होने तक"। लेकिन जनता मर रही है और चौधरी साहब यह विधेयक ला रहे हैं। अगर हम सुखी होते तो कोई मलाल न होता। १७ साल की आजादी के बाद भी हम दुखी हैं। अंग्रेजों को हम निकम्मा कहा करते थे लेकिन आज हमारी गवर्नमेन्ट कोशिश करके आटा भेजती है लेकिन गरीब जनता रुपया लेकर वापस चली जाती है और गल्ला नहीं मिलता है। हमें सब करना है क्योंकि हम आजाद हैं। यह हमारे लिये बड़े अभिमान की बात है। इस विधेयक से किसान को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी मनमानी करते हैं और करते रहेंगे और किसान लुटते रहेंगे, आप देखते रहेंगे और देखते आये हैं। किसान की लूटमार दिन दहाड़े होती है। गरीब किसान के पास थोड़ा गल्ला होता है लिहाजा वह बेचकर अपनी गुजर करता है। मैं जब अपने क्षेत्र में गया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उनकी हालत बड़ी दर्दनाक है वे लोग पैसा लेकर घूमते हैं अनाज नहीं मिलता है। वे बहराइच में आते हैं और किसी न किसी का कार्ड लेकर बिचारे किसी तरह से गल्ला पाते हैं। ऐसी हालत में अगर जनता को आराम न मिला तो ऐसी आजादी को छोड़कर अगर हम बेआजाद होते तो अच्छा था।

एक शेर अर्ज है कि "या इलाही मिट न जाये दर्दे दिल, मिटने वालों को मिटादे दर्दे दिल" अगर अंग्रेजों के कदम पर हम चलते तो ऐसी नौबत न आती। लेकिन इन्क्लाब आयेगा और बड़े-बड़े व्यापारियों से जो तलब होगा वह यह है कि ईश्वर के यहां नहीं बल्कि यहीं तलब होगा और उनके सिर जनता कुचल देगी। आप देखेंगे कि यह बहुत जल्दी होने वाला है। आखिर में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा पहला सुझाव यह है कि जो व्यापारी किसानों के साथ बेईमानी करे उनको मंडी के बीच में खड़ा करके कोड़े लगाने चाहिये। दूसरा यह कि उसका काला मुंह करके गधे पर सवार करके बाजार में घुमाया जाय। तीसरी बात यह है कि जो व्यापारी किसानों को माल ज्यादा तौल कर खरीदता है उनको मंडियों में मुर्गा बनवाया जाना चाहिये। एक आखिरी शेर अर्ज करता हूं—

"खबर ले खबर जिम्मेदार सफीना, तलातुम का बदला हुआ है करीना।

इन चन्द अल्फाज के साथ मैं अब अपना भाषण खत्म करता हूं।

*श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं राधेश्याम जी के संशोधन का समर्थन करता हूं। मंडियों में जो खुराफात किसानों के साथ होती है वह मंत्री जी भलीभांति जानते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखीसिंह]

मैंने विधेयक की कुछ बातें अपनी बुद्धि के अनुसार पढ़ी हैं । मैं मंत्री जी की हर वक्त बहुत कद्र करता हूं लेकिन सभी माननीय सदस्य मानेंगे कि यह किसान ऐसा अनाथ है इस देश में जिसके माल का कोई भाव नहीं है । एक मालिन बेर बेचती है वह अपने बेर का भाव बताती है, दही बड़ा बेचने वाला अपने दही बड़े का भाव बताता है । बजाज एक कत्तल भी बिना भाव के नहीं बेच सकता । लेकिन किसान की हालत इससे भिन्न है । इसीलिये मैं इसको मंडी विधेयक का नाम देने के पक्ष में नहीं हूं । इसको अगर किसानों को लूटने वाले डकैतों का किला विधेयक कहा जाता तो अच्छा होता ।

इसमें यह भी है कि सभापति, उप सभापति और सदयों को हटाया जा सकता है तो अगर कोई कांग्रेसी सभापति, उप सभापति या सदस्य हुआ तो यह गवर्नमेंट उनको हटा नहीं पायेगी चाहे वह दिनदहाड़े कैरों की तरह मक्कारी करें । लेकिन अगर कोई जनसंघी हुआ या सोशलिस्ट हुआ बदकिस्मती से तो एक कलम ही उसको उड़ा दिया जायगा ।

यही नहीं, एक जगह मैंने और पढ़ा है मंडी में कार्य करने के लिये व्यापारियों, आढ़तियों दलालों, सर्वेयरों, गोदाम परिचालकों, तौलकों तथा पल्लेदारों को लाइसेंस जारी करना । अब लाइसेंस तो पल्लेदारों को भी जारी हो गया, तौलकों को भी जारी हो गया । वह तो मार दिया गया । लेकिन इस विधेयक में श्रीमन्, कहीं भी यह नहीं लिखा जो हम लोग अपनी साल भर की खून-पसीने की कमाई को गाड़ियों में भरकर के मंडियों में पहुंचाते हैं और पागलों की तरह वहां बैठे रहते हैं । हमारे माल के भाव का फैसला वह डकैत बैठकर करते हैं । इस विधेयक को तो मंत्री जी बिलकुल फाड़कर फेंक दो और फिर बनाओ, फिर हम आपका स्वागत करेंगे, हम आपको बधाई देंगे, और डरो मत , इस सरकार से डरने वाले तो आप हो नहीं, लेकिन कभी कभी दब जाते हो । डरो मत और डट के जो किसानों पर बीतती है उसको देखते हुए विधेयक बनाओ । श्रीमन्, और आगे मैंने पढ़ा, किसानों के दस प्रतिनिधि होंगे और व्यापारियों के शायद तीन और बाकी नामजद करेंगे (व्यवधान) तो नामजद तो वही महात्मा लोग कर देंगे, जैसे मेरे मुकाबिले में कोई हार गया है तो उसको वहां बैठा देंगे । मैं इस विधेयक की कदर करता हूं और मंत्री जी आपकी विचारधारा की सबसे ज्यादा कदर करता हूं कि आप ही एक मंत्री थे जिन्होंने कि प्रवर समिति में विचार के लिये इसको भेजा और मुझे पूरी-पूरी आशा है कि आप हमारे इस राधे-श्याम जी के संशोधन को भी मान लेंगे । राधेश्याम जी ने जो संशोधन रखा है दाम नीति का वह एक-एक शब्द उसका जायज है क्योंकि कोई दामनीति जब तक नहीं है तब तक मंडी में कोई किसान को धीरधरैया नहीं है। कोई उसके साथ न्याय करने वाला नहीं है । मंत्री जी मेरी मोटी बुद्धि की बात को इशारे में समझ गये होंगे । पंजाब के छोटूराम ने मंडी विधेयक बनाया था, अगर उसका एक हिस्सा भी आप इसमें रख देते.....

श्री चरणसिंह—

मैं आपकी इत्तिला के लिये बता दूं कि सन् ३८ में जो मैंने विधेयक पेश किया था तो वहां से पार्लियामेन्टरी सेक्रेटरी को उन्होंने मेरे पास भेजा था, और उसकी नकल चौधरी छोटूराम जी ने पेश की थी ।

श्री लखीसिंह—

श्रीमन्, मैं यही बताना चाहता था क्योंकि मैं वहां का पड़ोसी हूं और आज तक सर छोटूराम की जय वहां के किसान बोल रहे हैं । जब तक इस विधेयक में वह चीज नहीं आयेगी तब तक किसान का कभी कल्याण हो नहीं सकता है। वह लुटते रहेंगे और यह व्यापारियों और ब्लैक मार्केटियर्स की सरकार बड़ी बड़ी तोंद वालों की सरकार देखती रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय लखीसिंह, यह तो देखिये , इसमें है क्या ?

श्री लखीसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप छेड़िए मत। किसानों की छाती पर मेरे क्षेत्र में एक मंडी है कोसी कलां। उसकी खुराफातों का आपको पता है। कई पीढ़ियों से वह किसानों को लूट रहे हैं और किसान वहां का दर-दर का भिखारी बना हुआ है। रोज रामलीला करते हैं। उस रामलीला के लिये लाखों रुपया उस किसान के गल्ले को लेकर फण्ड इकट्ठा करते हैं और रामलीला नहीं वह व्यभिचार लीला है। रामलीला का मैं उपासक हूं और राम का मैं भक्त हूं और कृष्ण का मैं भक्त हूं। लेकिन वह रामलीला नहीं है, वहां पर किसानों के लाखों रुपये को मंडी में इकट्ठा करके शराब की बोतलें तोड़ी जाती हैं। रामलीला का खर्चा हमारी छाती पर चलता है। हमको भय है कि कहीं यह मंडी विधेयक भी गोलमाल करके उन्हीं लोगों के हाथ में न चली जाय। जहां तक मैंने इसको पढ़ा है उसमें यह है कि आपने ८-१० किसानों के प्रतिनिधि रखे हैं लेकिन उनका चुनाव करने की रूपरेखा और विधिवत करना स्पष्ट नहीं है कि कैसे वह प्रतिनिधि चुनकर आयेंगे। मैं कहूं कि वही चूसने वाले बड़े बड़े किसान खरीद लेंगे जो उनके ठेकेदार हैं और बड़ी बड़ी जमीन वाले हैं और सैकड़ों एकड़ जमीन रखते हैं, उनको ही मंडी की समिति में बैठा देंगे जिससे किसानों का शोषण होगा। इस वजह से हम इसको दोबारा प्रवर समिति में भेजना चाहते हैं। मैं पुराने कांग्रेसी की इज्जत करता हूं और मैं भी पुराना कांग्रेसी था। मैंने भी आजादी की जंग लड़ी थी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़के खून बहाया था लेकिन यह सब बेपेन्दी के लोटे हैं जो उधर चले गये और उन्होंने नकटापन चलाया। किसी की नाक कट गई और वह यह तो कहे नहीं कि मेरी नाक कट गई वह कहने लगा कि नाक कटाये बगैर ईश्वर के दर्शन नहीं हो सकते। तब और लोगों ने भी नाक कटवाई। गेंदासिंह जी ने पहले नाक कटवाई और दूसरे लोगों ने बाद को।

श्री उपाध्यक्ष—

आप मंडी विधेयक के सम्बन्ध में बोलिये।

श्री लखीसिंह—

एक साहब ने जो नाक कटाई वह नकटे के रूप में भागकर उधर चले गये। अब लोहिया जी का नाम लेते हैं। बोला नहीं जाता है। जीभ चिपक गई है। सच बात कहते नहीं हैं और हम सच्ची बात कहते हैं। हम मंडी के दूकानदारों के समर्थक नहीं हैं। हम कोई डकैतों के समर्थक नहीं हैं। हम इस तरह का व्यापार नहीं चाहते हैं। डटकर कसो। अगर सरकार में जरा भी दम है, जरा भी दम सरकार में शेष रहा है तो वह अपनी पालिसी पर चलकर जरूर उनको कसे जो किसानों की खून और पसीने की कमाई को लूटते हैं। इसके लिये खुला कानून बनाकर उनको कसो तो मैं आपको बधाई दूंगा।

श्री मूलचन्द शास्त्री (जिला मेरठ)—

उपाध्यक्ष महोदय, जिस विधेयक की प्रतीक्षा यह सदन और इस प्रदेश के रहने वाले किसान बहुत दिनों से कर रहे थे बड़ी प्रसन्नता की बात है कि मंत्री महोदय ने वह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया और इसलिये मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसमें संदेह नहीं कि अगर इस विधेयक को अच्छी तरह से पढ़ा जाता तो हर सदस्य अनुभव करता कि यह विधेयक किसानों की भलाई के लिये बनाया गया है। इसके प्रारम्भ के शब्द हैं "उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३ का उद्देश्य राज्य के कृषि उत्पादकों को, जिनकी आर्थिक क्षमता निस्संदेह क्षीण होती रही है, बिचौलियों और मुनाफाखोरों के शोषण से बचाना तथा उन्हें उनकी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त करने के योग्य बनाना है। इस प्रकार के क्रय-विक्रय सम्बन्धी सुधारों को अब लगभग सभी देशों में व्यवस्थित रूप दे दिया गया है और हमारे देश के अधिकतर प्रदेशों ने भी इस बारे में पहले से विधान बना लिए हैं।" यह सदन सदा किसानों की भलाई के लिए प्रयत्नशील रहा है, लेकिन उधर से विरोधी पक्ष से कुछ ऐसी बातें कही गयीं कि मंडियों में किसानों

[श्री मूलचन्द शास्त्री]

की लूट होती है, धर्मादा निकाला जाता है और निजी काम में आता है। मैं मानता हूं किन्तु उन बातों को रोकने के लिए ही यह विधेयक बनाया गया है। अभी तक मंडियों में किसान को बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस विधेयक से हम अब इस स्थिति में आ गए हैं कि हम यह कह सकते हैं कि किसानों के साथ जो अन्याय शहरों में होते हैं वे अब आगे नहीं होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, इस के अन्दर जो कमेटी बनायी गयी है उसमें सभापति, उप-सभापति आदि जो पदाधिकारी रखे गए हैं इसमें संदेह नहीं कि वे कुछ अंश तक सरकार के हाथों में रहेंगे, लेकिन जैसे-जैसे यह विधेयक सफल होता जायगा, किसान और दूसरे लोग इसकी अहमियत समझते जायंगे, इसमें भी प्रजातांत्रिक ढंग आयेगा और वह कमेटी और उनमें काम करने वाले आदमी वही होंगे जिनको छोटे से छोटा किसान अपना रक्षक समझेगा। मैं समझता था कि जब यह विधेयक प्रवर समिति में हो आया है तथा उस पर अच्छी प्रकार से विचार हो गया है और उसमें एक अन्तिम निर्णय हो गया तो उसके बाद विरोधी दल के सदस्यों के पास कहने को कुछ रह नहीं गया है। विरोधी दल की ओर से अभीतक हर बिल को प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव आ जाता था, लेकिन यह तो प्रवर समिति में हो आया है। अगर इसमें अब भी कोई त्रुटि नजर आती है तो फिर इसमें क्या संशोधन आ सकता है और फिर आज की मोहर अटल तो नहीं होगी। आगे जब यह कानून अमल में आयेगा और मंडियों में किसानों को दिक्कत होगी तो हर समय यह हाउस और हमारे हाथ खुले होंगे कि इसमें उचित परिवर्तन, परिवर्द्धन जो हम करना चाहें, कर सकेंगे।

यह बात सदन का हर माननीय सदस्य अनुभव करता होगा कि यह बिल बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और इसमें संदेह नहीं कि यह बिल काफी समय तक टलता रहा, अब जब हाउस के सामने आया है, तो अब इसे और दो, तीन महीने के लिए टालना उचित नहीं मालूम पड़ता। यह बुद्धिमत्ता की बात न होगी। हमारे जो माननीय सदस्य हैं विरोधी दल के, जिन्होंने कि इस बिल की मुखालफत में प्रस्ताव रखा है, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटे-छोटे किसान हैं, जिनकी मंडी में आने तक की गुंजायश नहीं है, उन लोगों को इससे क्या लाभ होगा इससे केवल बड़े किसानों को ही लाभ होगा जिनके पास कि काफी जमीन है। तो ऐसी बात नहीं है। मंडी में काफी छोटे किसान भी आते हैं। अपना गल्ला बेचने आते हैं, उसके साथ-साथ गल्ला खरीदने भी आते हैं, दूसरी तरह की और चीजें खरीदने आते हैं जो मंडी में मिलती हैं जब उनकी समिति वहां होगी तो उनका गल्ला अच्छे भाव पर खरीद लेगी। इसके अतिरिक्त जो अच्छी-अच्छी जरूरी चीजें किसानों के लिए होंगी, वे समितियां उन्हें भी मुहैय्या करेंगी। इस तरह से उसको डबल फायदा होगा। अपनी उपज का अच्छा दाम उसको मिलेगा, साथ ही साथ जो शहर की आवश्यक चीजें हैं जिनको कि वह खरीदना चाहता है, वे भी उचित दाम पर मिलेंगी। अगर उसकी उपज का कुछ पैसा कम भी मिला है, या किसी चीज को खरीदने में उसे कुछ ज्यादा भी पैसा देना पड़ा है, उसका भी उसको गम नहीं होगा। क्योंकि उसको विश्वास रहेगा कि उस पैसे से किसी न किसी रूप में उसका ही भला होगा। अब तक जो रुपया मंडी में चला जाता था, उसका फायदा किसी निजी व्यक्ति को होता था, किसी अन्य संस्था को नहीं होता था। लेकिन इस समिति के जरिए से अगर कभी किसान का माल सस्ता बिक जावे, या कोई चीज महंगी भी खरीदी जावे, तो उसको संतोष होगा कि मेरा पैसा मेरी ही समिति के पास जा रहा है। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से, हमारे जो विरोधी दल के माननीय सदस्य हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यह विधेयक बहुत देर बाद, किन्तु बड़ी समझदारी से और अच्छी तरह से प्रवर समिति के विचार-विनमय के पश्चात हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है, उसको उसी तरह से मंजूर कर लें। यह भी मुमकिन हो सकता है, कि कुछ माननीय सदस्यों ने जल्दी में इस विधेयक को न पढ़ा हो। तो मैं समझता हूं कि वे इसे फिर पढ़ें और पढ़ने के बाद उनको कोई खामी लगे, तो इस हाउस में जब चाहें रख सकते हैं, उसका निराकरण कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और माननीय विरोधी सदस्यों से आशा करता हूं कि वे अपने प्रस्ताव को वापस ले लेंगे।

श्री विश्वनाथप्रसाद (जिला वाराणसी)--

श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस बिल को पढ़ा। जो इस बिल का मनशा है, किसानों को लाभ पहुंचाने का, मैं समझता हूं कि शायद चौधरी साहब भी मेरी राय से सहमत होंगे कि किसानों को कोई लाभ इससे नहीं होगा। उन्हें भी मालूम है, पुराने कार्यकर्ता होने के नाते, जनसेवी होने के नाते और मालूम होना चाहिये कि छोटे किसान तो अपने गांव में ही माल बेच जाते हैं। मंडी में आने तक की उसको नौबत ही नहीं आती। मगर इस बिल के अन्दर कहीं भी नहीं है, जैसा राधेश्याम जी ने संशोधन में रखा है। मैं समर्थन इस वास्ते नहीं करता कि वह बिल से बिलकुल ही अलग हो जाता है। मगर बात उन्होंने जो कही है वह सही है कि छोटे किसानों को इस बिल से कोई फायदा नहीं पहुंचता। माननीय चरणसिंह जी ने अंडे, मुर्गी और मछलियों की बात भी कह डाली। अगर पुराने ख्यालात के मुताबिक वह चुप रहते तो बड़ा अच्छा होता, मगर मैंने उनके मुंह से यह बात सुनी मुझे जरा यह बतायें कि इस विधेयक से सिवाय ८ आने, ६ आने सैकड़ा बचत के जो आपने स्वयं बताया है और क्या किसानों को आपने राहत दिलाने की कोशिश की है? कोई कोशिश नहीं की। आपने कहा कि किसान लुट जाते हैं, पिट जाते हैं मंडियों में, लेकिन लूटता कौन है। अरे भाई, आप के ही कहने के मुताबिक देश के अन्दर ७५ फीसदी तो कांग्रेस के सदस्य हैं, २५ फीसदी इधर वाले हैं। तो क्या महाजन, राजा, बनिये कांग्रेसी नहीं हैं, क्या आप यह कह सकते हैं? आज किसान १० मन गल्ला ले कर आता है कि उस को बेच कर फलां-फलां चीज खरीदूंगा और भाव उसको नहीं मिलता तो क्या आप ने इस विधेयक में रखा है कि किसान को ७०-८० फीसदी रुपया उस माल का दे दिया जाय और वह गल्ला रख कर चला जाय? जिन बनियों के लूटने की बात आप करते हैं, उसके लिये आज भी सुविधा क्या उन्होंने दी है?

एक आवाज--आप मुआफिकत में बोल रहे हैं या विरोध में?

श्री विश्वनाथप्रसाद--

इस तरह रुकावट मत डालिये। जरा सुनिये। तो अध्यक्ष महोदय, बनियों ने तो इस कदर भी सुविधा दे रखी है मगर आप के यहां कौन सी सुविधा है इस बिल में? कोई सुविधा नहीं है। अगर दी होती तो वह गरीब किसान जो इसी दो-तीन महीने पहले ढाई सेर का अनाज बेच चुका है आज सेर भर का क्यों खरीदने के लिए तैयार है और नहीं मिलता? आप तो ऐसी दलदल में फंस चुके हैं कि जो भगवान ही छुड़ाये तो छुड़ाये वरना कांग्रेसी तो आप को लेकर डूबेंगे। कभी आप किसानों के मददगार बनते हैं, कभी कारीगरों के मददगार हो जाते हैं, लेकिन सिवाय गरीबों के परतंत्र करने और लूट-खसोट करने के और कुछ बात आप को नहीं आती। १५ बरस पहले जापान, चायना, और इटली से रेशम आता था बम्बई के बाजार में, वह लोग माल मंगाते थे और बनारस में...

श्री उपाध्यक्ष--

विधेयक के संबंध में बोलिये, इसमें रेशम कहीं नहीं है, यह मंडी विधेयक है।

श्री विश्वनाथप्रसाद--

इसमें रेशम का भी जिक्र है। मैं विधेयक पर ही बोल रहा हूं, केवल उदाहरण दे रहा हूं।

उस रेशम का क्या किया? आप तो खुद तमाम मुनाफा खाकर ब्लैक मार्केटियर्स के हाथ माल बेच रहे हैं। एक दो परसेंट पर जापान आदि से माल मंगा कर आप खुद उसमें खूब मुनाफा कमाते हैं।

हमारे लखीसिंह जी ने रामलीला के बारे में ही कुछ न कुछ कह डाला। चौधरी साहब होते तो मैं उनको बताता कि आर्य समाज ने भी कितनी कटौतियां कीं और क्या-क्या किया। मैं पूछता हूं कि क्या उस आर्य समाज में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। मैं कहना चाहता हूं कि उसी चन्दे के ऊपर वर्धा आश्रम खुला था। मैं तो कहता हूं कि बुरे काम की जितनी भी निन्दा की जाय

[श्री विश्वनाथप्रसाद]

उतनी कम है और उसकी निन्दा करनी चाहिये । आपने इस विधेयक में यह भी किया है कि इतनी इतनी दूर पर इमारतें होंगी जहां पर किसान अपना गल्ला रख सकेंगे अगर वह नहीं बिकता है तो जब उसके मन के माफिक दर होगी तो वह बेच सकेगा । इस तरह से अब तक इन मंडियों को भी जो परतन्त्रता से बाहर थीं, अब उसके अन्दर ला दिया गया है । आपको मालूम है कि आपके सप्लाई विभाग की क्या हालत है ? नेगी साहब ने बार-बार यह कहा है कि हमारा सारा विभाग करीब-करीब चोर है । जितने भी आपके इस विभाग में कर्मचारी हैं वे करीब करीब चोर हैं.....

कृषि उप मंत्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)---

माननीय सदस्य विधेयक की परिधि के बाहर बोल रहे हैं । माननीय सदस्य से प्रार्थना की जाय कि वे विधेयक पर ही बोलें तो अच्छा हो ।

एक सदस्य--

कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है कि क्या कह रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय सदस्य कृपया विधेयक पर ही अपने विचार सीमित रखें । आप परिधि के बाहर जा रहे हैं ।

श्री विश्वनाथप्रसाद--

यह जो विधेयक है उसी पर मैं बोल रहा हूं । आप चाहते हैं कि मैं अपनी सब बातों को भूल जाऊं ? आप मुझे अपनी बातें तो कहने दें । जिन लोगों को आप मंडी विधेयक के प्रबन्ध के लिये रखियेगा, कौन से आपने ईमानदार ढूंढ रखे हैं ? आप खुद रोते हैं कि आपके सब कर्मचारी भ्रष्ट हैं, अच्छे आदमी नहीं हैं ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)---

उपाध्यक्ष महोदय, कोरम नहीं है ।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री विश्वनाथप्रसाद--

उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार ने कानूनों की भरमार करदी है । घर से बाहर आदमी निकला कि कानून में फंसा, कोई नहीं बचेगा । इतनी कानून की पोथियां आपने बना डालीं लेकिन उन पर अमल कुछ नहीं कर रहे हैं । आप किसानों पर बहुत ही मेहरबान हैं, उनकी बड़ी दुहाई आप दे रहे हैं । अभी नैनीताल एक कमेटी में मैं गया था । मैंने यही सुना कि कितना ज्यादा से ज्यादा और जल्दी रुपया किसानों को देकर उन्हें कर्जदार बनाया जाय ताकि वह सरकार का गुलाम हो जाय । आप यह नहीं सोचते कि कोई कर्जदार न रहे । यह तरकीब आप नहीं लगाते हैं । एक सज्जन ने कहा कि गल्ले के दाम निर्धारित कर दें । अरे, क्या हिम्मत है आपकी ? आप भले ही कहें कि अभी करता हूं, अभी करता हूं, लेकिन मेरा ऐसा विश्वास है कि आप ६७ के बाद भी नहीं कर पायेंगे । अगर आप दाम निर्धारित कर देंगे, ये बड़े-बड़े लोग जो इधर भी बैठे हैं वे आपको रहने देना मुश्किल कर देंगे । जखीरेबाज बनियों के लिये बड़ी गालियां सुनीं, लेकिन आपके पास कोई उपाय है उनके लिये ? आज ही कानून आया है कि इतने क्विंटल तक किसान के पास रहने दिया जाय । उसमें भी गलती है कि बड़े परिवार के लोगों के लिये गल्ला कम है । अगर आप देखेंगे तो जखीरेबाज आज बड़ा किसान ही ज्यादा निकलेगा और बनिये के लिये आप कानून क्यों नहीं बनाते हैं कि उसके पास से माल निकले २, ४ एकड़ का किसान अपनी जरूरत के लिये २ सेर का गल्ला बेच गया लेकिन बड़े-बड़े किसानों

ने क्या भाव बेचा, इसका कोई हिसाब-किताब है ? ऐसी बात नहीं कि मंडीवाले २ सेर का पौने दो सेर देते हैं । होगा कोई एकाध ऐसा बेईमान । उसे आप सजा दीजिये । मैं समझता हूं कि मंडी विधेयक से आप लोगों को परतंत्र करना चाहते हैं । इस विधेयक के द्वारा घूसखोरों को आप जनता पर लादना चाहते हैं ताकि वह उनका खून चूसें ।

इस विधेयक को ३ महीने के लिये जनता में राय लेने के लिये भेजा जाय । देखिये कि जनता आपको क्या कहती है । इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

*श्री कृष्णचन्द्र (जिला झांसी)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । इस विधेयक की सीमा बहुत सीमित और स्पष्ट है । इसके ढांचे और कलेवर को जिन वस्त्रों से विरोध पक्ष के वक्ताओं ने सुसज्जित करने का प्रयास किया है, उन वस्त्रों के लिये यह शरीर और कलेवर नहीं बन पाया गया है । वे जानते थे कि यह विधेयक अपने विषय में स्वतंत्र है, पृथक है । जो विषय विरोध पक्ष के वक्ताओं ने उठाये वे किसी विधेयक के भाग बन सकते हैं, किन्तु इसके नहीं । इस छोटे से और स्पष्ट विधेयक के लिये, जो किसानों के हित का है, उसके लिये भी वह मंत्री जी को श्रेय नहीं देना चाहते हैं । विरोध पक्ष के नेताओं ने इस विधेयक की आलोचना करते हुये कहा कि इस विधेयक में अमुक अमुक बातें नहीं हैं, इसलिये यह विधेयक अपूर्ण है और इससे किसान का, गरीब आदमी का, उत्पादक का और जो दूसरे छोटे कर्मचारी अन्न के व्यापार में लगे हैं, उनका कोई कल्याण नहीं होगा, बल्कि अहित होगा ।

मूल्य के नियंत्रण के सम्बन्ध में जो भावनायें व्यक्त की गई हैं और इस सम्बन्ध में भी जो कुछ कहा गया है कि उत्पादक को उसके परिश्रम का, उसकी उपज का, उचित मूल्य मिलना चाहिये जिससे उसकी निर्धनता समाप्त हो जिससे बड़ा व्यापारी उसका शोषण न कर सके, जिससे वह अपना मस्तिष्क ऊंचा करके अपना जीवन निर्वाह कर सके, इन भावनाओं से किसी को विरोध नहीं है । यदि हमारी मंशा पर विश्वास हो तो हम यह कहना चाहते हैं कि जहां तक इस प्रश्न का सवाल है कि किसानों का शोषण रोका जाय, किसी को भी इसमें कोई ऐतराज न होगा, लेकिन सवाल यह है कि जिस प्रकार का व्यापार मंडियों में चल रहा है, जिस प्रकार से उत्पादक का शोषण हो रहा है, उसकी छीना झपटी हो रही है, तरह तरह की लेवियां उसके ऊपर लगायी जाती हैं, उसकी सुविधा का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता है, इन्हीं सारी व्यवस्थाओं को रखने के लिये इस विधेयक को लाया जा रहा है । इसमें भी किसी को विरोध न होगा कि जिस समय उत्पादक अपनी उपज को बेचने के लिये आये तो उससे वही लिया जाय जो वास्तव में उससे लिया जाना चाहिये तथा गैर कानूनी पैसा उनसे नहीं लिया जाना चाहिये । इससे भी विरोधी पक्ष के लोग इंकार नहीं कर सकते कि तौलते समय व्यापारी कभी कभी डंडी मार लेता है और कभी कभी बांटों में अन्तर होता है, कभी तराजू सही नहीं होती । इसलिये इस विधेयक का एक उद्देश्य यह रखा गया है कि किसान का माल जिस तराजू और बांटों से तौला जा रहा है वह ठीक होने चाहिये और उसको किसी प्रकार से नुकसान नहीं होना चाहिये । मेरा विचार है कि इससे भी विरोधी पक्ष वालों को एतराज न होगा कि जब उत्पादक मंडी में अपना माल बेचने के लिये आयें तो उसको सुविधायें प्रदान की जायं । अभी तो वह चिलचिलाती धूप में, कभी पानी में और कभी जाड़े में खड़ा रहता है, उसके सिर को छिपाने के लिये कोई स्थान नहीं होता । यही इस विधेयक का लक्ष्य है ।

यह विधेयक एक सीमित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये लाया गया है । जहां तक मूल्य नियंत्रण का सवाल है, हम भी चाहते हैं कि आज की विषम परिस्थिति में कुछ न कुछ अवश्य ही होना चाहिये । इस समय तो ऐसा लगता है कि अगर आने वाले २–३ माह में कुछ न किया गया, अन्न संकट की विभीषिका का कोई हल नहीं किया गया तो प्रदेश पर कोई भी बड़ा संकट आ सकता है । यह स्वाभाविक है कि जब हम समाज का नवनिर्माण करने जा रहे हैं तब अवश्य ही

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री कृष्णचन्द]

निहित स्वार्थ संगठित होकर समाजवाद की रूपरेखा को भ्रष्ट करने की साजिश करेंगे । तो, श्रीमन्, हमको लगता है कि अन्न की विभीषिका जो इस वर्ष आयी है और मनुष्य द्वारा आयी है सम्भवतः यह फिर भी हमारे सामने आ सकती है, अगले वर्ष आ सकती है । इसलिये हम चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी प्रबन्ध किया जाय और स्थायी प्रबन्ध जो हम करना चाहते हैं उसका मुख्य अंग होगा कि मूल्य नियंत्रण किया जाय । केन्द्रीय सरकार इस बात को जानती है और हम भी इस बात को जानते हैं क्योंकि इस तरफ के जो बैठने वाले हैं उन्होंने जनता की सेवा करने में ही अपनी जिन्दगी गुजार दी है । बाल्यकाल से आज जो वृद्धावस्था प्राप्त हुई है वह उनकी सेवा करने में ही प्राप्त हुई है । आपकी तरह उनके हृदयों में भी जनता की सेवा करने की उमंग है, जनता के कल्याण की भावना उनके हृदयों में भी है । वे भी कहते हैं कि मूल्य नियंत्रण हो लेकिन मूल्य नियंन्त्रण आज प्रादेशिक सरकार नहीं कर सकती । मूल्य नियन्त्रण दूसरे क्षेत्र की बात है, केन्द्रीय सरकार की बात है । केन्द्रीय सरकार से बहुत अनुरोध किया गया उस पर बहुत दबाव भी डाला जा रहा है, और डाला गया । यदि आपने यहां अविश्वास के प्रस्ताव पर हुये भाषण को सुना होगा तो आपको इसकी पूरी जानकारी हो गयी होगी । जिस तरह के अपशब्द यहां व्यवहृत किये गये, और जिस तरह की आलोचनायें की गयीं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि चाहे विरोधी पक्ष के हों, चाहे सरकारी पक्ष के हों, इस तरह की आलोचनायें यहां नहीं होनी चाहिये थीं । इसके अलावा जो भावनायें आपने व्यक्त की हैं मुनाफाखोरों के खिलाफ और मूल्य नियन्त्रण के पक्ष में व सरकारी आफिसरों के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में, उधर से जितने भाषण हुये हैं, उन भावनाओं को व्यक्त करने में उसमें हम आपसे पीछे नहीं रहे ।

इसलिये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जहां तक मूल्य नियंत्रण का प्रश्न है वह हमारे अधिकार क्षेत्र की सीमा के बाहर है । इधर के बैठने वाले मूल्य नियंत्रण चाहते हैं जिस तरह से कि आप चाहते हैं और यदि मैं गलत नहीं कहता तो मूल्य नियंत्रण आयेगा और सम्भव है कि वह ६ महीने के बाद आये । उसके लिये कमीशन बना है, वह कमीशन बैठेगा और उस पर विचार करेगा और सारे प्रदेश की स्थिति का ज्ञान करके वह अधिक से अधिक और कम से कम मूल्यों का निर्धारण करेगा । उसमें समय लग सकता है । उस समय तक इस विधेयक का भाग्य और भविष्य क्या हो, क्या यह कोई गुनाह है, अपराध है और पाप है कि जब तक मूल्य नियंत्रण न हो उस समय तक थोड़ी सी राहत हम उत्पादकों को, छोटे आदमियों को, पल्लेदारों को दे दें तो मैं समझता हूं कि माननीय चरणसिंह ने कोई अपराध नहीं किया है बल्कि उन्होंने उचित कार्य किया है, ठीक कार्य किया है ।

तो आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे सार्वजनिक जीवन में भी एक स्तर होना चाहिये कि यदि कोई अच्छी बात कहता है, यदि कोई स्वस्थ बात कहता है तो उसका श्रेय उनको मिलना चाहिये, उसकी प्रशंसा उनको मिलनी चाहिये, जो कि स्वस्थ बात कहते हैं, स्वस्थ विधेयक लाते हैं, स्वस्थ कानून लाते हैं । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य जो विरोधी दल के हैं वे अपने इस स्टैंड पर पुनः विचार करेंगे । जहां तक संशोधन देने की बात है और प्रवर समिति में भेजने की बात है, इसको तो विरोधी दल के लोग अपनी जिन्दगी के आखिरी दम तक कहते रहेंगे और उस वक्त तक कहते रहेंगे जब तक कि इस तरफ बैठने वाले प्रदेश का शासन करते रहेंगे । जब तक आप अपोजीशन में विरोधी दल की बेंचों पर हैं तब तक प्रवर समिति की बात चलेगी । यह केवल लक्ष्य से भ्रष्ट करने का प्रयास मात्र है । चूंकि इस विधेयक को लाने से इस कांग्रेस हुकूमत को सम्भवतः कुछ श्रेय प्राप्त होगा इसलिये उस को छीनने के लिये आप का यह प्रयास है । प्रवर समिति को भेजने की बात में कोई ठोस आधार नहीं है उस के पीछे कोई तत्व नहीं है । चौधरी साहब ने जिस समय प्रवर समिति की बात कही थी तो उन को यह विश्वास था कि अभी इस में कुछ चीजें अपूर्ण हैं और सदन के सदस्य वहां जाकर उसको पूर्णता प्रदान करेंगे। उस वक्त उन्होंने समझा था कि वहां से निकलकर यह करीब-करीब पूर्ण होकर यहां आ सकेगा । करीब-करीब इसलिये कि यहां इस वक्त भी इस में संशोधन लाये जा सकते हैं, सदन शक्तिवान है,

यहां के बुद्धिमान सदस्य हैं और यहां पर अगर कोई अपूर्णता होगी तो वह भी दूर हो जायगी संशोधनों के द्वारा। इसलिये अब फिर प्रवर समिति में इस के जाने की आवश्यकता नहीं है, जुम्मा-जुम्मा ८ दिन तो इसे अभी प्रवर समिति से आये हुये हैं और कितने ही बुद्धिमान माननीय सदस्यों और मंत्री जी ने इस को यह स्वरूप दिया है तो फिर अब क्यों यह प्रवर समिति में जाय। और यदि मैं उन की बात जरा देर को मान भी लूं तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि फिर भी जब यह प्रवर समिति से लौट कर आयेगा तब भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि विरोधी पक्ष के लोग मुझे क्षमा करें, ३ मास के बाद फिर उनकी तरफ से यही प्रस्ताव आयेगा कि फिर इस को उसी गुफा में ढकेल दिया जाय। और फिर जब लौट कर आयेगा तो उनका फिर यही प्रस्ताव होगा कि इसे प्रवर समिति और जनमत के लिये घुमाया जाय। उन की यह मांग कभी भी आखिर तक खत्म होने वाली नहीं है। अतः वह इस प्रवर समिति के प्रस्ताव को वापस करने की कृपा करें और यहीं पर जो संशोधन वह चाहें पेश करें और यदि वे विधेयक की भावना के प्रतिकूल न होंगे तो मंत्री जी खुले दिल व दिमाग से उन को स्वीकार करेंगे। यदि वह विधेयक से विपरीत दिशा में न जाते होंगे और बिल की अपूर्णता को पूर्णता प्रदान करेंगे तो अवश्य ही कृषि मंत्री जी उनको स्वीकार करेंगे, लेकिन यदि वे केवल विरोध के लिये ही लाये जायेंगे तो मजबूरी है।

जहां तक मूल्य नियंत्रण की बात है, अगर मंत्री जी भी उस को चाहते हों और उस के पक्ष में उनकी स्वेच्छा भी हो और उन के दिल, दिमाग और आत्मा भी इस के पक्ष में हो फिर भी वह इस विधेयक में इस मूल्य नियंत्रण को लाने के लिये समर्थ नहीं हैं, वह नहीं ला सकते, उन के लिये यह असम्भव बात है लेकिन जो अन्य चीजें मानने के काबिल होंगी उन को वह अवश्य स्वीकार करेंगे। इसलिये कृपा कर के उधर के लोग इन प्रवर समिति और जनमत संग्रह वाले संशोधनों को वापस ले लें।

इसके साथ ही साथ दो-एक बातें मैं मंत्री जी की सेवा में भी निवेदन करूंगा। इस में जहां पर कि समिति के निर्माण का प्रश्न आया है उसमें आपने कृपा कर के ८ प्रतिनिधियों के स्थान पर १० कर दिये हैं लेकिन मुझे डर है इस के बाद भी कि जिन लोगों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होगा व्यापारियों को, आढ़तियों को, स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों को, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि उत्पादकों के हितों की अरक्षा हो जाय और कहीं ऐसा न हो कि किसी मेनीपुलेशन और मेनोवरिंग से आढ़ती या व्यापारी इस समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बन जायं। हम एक डेमोक्रेटिक अर्थात् प्रजातंत्र के ढांचे में रह रहे हैं। हम यह समझते हैं कि हमारी सद्भावना और सद्-इच्छा के होते हुये भी गंदे एलीमेंट के हाथ में सत्ता न जाय लेकिन सारी सद्-इच्छा के बावजूद भी ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता चली जाती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि इसमें स्पष्ट यह घोषणा होनी चाहिये कि इस समिति का सभापति और उप-सभापति उत्पादक ही होगा। कितनी तादाद किसी की हो जाय लेकिन सबसे महत्व की बात जो है वह यह है कि उत्पादक ही इस समिति का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो।

श्रीमन्, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं सरकारी कर्मचारियों के हाथ में इसके संचालन का जो अधिकार दे दिया है उसके सम्बन्ध में। इस बात से जो कि विरोधी दलों की ओर से माननीय सदस्यों ने कही थी कि नौकरशाही बिलकुल भ्रष्ट हो गयी है, इसलिये अब हम कोई कदम नहीं उठा सकते अपने आगे के संचालन में, मैं उससे सहमत नहीं हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि नौकरशाही और कर्मचारीगण सचमुच उनका नैतिक स्तर जर-जर हो गया है। धीरे-धीरे ये सब ठीक हो जायेंगे लेकिन उस वक्त का भी इन्तजार नहीं कर सकते हैं और अगर निर्माण के कार्यों में हमारा यही दृष्टिकोण रहा तो मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद नहीं आ सकता है, इस देश में चाहे और कोई वाद आ जाय इसलिये यह नौकरशाही भी रहेगी, देश के निर्माण का कार्य भी चलेगा। हम उसको नियंत्रण में लायेंगे हम उसको शिक्षित बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

कृपया आप विधेयक के ही बारे में कहिये।

श्री कृष्णचन्द—

विधेयक के बारे में ही कह रहा हूं ।

एक सदस्य—

उधर तो गुप्त शाही ही है ।

श्री कृष्णचन्द—

मैं समझता हूं कि अगर कोई गुप्त शाही है तो वह उधर ही है । इधर तो स्पष्ट शाही ही है । मैं माननीय मंत्री जी से एक बात यह कहना चाहता हूं कि वे निहायत कंजूसी से, जैसा कि उनका स्वभाव है, कर्मचारियों को अधिकार दें बहुत उदारता न बरतें क्योंकि यह बात सही है कि बहुत शिकायतें हैं । हमारे भी दिल भर गये हैं उनके कन्डक्ट को देख कर और श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप जड़ से एक व्यवस्था को प्रारम्भ कर रहे हैं तो आप जनता के आदमियों पर ही विश्वास रखें बनिस्बत नौकरशाही के ।

जहां-जहां आपने निश्चित किया है कि सचिव अधिकारों को और जहां जहां यह निश्चित किया है कि प्रदेशीय सरकार या आपका निदेशक फायनल अथारिटी होगा निर्णय करने में तो मैं यह चाहता हूं कि वह निर्णय करेगा लेकिन समिति का निश्चय अथवा निर्णय भी सामने होगा । आप सम्पूर्ण अधिकारों से सुसज्जित उसे न करें और अधिक से अधिक विश्वास में लायें उस क्रियेशन को जो आपकी प्रेरणा और प्रयत्न के फलस्वरूप पैदा होगा ।

यह पल्लेदारों के लाइसेन्स का जो मामला है वह मेरी समझ में नहीं आया । पल्लेदार कोई आर्गनाइज्ड लेबर थोड़े ही हैं । जिसको कोई काम नहीं मिलता, जीविकोपार्जन का साधन जिसको नहीं मिलता है वह पल्लेदार बन जाता है । उसको साधन मिल जाता है तो वह छोड़ कर चला जाता है । लेकिन अगर सरकार उसे लाइसेन्स देना ही चाहती है तो फिर स्थायी प्रबन्ध होना चाहिये उसकी रोजी का, मजदूरी का । लेकिन स्थायी प्रबन्ध आप करें नहीं और केवल लाइसेन्स प्रदान कर दें तो उससे कोई समस्या हल होने वाली नहीं है । उस में उसको नुकसान भी हो सकेगा । जिसको खाने को नहीं मिल रहा है और वह मंडी में पल्लेदारी के लिये गया और आपके यहां से लाइसेन्स नहीं है तो वह पल्लेदारी नहीं कर सकता । इसको मंत्री जी स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ।

मंडियों में जो अराजकता है उसको खत्म करने के लिये मंत्री जी जो यह विधेयक लाये हैं और उनका जो यह प्रयत्न है उसके लिये वह धन्यवाद के पात्र हैं । मैं अपने मित्रों से अनुरोध करूंगा कि वे जितने संशोधन हैं उनको वापस ले लें और इसका समर्थन करें ।

श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन माननीय राधेश्याम जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं माननीय मंत्री जी ने कहा कि इस विधेयक को उन्होंने सन् ३८ में लाने का प्रयास किया था और उस समय मंत्रिमंडल के इस्तीफा देने के कारण नहीं ला सके थे ।

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि देश के आजाद होने के बाद से आज १७–१८ साल हो गये हैं तब से देश में और प्रदेश में कांग्रेस दल के मन्त्रिमण्डल काम कर रहे हैं ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक को लाने में इतनी देर की गयी इसका कारण साफ यह है कि कांग्रेस दल के ऊपर जिस पूंजीवादी वर्ग का प्रभाव है उस के प्रभाव के बल पर वह यह नहीं आ सका । अब ऐसे समय पर वह लाया गया है जब देश में अन्न के अभाव की भयानक समस्या खड़ी हुई है और जनता के ऊपर उसका यह प्रभाव पड़ चुका है कि खाद्यान्न के सिलसिले में ऐसी नीति निर्धारित होनी चाहिए जिस से उत्पादकों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और उन में उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्साह पैदा हो और उपभोक्ता को भी उचित मूल्य पर खाद्यान्न मिल सके ।

सरकारी सदस्य कहते हैं कि इधर के बैठने वाले लोगों के दिलों में किसानों के प्रति भलाई करने का पूर्ण उत्साह और लग्न है। मैं नहीं जानता कि ऐसी कौन सी बाधा है जो उन को ऐसा करने से रोक रही है। आज जनमत तैयार है कि किसान को उसकी पैदवार के उचित दाम मिलने चाहिए और उसकी प्रयोग में आने वाली वस्तुओं के दाम भी निर्धारित हों। दूसरे केन्द्र में और प्रदेश में इस दल का बहुमत है जिस से वह किसानों की भलाई कर सकता है। लेकिन फिर भी यह कहना कि हमारे दिल में किसानों के प्रति हमदर्दी है और करना कुछ नहीं। इसके मानी हैं कि खाली जमा खर्च के और कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। इस विधेयक का उद्देश्य है कि किसान अपनी पैदावार मन्डियों में ले जाता है तो वहां के बिचौलिये कटौती काट कर उस को लूटते हैं। मन्त्री जी इन कटौतियों से भली भांति परिचित हैं, लेकिन उन्होंने ऐसी किसी कटौती का जिक्र नहीं किया है। किसानों से रामलीला के नाम पर, गंगा जी के नाम पर, शिक्षा तथा गौशाला के नाम पर अनेक कटौतियां की जाती हैं। उनका जिक्र कर देना चाहिए था कि ये कटौतियां नहीं की जा सकेंगी।

मन्डी कमेटी बनेगी और उनसे किसान को लाभ होगा इस में मुझे बड़ा सन्देह है इसी तरह से गन्ने के क्षेत्रों में केन्द्र पर तुलाई वगैरह के लिए कमेटी होती है और वह देख-भाल भी करती है, लेकिन फिर भी किसानों को कोई फायदा नहीं हो रहा है। इससे भी किसानों को फायदा नहीं होगा। आज बहुत से ऐसे किसान हैं जो अपनी पैदावार को फसल पर मन्डी तक ले जाने में असमर्थ हैं। उनको अपने लगान, सिंचाई आदि सरकारी देयों के लिए विवश होकर माल को छोटे-छोटे व्यापारी के हाथ सस्ता बेचना पड़ता है। उनको उचित दाम मिलने चाहिए। पर मिल नहीं पाते। जब तक उनको उचित दाम नहीं मिलेंगे तब तक इससे किसानों को कोई फायदा नहीं हो सकता है और कुछ समय के बाद अपना सस्ता बेचा हुआ माल उसे महंगा खरीदना पड़ता है और इस तरह उस की दोहरी लूट होती है। जैसा कि माननीय राधेश्याम जी ने कहा था कि दोनों फसलों के बीच में एक आने का चढ़ाव उतार होना चाहिए। इसी लिए यह संशोधन पेश किया गया है जिससे इस कानून से पूरा-पूरा लाभ किसान को मिल सके। भावों को निश्चित करने के लिए कोई कमेटी बनायी जाय और राज्य निगम बनाया जाय जो खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले। जिसके लिए आज देश, प्रदेश में जनमत तैयार है और विरोधी दल भी तैयार है। मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस संशोधन को कबूल कर लें और उस धारा को भी जोड़ने का प्रयास करें जिस से किसानों का भला हो सके जो देहातों में रहते हैं और छोटी-छोटी मन्डियों तक अपना सामान नहीं भेज सकते और जिनके पास गल्ला बाद में नहीं रह पाता और बाद में महंगा गल्ला खरीदते हैं वे भी गल्ला उचित मूल्य पर पा सकें, अतएव सदन संशोधन को स्वीकार करे।

*श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)--

आज यह सौभाग्य का दिन है कि प्रदेश की जनता के लाभ के लिए और इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों की इच्छानुसार यह मन्डी उत्पादन विधेयक प्रस्तुत है। विरोधी दल और बहुमत दल सब इसका स्वागत करते हैं।

इसका उद्देश्य बहुत सीधा सादा है। जब मन्डियों में किसान अपना उत्पादन किया हुआ अन्न लाता है तो उस पर दलाली, गोशाला, प्याऊ, भिन्न-भिन्न प्रकार के हिस्से उस से निकाल लिये जाते हैं। यही नहीं तौलाई, ढुलाई, भराई यह सब किसान को देना पड़ता है। इससे किसान पर जो बेजा बोझ पड़ता है उस को दूर किया जाय यही इसका उद्देश्य है। अधिक बांट से अधिक माल जैसे पांच सेर का साढ़े ५ सेर या ८ के बजाय ९ धड़े का मन लगाकर उसके अनाज को तौल लेना और गोशाला के नाम पर पैसा कटे किसान का नाम आढ़तिये का, यह सब बातें खत्म होंगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरीसिंह]

एक बात माननीय सदस्यों ने अभी कही कि यह विधेयक तो सरकार ने बना दिया लेकिन जो कार्य महाजन करता था जो सुविधायें वह किसान को देता था वह सुविधायें सरकार नहीं देना चाहती है। वह महाजन पहले से किसानों को रुपया देता था आवश्यकतानुसार, श्रीमन्, मैं नहीं जानता दूसरे जिलों की और दूसरे प्रान्तों की, लेकिन अपने यहां के किसान को तो अन्न बेचने के १०-१० और १५-१५ दिन बाद आढ़तियों से पैसा मिलता था और वह भी जो रुपया देता था कर्ज के रूप में देता था और दुगुना, चौगुना वसूल करता था, अन्न पर नहीं देता था। वह भी उसे बिक्री के बाद देता है और तब उस पर सारे खर्च लग जाते हैं। तो इन सारी कुरीतियों को हटाने के लिए इस विधेयक की आवश्यकता है। मैं नहीं जानता कि यह विधेयक सरकार ने पहले से बना रखा था। क्यों नहीं लाया गया इसे तो सरकार जाने या मन्त्री जी जानें? लेकिन आज जो यह विधेयक प्रस्तुत है सभी आदरणीय सदस्य इसका समर्थन कर रहे हैं, शायद किसी को इसका विरोध नहीं है। अभी जैसा कि एक साहब ने बतलाया कि सभी स्कूल, कालेज और आर्य समाज मन्दिर वगैरह इन आढ़तियों के द्वारा बनवाये गये, मैं पूछता हूं कि गांवों में जो किसानों ने अपने परिश्रम से, अपने गाढ़े पसीने की कमाई से इतने कालेजेज और स्कूल खोले हैं वह भी क्या इन्हीं आढ़तियों ने बनवाये हैं? वह तो किसानों ने अपने पैसे से बनाये हैं। अपने परिश्रम से उन विद्यालयों का निर्माण किया है और उसके बाद सरकार बहुत थोड़ी मदद दे रही है जब कि उनका खर्चा बहुत है। क्या आढ़तियों का चन्दा जाता है उस में बल्कि होता क्या है कि उलटे इस चन्दे की बदौलत जो कि वह किसानों से वसूलते हैं उन्होंने अपनी बड़ी-बड़ी कम्पनियां खड़ी कर लीं। अपने बिजनेस में यह चन्दा वह लगाते हैं, दान में वह नहीं जाता है। कर्ज के रूप में दिया जाता है यह चन्दा जो किसानों से काटा जाता है और आप कहते हैं कि यह पैसा आढ़ती लोग लगाते हैं, गोशालाओं में देते हैं। आज भी गोशालायें चल रही हैं, लोग उसमें पैसा देते हैं, सरकार गोसदनों को चला रही है, उनको रुपया देती है। जनहित के जितने भी कार्य हैं उनमें सब लोग सहायता करते हैं। यह बहाना बनाना कि वह रुपया आढ़तिये देते हैं उससे यह सब काम वह करते हैं, यह ठीक नहीं है। हम जानते हैं बड़ी-बड़ी मिलें हैं उन में भी वह मजदूरों का पैसा काटते हैं और अपना भी देते हैं। लेकिन उससे नाम उनका ही होता है, जिन मजदूरों का पैसा कटता है उनका नाम नहीं होता।

जहां तक मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न है यह इस विधेयक का उद्देश्य नहीं है। इसका तो उद्देश्य एक ही है कि मन्डी में होने वाली ज्यादतियों और खराबियों को दूर करना। इसके लिए एक समिति की आवश्यकता हुई जिस में किसानों के नुमाइन्दे नियुक्त किये जायं। अब किसानों के नुमाइन्दों का कर्त्तव्य और फर्ज हो जाता है कि वह किसान के फायदे, उसके हित की बातों को सामने लायें जिससे कि किसान को कोई कठिनाई न हो, उसको उसके उत्पादन की सही कीमत मिले जो भी बाजार भाव हो उसके मुताबिक। यह इस बिल का उद्देश्य नहीं है कि यह कोई भाव निर्धारित करे।

हमारे आदरणीय सदस्य पल्लेदारों की बात कह रहे थे। श्रीमन्, जो पल्लेदार होते हैं वह मुस्तकिल होते हैं आढ़तियों के यहां क्योंकि वही तौलते हैं और उसमें जो बचता है धड़ी पांच सेर उसे अपनी तरफ कर लेते हैं। वही अपनी मेहनत का वह पाते हैं। उसे दूकान से कोई तौलने की कीमत नहीं मिलती। किसान से वह काट लिया जाता है और जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसी दूकान पर पड़ा रहता है। इस लिए यह चीज लाने की आवश्यकता पड़ी कि उसे लाइसेंस ले लेना चाहिए क्योंकि उसकी भी बड़ी जिम्मेदारी होती है जो कि माल तौलता है और बोरी कमर पर लादकर उसके स्टाक में रखता है। उसे लाइसेंस लेने की आवश्यकता है। इसमें ऐसा नहीं है कि टेम्पोरेरी रहेगा, आज है कल नहीं। चाहे उसकी दूकान पर काम हो या न हो, वह उसकी दूकान पर रहेगा और उन लोगों को उसको मजदूरी देनी होगी।

जैसा कि उधर से एक आदरणीय समाजवादी सदस्य मथुरा जिले के जो हैं, उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे किसानों को इससे लाभ नहीं है, मैं इससे सहमत हूं। मैं भी इस बात को मानने वाला हूं कि बड़ा किसान इसमें सदस्य नहीं होना चाहिए। ५०–६० बीघे तक के जो किसान हैं उनको ही रखा जाय। यदि आपने ४ सौ या ५ सौ बीघे के बड़े-बड़े किसानों को इस समिति में बना दिया तो वह आढ़तिये और ये बड़े-बड़े सरमायेदार किसान इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। कोई फायदा नहीं है। वही शोषण करेंगे। आज जिसके लिये बिल ला रहे हैं उससे उतना लाभ इस तरह से पहुंचने की सम्भावना नहीं है। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस विधेयक में अवश्य परिवर्तन करे। ६० बीघे से अधिक का काश्तकार इस समिति का सदस्य नहीं होना चाहिए ताकि वह उन छोटे किसानों का शोषण न कर सके। इसलिए मैं इस बात को मानता हूं कि जहां-जहां बड़े-बड़े काश्तकार हैं, चाहे वह कल-कारखानेदार हों या बड़े लोग हों, वहीं पर खराबी पैदा होती है।

जहां तक अधिकारियों का सम्बन्ध है मेरी भी यही राय है कि अधिकारी इस मामले में नहीं होने चाहिए। जब तक किसान अपना स्वयं प्रबन्ध नहीं करेगा तब तक उसकी उन्नति नहीं हो सकती है। किसानों को समय पर पानी नहीं मिलता है, क्योंकि वह अधिकारियों के हाथ में है। किसानों को अच्छा बीज नहीं मिलता है, क्योंकि वह भी अधिकारियों के हाथ में है। किसानों को अपनी उपज का दाम तभी मिल सकता है जब वह अपना स्वयं इन्तजाम करेंगे। इसलिए यह समिति किसानों की होनी चाहिए और दूसरे बड़े लोग कम होने चाहिए। एक सदस्य ने कहा कि सरकार को कीमत का निर्धारण करना चाहिए। इस बिल का यह उद्देश्य नहीं है कि कीमत इसके द्वारा निर्धारित हो। इसके लिए दूसरा विधेयक लाया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो किसानों की उपज के दाम निर्धारित किये जा सकते हैं। जैसे कि गन्ने के दाम निश्चित सरकार करती है। उसके लिए कोआपरेटिव सोसाइटी बनी हुई हैं। साल में उसकी मीटिंग होती है वह गन्ने के भाव तय करती है। दूसरा विधेयक आये जिसमें किसानों की हर चीज का पदावार का भाव निर्धारित हो। उस आढ़तिये को उसका भाव करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। जहां तक जनता का सवाल है वह भाव निर्धारित नहीं कर सकती है। आज कुछ भाव हैं लेकिन कल वे बढ़ सकते हैं और परसों घट सकते हैं। इसलिए इस बिल से उन भावों को फिक्स करने का कोई सवाल नहीं है। इससे हमारा इतना ही मतलब है कि जो किसानों की लूटमार मण्डी में होती है वह लूटमार रुक जाय और उनको सुविधा दी जाय। तभी वह किसानों की समिति होगी। किसानों का माल रखकर कुछ उनको दे और उनके माल का संग्रह करे तो तभी समिति किसानों को सुविधा दे सकती है। इस बिल के द्वारा किसानों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा दी जाय, यही इस बिल का उद्देश्य मालूम होता है।

श्री राधेश्याम शर्मा—

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इधर और उधर, दोनों तरफ के माननीय सदस्यों की बात सुनी। सरकारी पक्ष ने, यदि मैं समझ पाया हूं, अपनी बातों में इस बात को दोहराया है कि हमने बड़ी ग़ैर-जिम्मेदारी के साथ यह संशोधन रखा है। यह तो अपने-अपने दिमाग की समझ है और अपनी बात सभी लोग कहा करते हैं। मैं सरकारी पक्ष के सभी भाइयों की बातों का जवाब एक वाक्य में देना चाहता हूं। जो आपका मण्डी विधेयक है अगर उसका मतलब व्यापारियों की लूट को बन्द करना है, मण्डी का सुधार करना है, करदा काटना बन्द करना है और सही इन्तजाम करना है, पल्लेदारों का सही इन्तजाम करना है तो राधेश्याम को इससे क्या विरोध हो सकता है। सभी यह चाहते हैं कि यह होना चाहिए, तो फिर यह वकालत क्यों है? माननीय चरणसिंह जी ने कहा था कि सन् १९३८ में वह इस बिल को लाये थे, लेकिन सर छोटूराम यहां से इसकी नकल कर ले गये और पंजाब में इसको लागू कर दिया। वह यहां पर नया प्रबन्ध ला रहे थे। किसी प्यासे आदमी को दो चार ओस की बूंद

[श्री राधेश्याम शर्मा]

मिल जायं वही इसकी हालत है। आप कृषि के आंकड़े देखिये और अपने दिमाग को साफ करिये कि इससे कितने किसानों को फायदा होगा। आपके प्रदेश में ८७ प्रतिशत किसान हैं जिनमें कुल दो परसेंट बड़े किसान हैं। ८२ प्रतिशत अलाभकर जोत वाले किसान हैं और ३ प्रतिशत मध्यम वर्ग के किसान हैं। आपके मण्डी विधेयक की निरर्थकता इसी से सिद्ध हो जाती है कि इससे कुल ३ से ५ प्रतिशत बड़े किसान तथा अधिक से अधिक २५ परसेंट किसान मण्डियों में जाते हैं और ५२ परसेंट किसान इस से बिलकुल वंचित रह जायेंगे। अलाभकर जोत वाले किसान तो सरकार का टैक्स ही नहीं दे पाते जो ५१ प्रकार के हैं। तो उनको इससे लाभ नहीं होगा। उनकी पैदावार तो खलिहान में आते ही बिक जाती है। यह जो टीप टाप आप मन्डी विधेयक से कर रहे हैं इसमें मुझे कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा एक ठोस सुझाव सरकार को यह है कि किसानों के बिल रोज-रोज नहीं बनते। मन्डी विधेयक ही १९३८ के बाद आज आ पाया है, अगर दामों की नीति की बात इसमें न लायी जाय तो पता नहीं उसे शायद आप सौ सालों तक खींच ले जायेंगे। इसलिए हमने निश्चित कर लिया है कि दाम नीति की चर्चा अवसर पाते ही करेंगे। अगर आप दामों की दोहरी लूट को रोकना चाहते हैं, तो आप कोई निश्चित दामनीति क्यों नहीं बनाते। यह थोड़े सुधार करने से काम नहीं चलेगा।

अगर भुवनेश्वर में यह निश्चय हुआ है कि किसान की थोड़ी लूट रोकने से ही समाजवाद आ सकता है तो मेरी समझ में यह बात नहीं आती। जिससे किसान लूट रहा है उसे बन्द करने की आप बात करिये। अगर केन्द्रीय सरकार को कुछ मजबूरी है तो आप इस विधेयक को स्थगित कर दें और जब केन्द्रीय सरकार मूल्यों के नियंत्रण की बात सोच ले तब आप इस विधेयक को ले आना। तो जब तक उत्पादक को, जो उसकी लागत है उसके हिसाब से दाम न मिले तब तक यह लूट समाप्त नहीं होगी। अगर मैं कुछ ज्यादा वकालत करूंगा तो चौधरी चरणसिंह कहेंगे कि हम भी तो किसानों के प्रतिनिधि हैं। मैं मानता हूं कि आप बड़े प्रतिनिधि हैं, आपका हक ज्यादा है, आप मेरे बाप से भी ज्यादा बड़े हैं, आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भी बड़ा काम किया है, लेकिन जब कुदरत ने हमको बुद्धि दी है तो हम पकड़ करेंगे और वह यह कि एक निश्चित दामनीति आपको कभी न कभी बनानी पड़ेगी। इसके लिए कोई विकल्प नहीं है। काश्तकार की लागत पर एक आना सेर से ज्यादा का दाम नहीं होना चाहिए। और कल कारखाने की चीजों का दाम ड्योढ़े से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा, काश्तकार का भला नहीं हो सकता। माननीय सदस्यों ने कहा कि लोग राष्ट्रीय व्यापार की बात करते हैं। जो समाजवाद की बात करता है, वह क्या अलाभकर जोतों से लगान माफी का विरोध करेगा, वह कभी मण्डी विधेयक अगर ठीक से न बने तो उसका विरोध करेगा। यह समाजवाद के सिद्धान्त में एक के बाद एक इकाई में आता है। तो मेरा मत है कि सरकार पहले अपनी दामनीति पर आये, उसके बाद कहीं वह अन्य बातों पर बात कर सकती है। वरना मैं नहीं मानता कि आपकी समिति बनाने से कोई सुधार हो सकेगा और उत्तर प्रदेश के किसानों का कोई भला होगा। मेरा ऐसा विश्वास है कि ५२ प्रतिशत किसान इस लाभ से वंचित रह जायेंगे। रही समिति बनाने की बात, तो छोटा किसान कभी नहीं आयेगा। आपका जो तरीका है, वह भी साफ नहीं है, कौन उसको चुनेगा, यह भी ठीक से नहीं दिया है। उसमें आयेगा कौन? जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं, वही लोग इस मण्डी में समिति पर हावी हो जावेंगे। उन्हीं की मण्डी से साझेदारी रहेगी और उन्हीं को उससे फायदा होगा। अगर आप ने ऐसा किया तो आपने कोई बड़ा काम मण्डी विधेयक लाकर नहीं किया।

हर एक समाजवादी देश में एक निश्चित कार्यक्रम होता है और उसीके हिसाब से वहां की सरकारें चला करती हैं। हमारे देश में उसका कोई क्रम नहीं। भुवनेश्वर के बारे में, माननीय, मैं बताना चाहता हूं कि वहां पर वैजयन्तीमाला का नाच करवाया गया, लाखों रुपया खर्च हुआ।

क्या आपका यही समाजवादी पैटर्न है। समाजवादी पैटर्न में कांग्रेस सरकार के १६ वर्षों में अगर कोई प्रगति हुयी है, तो वह गड़े मुर्दों को उखाड़ने की हुई। बड़ी-बड़ी बातों को करती नहीं, छोटी-छोटी बातों को दिखाती रहती हैं। आज जो मण्डी विधेयक प्रदेश के सामने आया है, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि उससे कुछ नहीं फायदा होने वाला है काश्तकारों का, केवल टीप-टाप थोड़ी सी हो जावेगी। हो सकता है थोड़े से लोगों को फायदा हो जाय और इस से अधिक कुछ नहीं होगा। तो अगर आप क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो मण्डी विधेयक की बात न करें। मैं आपको कहना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि आप एक प्रगतिशील तरीके से कोई कार्यवाही लावें, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। किन्तु इस तरीके से हमारे काश्तकारों को धोखे में न रक्खें। काश्तकारों की बात का जहां तक सम्बन्ध है, मैं तो कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में और देश में बहुत कम ऐसे हैं जो काश्तकारों की बातें न करते हों। चाहे कोई प्रगतिशील पार्टी हो या कोई क्रान्तिकारी पार्टी हो, सभी काश्तकारों की बात करके जी रहे हैं। तो माननीय मन्त्री जी को इस बात को सोचना पड़ेगा कि काश्तकारों का विधेयक रोज-रोज नहीं बना करता है। उसको आप ऐसा बनावें जिससे उनकी दुहरी लूट बन्द हो सके और मण्डियों का सुधार हो सके। इसे बार-बार में क्या कहूं। अगर सरकार के दिमाग में यह बात आ जाय तो उसे इसको मान लेना चाहिए।

श्री भीखालाल—

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे संशोधन के विरोध में सरकारी पक्ष से जितने भाषण हुए, उनको मैंने बड़े गौर से सुना। सब भाषणों में करीब करीब एक ही बात कही गयी कि विधेयक एक सीमित लक्ष्य के लिए है और इसका दायरा बहुत ही सीमित है इसलिए मूल्यों आदि के सम्बन्ध में और राजकीय व्यापार के सम्बन्ध में जो बातें रखी गयी हैं वह इसकी परिधि में नहीं आती हैं, इस वजह से इसका विचार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, जब यह विधेयक एक मण्डी विधेयक है तो मण्डी से सम्बन्धित सभी प्रश्न इसमें निहित हो जाते हैं। माननीय चौधरी साहब सिर हिला रहे हैं, शायद मेरी बात उनको पसन्द नहीं आ रही है। मण्डी से संबन्धित क्रय और विक्रय और क्रेता, विक्रेता भी इसमें आ जाता है और उनके साथ-साथ मूल्य और विक्रय मूल्य भी मण्डी से परे नहीं है। तो क्यों वह कहते हैं कि वह मण्डी की परिधि के बाहर है? मैं जानता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जो ज्यादा दिनों तक टाला नहीं जा सकता और यह सरकार भी महसूस करती है कि इस तरफ कदम बढ़ाया जाय कि मूल्यों का निर्धारण हो और राष्ट्रीय व्यापार होना चाहिए और मैं यह उम्मीद करता हूं कि प्रदेश की आवश्यकताएं सरकार को विवश करेंगी कि निकट भविष्य में इसके लिए कानून लाया जाय। तब मेरा कहना है कि टुकड़ों में उसे क्यों लाया जाय। मन्त्री जी तो स्वयं अपनी विवशता महसूस करते हैं कि उनका विभाग टुकड़ों में बटा हुआ है और जो क्षेत्र उनके विभाग में नहीं है और जिसकी वह आवश्यकता महसूस करते होंगे उसका अभाव उन्हें खलता होगा। हमारे प्रदेश की जनता को चौधरी साहब के प्रति बड़ी श्रद्धा है। वह समझती है कि वह बहुत सोच-समझ कर कदम उठाते हैं और कानून लाते हैं और उससे आम जनता को लाभ होता है। हमारे प्रदेश की जनता की अभिलाषा है कि चौधरी साहब प्रदेश के मुख्य मन्त्री हो जायं और ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि सम्भव है कि उनका स्वप्न साकार हो जाय, तो उनको निराश न करें और इस अपार विश्वास को न खोयें और इस बिल को ऐसा बनावें जिससे जनता की सही मानों में सेवा हो सके और उसके हितों की रक्षा हो सके। इस समय ऐसी परिस्थिति है जब मूल्यों के निर्धारण और राजकीय व्यापार के प्रश्नों को टाला नहीं जा सकता। उनको इस बिल में समावेश न करके अगर बिल को अधूरा रखा जायगा तो उससे इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता और न प्रदेश की जनता को लाभ हो सकता है। इसलिए जो प्रस्ताव रखा गया है कि इसकी परिधि को बढ़ा करके पुनः संयुक्त प्रवर समिति को इसे निर्दिष्ट किया जाय, ताकि व्यापक विधेयक बन सके, उसको यह सदन मंजूर करने की कृपा करे।

*श्री चरणसिंह:—

अध्यक्ष महोदय, जिस ढंग से आज भाषण हुए हैं, उस पर मैं अपने सारे मित्रों को धन्यवाद देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने जिन भाषणों को सुना, माननीय राधेश्याम जी का सुना, माननीय भीखालाल जी का सुना, तथा और मित्रों के भाषणों को भी सुना, और सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुयी। यह बात मैं कोई शिष्टाचार के नाते नहीं कह रहा हूं, बल्कि यह तस्लीम करता हूं कि उनके भाषणों में जनता के प्रति सच्चे प्रेम की भावना थी और जो आज हमारे प्रदेश में या देश में एक प्रकार की खाद्य स्थिति है, उसकी पृष्ठभूमि में ही उनके भाषण हुए। मैं यह भी जानता हूं कि जिन माननीय मित्रों ने अपने संशोधन पेश किये हैं, अगर वे स्वयं ठण्डे दिल से विचार करेंगे तो वे इस नतीजे पर आयेंगे कि उनके संशोधन इस विधेयक की परिधि में नहीं आते।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यह कहूं कि वे इसको नहीं जानते थे, तो यह मेरी गलती होगी। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है, क्यों किया है इसको वे भी समझते हैं और मैं भी समझता हूं। पेश्तर इसके कि मैं कही गयी दलीलों के बारे में कुछ उत्तर दूं, मैं एक बात की सफाई देना चाहता हूं। माननीय राधेश्याम जी ने छोटूराम जी का दो-तीन बार जिक्र किया। माननीय लखीसिंह जी ने भी कहा कि उन्होंने ऐसा किया लिहाजा आपने क्यों नहीं किया। मैंने यहां बिल पेश किया था एक मेम्बर की हैसियत से। मैं उसके लिए कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। माननीय राधेश्याम जी ने दो बार उलाहना देकर उसका जिक्र किया.. (व्यवधान)।

मैंने कहा कि उनके पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी आये और उन्होंने मेरी नकल की। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक से किसानों की बड़ी भारी सेवा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, किसानों की समस्या बड़ी उग्र है, बहुत ज्यादा है, और वे गांव वालों की समस्यायें हैं और सारे प्रदेश की जनता की हैं। मुझे ऐसा मुगालता नहीं है कि वे सब समस्यायें इस छोटे से विधेयक से पूर्ण हो जायेंगी। यह कहा गया कि यह विधेयक अपूर्ण है। मैंने कब दावा किया कि यह पूर्ण है? किसानों की समस्यायें तो शायद हम कितने भी जन्म धरेंगे, तब भी हल नहीं होंगी।

स्टेट ट्रेडिंग की बात कही गयी कि पहले दामनीति तय कर ली जाय। यह एक ऐसा विषय है जिस पर मैंने कुछ थोड़ा सा विचार किया है और मेरा निश्चित मत हो चुका है। स्टेट ट्रेडिंग की बात केवल भुवनेश्वर में ही नहीं, नागपुर रिजोल्यूशन में भी कांग्रेस ने कही थी। गवर्नमेंट आफ इन्डिया उस पर विचार भी कर रही है और कदम भी धीरे-धीरे उठा रही है। वे धीमे रहेंगे। स्टेट ट्रेडिंग का मतलब है कि किसान का जितने प्रकार का भी उत्पादन होगा, उसके दाम मुकर्रर किये जावें और मुनाफा मुकर्रर किया जाय। किसान को फलां किस्म की जिन्स पैदा करने में क्या खर्च होता है, यह अलग-अलग तय करना होगा। मेरी राय में किसी हद तक स्टेट ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन उसका आंख मीच कर स्लोगन बनाने से काम नहीं चलेगा। हम लोग सब जिम्मेदार आदमी हैं। हमें उसके नतीजे सोंचने होंगे। स्टेट ट्रेडिंग केवल इसी प्रदेश में नहीं हो सकती, सारे देश में होनी चाहिए। देश भर में मुख्तलिफ किस्म के इलाके हैं, मुख्तलिफ आब हवा हैं, मुख्तलिफ किसान की ताकत और काबलियत है काम करने की, इन सब के हिसाब से कीमतें तय होंगी। अवेलेबिलिटी आफ फैसिलिटीज के हिसाब से होंगे। एक इलाके के किसान शायद ज्यादा मेहनत करते हैं और दूसरे इलाके के कम, तीसरे इलाके के उस से भी कम। हर जगह यह अन्तर पड़ेगा। फिर, एक ही जिन्स का सवाल नहीं है, बहुत सी हैं। सब की कीमत मुकर्रर होंगी। जो कीमत इस साल मुकर्रर होती है यह जरूरी नहीं है कि अगले साल भी वही मुकर्रर हो। आबहवा का फर्क होगा और कीमत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

घट-बढ़ जावेंगी । मान लीजिये कि कीमत हमने मुकर्रर कर दी और प्राफिट का मार्जिन भी तय कर दिया। अब उसे खरीदेगा कौन? हमारे राज्य कर्मचारी। वे किस हैसियत के लोग होंगे? हर जगह मन्डियों में हमको अपनी दुकानें खोलनी होंगी। उन पर राज्य कर्मचारी रखने होंगे। अगर हमें राजकर्मचारियों से सही काम कराना है तो उनका गजटेड स्टेटस रखना होगा। अगर गजटेड स्टेटस से कम के आदमी रखे गये तो माननीय राधेश्याम जी और लखीसिंहजी आज से भी ज्यादा शिकायत करेंगे। कहेंगे यह बेईमानी है, यह लापरवाही है, यह करप्शन है और फिर देखिए कि कितनी मंडियां हैं जहां हमें ऐसे आफिसर्स को रखना होगा।

अब हमें यह भी सोचना होगा कि गेहूं एक किस्म का तो होता नहीं है। ६ किस्म की वेराइटीज होंगी कोई सवा अठारह रुपए मन की तो कोई ६ आना कम, १८ की तो कोई १९ रुपया ३ आने की और वह वेराइटी को तय कौन करेगा? गवर्नमेंट आफ इंडिया का आर्गेनाइजेशन तो इसको वहां से तय करके भेज नहीं सकता। यह किसके डिस्क्रिशन पर होगा कि फलां गेहूं किस कैटेगरी में आता है। फिर इसके लिए हमें कितना ट्रान्सपोर्ट और कितने गोडाउन्स रखने होंगे? अगर दाम देकर गवर्नमेंट ने खरीदना शुरू कर दिया तो राज्य की यह जिम्मेदारी हो जायगी कि वह सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को खरीदे और वही उनको तकसीम भी करे। इसमें कितना वेस्टेज होगा, कितना करप्शन होगा, इसका अन्दाजा लगाना भी मुश्किल है। यही कारण है कि सन् ५९ से गवर्नमेंट आफ इंडिया इस पर विचार कर रही है और फाइलें इधर-उधर घूम रही हैं और तेजी से हम कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं।

जहां तक होर्डर्स का सवाल है उनके खिलाफ आप जो भी कुछ कहते हैं मैं उस सम्बन्ध में आपसे एक कदम आगे जाने को तैयार हूं, लेकिन उसका इलाज क्या है? लेकिन अगर गवर्नमेंट सारे फूड ग्रेन्स के ट्रेडिंग की जिम्मेदारी ले ले तो मैं समझता हूं कि उस वक्त आपको आज से भी ज्यादा शिकायतें होंगी। एक जमाना था जब मैं अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। जो अपनी जिम्मेदारी थी, उसको भी अंग्रेज की बता कर नारे लगाते थे, क्योंकि हमें उनके खिलाफ भावनाओं को उभाड़ना था, अंग्रेजों को भारत से निकालना था। लेकिन आज हम गैर जिम्मेदारी से बात नहीं कर सकते। क्योंकि आज हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी है। अगर यह मान भी लिया जाय कि कांग्रेस हार जाय और माननीय राधेश्यामजी, लखीसिंहजी और भीखालाल जी आ जायं तो ६ महीने के बाद ही जनता फिर हमें बुलायगी, यह निश्चित है। लेकिन कांग्रेस जो इतने दिनों से पावर में है उसके भी कारण हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि उसके कारण ही हम में से बहुत से आलसी हो गये हैं और हमारी जो यह आपस की लड़ाई है उसका भी एकमात्र कारण यही है कि बहुत दिनों से पावर हमारे ही हाथ में है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आपके जरिए मैं माननीय सदस्यों से पूछना चाहता हूं कि उनके यहां तो ६ पार्टीज बनी हुयी हैं। मैं इस बात को कांग्रेस के हित में और देश के हित में समझता हूं कि सरकार के मुकाबले में एक जबरदस्त अपोजीशन पार्टी बने। यह कांग्रेस वालों के हित में होगा, आपके हित में होगा और देश के भी हित में होगा। लेकिन यह नहीं हो सकता कि जानबूझकर हम पोलिंग के मैदान से हट जायं। हम चाहते हैं कि अपोजीशन पार्टी का सहयोग हमें मिले, लेकिन डेमोक्रेसी में जबरदस्त अपोजीशन पार्टी का होना बहुत आवश्यक है। हम भी नहीं चाहते कि कांग्रेस के हाथ में ही बराबर पावर रहे, लेकिन साथ ही आपमें यह क्षमता होनी चाहिए, यह काबलियत होनी चाहिये कि आप जनता को समझा सकें कि मेरी लीडरशिप अच्छी है बनिस्बत इन लोगों के। लेकिन यह नहीं हो सकता। यह मैं माननीय मैनेजरसिंह और दूसरे दोस्तों से कहना चाहता हूं कि हम पोलिंग का मैदान छोड़ कर हट जायं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे कहने का मतलब यह था कि स्टेट ट्रेडिंग हमको केवल सेलेक्टेड कमोडिटीज में करनी होगी। जिस तरह से कि गन्ना है, उसका दाम गवर्नमेंट मुकर्रर कर देती है क्योंकि गन्ने को खरीदने वाली हमारे यहां फैक्टरीज हैं। गन्ना किसान के यहां पैदा होता है, लेकिन जहां तक उसके डिस्ट्रिब्यूशन का प्रश्न है, वह हम अपने यहां की ६७ फैक्टरियों को देते

[श्री चरणसिंह]

हैं और इसलिए गन्ने की कीमत मुकर्रर करके उसकी मार्केटिंग कंट्रोल करते हैं। वह सहूलियत और चीजों में नहीं हो सकती। हां, मूंगफली की फैक्टरीज हों तो हम मूंगफली की कीमत मुकर्रर कर सकते हैं, टोबैको के यूटिलाइजेशन की कोई फैक्टरी हो तो हम तम्बाकू की कीमत मुकर्रर कर सकते हैं, लेकिन फूड ग्रेन्स के डिस्ट्रिब्यूशन का जहां तक सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश में ७ करोड़ ८० लाख लोग बसते हैं जिनको यह तकसीम होना है, इसलिए इसकी मिसाल गन्ने से नहीं दी जा सकती है। फिर भी मैं इस बात के हक में हूं कि जो अरबन पापुलेशन है, और गांवों में जो पूअरर सेक्शन है उनका हिसाब लगा कर गवर्नमेंट बाजार में उतरे, एक दो या तीन कमोडिटीज में। लेकिन यह नहीं हो सकता कि अन्न की १८ या २५ कमोडिटीज को, जो उत्तर प्रदेश में है उन सबको सरकार खरीद ले। यदि सरकार ने ऐसा किया और कहीं बाजार का भाव गिर गया तो करोड़ों रुपए का नुकसान हमारे प्रदेश का हो सकता है। लेकिन इसको बर्दाश्त करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि अगर चीजों का दाम बढ़ गया तो अरबन पापुलेशन ज्यादा दाम देने से बच जायगी क्योंकि हम फायदा तो उससे लेंगे नहीं। लेकिन जब नुकसान होगा तो हर सूबे में करोड़ों का नुकसान होगा। केवल स्टेट ट्रेडिंग सेलेक्टेड कमोडिटीज में एक लिमिट तक ही करनी है। वैसे स्टेट ट्रेडिंग का जो नक्शा आमतौर से हम लोगों को दिया जाता है, उससे बहुत नुकसान हो सकता है।....

श्री उपाध्यक्ष--

चौधरी साहब, एक बात मैं जानना चाहता हूं कि आप कितना समय और लेंगे ?

श्री चरणसिंह--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि १५ मिनट का समय और बढ़ा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

१५ मिनट तक समय बढ़ाने का मुझे अधिकार है। तो सदन का समय मैं १५ मिनट के लिए बढ़ाता हूं।

श्री चरणसिंह--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि इस पहलू पर भी विचार करना है कि गल्ला पैदा करने वाले कितने लोग हैं और गल्ला कंज्यूम करने वाले कितने लोग हैं। गल्ला पैदा करने वाले इस प्रदेश में ६६ प्रतिशत हैं और ७ प्रतिशत एग्रीकल्चरल लेबरर हैं जो किसानों को खेती करने में मदद करते हैं। इस तरह से ७३ प्रतिशत हुए और १४ प्रतिशत गांवों के अन्दर वे लोग रहते हैं जो किसान हैं और लेबरर हैं लेकिन जिनका स्टेटस बहुत कम है, इस तरह से ८७ प्रतिशत हुए और ३ प्रतिशत अरबन एरिया में ऐसे आर्टिजन व लेबरर हैं जो किसानों की सेवा करते हैं और उनकी मदद करते हैं, लेकिन उनका जीवन स्तर ऊंचा नहीं है, इस तरह से ९० प्रतिशत हुए। बाकी केवल १० फीसदी शहरी हल्के में किसानों से ऊंचे स्टैंडर्ड और आमदनी वाले लोग हैं। आप उन ९० प्रतिशत के लिए दाम मुकर्रर करना चाहते हैं तो वह दस प्रतिशत जो लोग रह गए, उन्हीं की जेब से आयेंगे। तो आप विचार करें कि वह एकनामी कैसे चलेगी जिस को ९० प्रतिशत के लिए किया जाय और सिर्फ दस फीसदी पर उस का बोझ पड़े, उस को कौन बर्दाश्त करेगा और कब तक करेगा ? मैंने पहले भी कहा है कि हमारे देश के प्लानर्स के सामने एक कठिन समस्या है कि वह कैसे यहां की प्लान्स को बनायें। हमारे पास तमाम दूसरे आधुनिक देशों के ब्लूप्रिन्ट्स हैं लेकिन हमारे देश की स्थिति उन देशों से भिन्न है। उन देशों में जैसे अमरीका है, इंग्लैंड है वहां पर ९२ और ९५ प्रतिशत नान-एग्रीकल्चरिस्ट्स हैं और वह सब्सिडाइज कर सकते हैं वहां के दस प्रतिशत किसानों को। ऐसा यहां कैसे हो, यहां तो उल्टी बात है। तो यह कठिनाई हमारी है। गवर्नमेंट आफ इंडिया नेकनियत है, उस के दिल में भी आग है किसानों को ऊपर उठाने की। जैसी आग माननीय राधेश्याम जी, लखीसिंह जी

और भीखालाल जी के दिल में है वह उन के दिलों में भी है। मुझे यहां शिकायत है और इस गवर्नमेंट को भी शिकायत है कि यहां नीयत पर हमला होता है, इससे हमें अफसोस होता है। एक साहब कह रहे थे कि आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं। अगर वह इतना ही कहते कि ऐसा करने से आंखोंमें धूल झुक जायगी तब बात दूसरी थी, लेकिन वह कहते हैं कि आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं तो इससे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि यह नीयत पर हमला है। इसी को लेकर यहां पर चकचक भी हो जाया करती है। इस बात को आप मान लीजिए कि जैसी आप की नीयत है वैसी ही इधर वालों की और इस सरकार की भी है। हम चाहते हैं कि आप की नीयत भी वैसी ही हो, तब बात आगे की ठीक से चल सकती है।

एक बात यह कही गयी कि सन् ३८ से यह विधेयक लाया जा रहा था और इतने दिन बाद इसको लाया गया है। वह चाहते थे कि सारे काम अभी इस बिल के द्वारा कर दिए जायं वर्ना फिर हम कब इसमें संशोधन लायें। क्या राधेश्याम जी कह सकते हैं कि इस कांग्रेस सरकार की जिन्दगी म अभी तक क्या किसानों की भलाई के लिए सन् ३८ से एक ही बिल यहां आया है? यहां ६-६ महीने में और तीन-तीन महीने में नए-नए बिल आये हैं और ५४-५५ में ही यह शिकायत उधर से होती थी कि रोज नए बिल लाए जा रहे हैं। यह बिल सन् ३८ के बाद आया है, इससे यह नतीजा नहीं निकाला जा सकता कि अगला बिल इस पर ५० साल तक नहीं आयेगा। अगर स्टेट ट्रेडिंग हुई तो वह केन्द्र में आयेंगे हमारा उससे वास्ता नहीं। मैं सन् ३८ में प्राइवेट मेम्बर की हैसियत से यह बिल जरूर लाया था। हम मान भी लें कि हमारी गफलत रही और इस सरकार की रही लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि माननीय राधेश्याम जी से, भीखालाल जी से, लखी सिंह जी से और ऊदल जी से, जो अभी बहुत चमक रहे थे, इत्तफाक से वह हैं नहीं कि हम तो जरूर गफलत में रहे और यह सरकार भी रही, लेकिन आप तो यहां सन् ५७ से हैं आपने इन ७ साल में कभी सरकार से आग्रह किया कि ऐसा बिल लाया जाय, कभी आपने ऐसे प्रश्न यहां किये, कोई चीज नहीं की, आप हमसे ज्यादा सजग साबित नहीं हुए, हम चाहे भले ही गफलत में रहे हों।

हमारे माननीय जे० पी० मिश्र ने कहा कि जब स्टेट ट्रेडिंग हो जायगी तो यह मंडी विधेयक बेकार हो जायगा और इस कानून की जरूरत ही न होगी। इसलिए जरूरत नहीं होगी कि उन्होंने स्टेट ट्रेडिंग को बड़ी सीधी सी बात समझ रखा है। अगर स्टेट ट्रेडिंग होगी और थोड़ी सी चीजों में होगी और यह मंडियां रहेगी और उनके कंट्रोल की फिर भी आवश्यकता रहेगी। सब चीजों की टोटल स्टेट ट्रेडिंग की सरकार की मनोपली हो जाय और टोटल प्रोक्योरमेंट हो जाय और फिर उसका डिस्ट्रिब्यूशन हो इसको मैं सम्भव नहीं समझता और न यहां की परिस्थिति में अच्छा समझता हूं और इस डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग आफ दि गवर्नमेंट में ही यह चीज ठीक हो सकती है। अगर वह दिन आ जाय तब भी बहुत दिन लगेंगे और अगर जनवरी, सन् ६५ में ही आ जाय तब भी ५ मास तो बच जायंगे और इस वास्ते अभी इसका पास करना जरूरी है।

दूसरे आफिशियल प्रेशर और ब्यूरोक्रेसी की बात कही गयी। इसमें आफिशियल मशीनरी कहां है? एक मित्र जनसंघ के लखीमपुर से आते हैं, मुन्ना लाल जी या क्या नाम है उन्होंने कहा कि आफिशियल मशीनरी है। मैं पूछना चाहता था कि कौन-सी दफा में आफिशियल मशीनरी है। १७ मेम्बर होंगे मार्केट कमेटी में, उसमें एक गवर्नमेंट का नामिनी होगा। अगर एक आफिशियल के होने से उसको आफिशियल मशीनरी कहा जाय तो गलत है या मानें न समझना है। माननीय कृष्णचन्द्र जी ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी हावी होती जा रही है, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि स्टेट ट्रेडिंग करो कम्प्लीट। दोनों ही बातें सेल्फ कंट्रेडिक्टरी हैं। जितना सरकार का इंटरफीयरेंस, और गलत मायने के सोशलिज्म का दावा करोगे उतनी ही ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी। अगर १७ आदमी में एक ऐग्रीकल्चरल इन्स्पेक्टर होगा जो कमेटी की मदद करेगा और वह भी अगर १६ आदमियों पर हावी हो जाय तो इसके माने यही हैं कि हमारे आदमी डेमोक्रेसी के लायक नहीं हैं, और हमारे आफिशियल ज्यादा काबिल हैं। आफिशियल तो रखने ही होंगे। हमें नान-

[श्री चरणसिंह]

आफिशियल्स की इंटेलीजेंस और अन्डरस्टैंडिंग को बढ़ाना है, लैंड मैनेजमेंट में भी सारे अधिकार उनको दे दिये, पटवारी को नहीं, क्योंकि पटवारी को अधिकार देने के माने होते जिलाधीश को अधिकार। जमींदारी को मिटाना था, ब्यूरोक्रेसी को रखना नहीं था तो गांव पंचायत को अधिकार दे दिये और लेखपाल को उसका सेक्रेटरी बना दिया। लेकिन अधिकतर सभापति वही काम करते हैं जो लेखपाल चाहता है। तो इसका इलाज यही है कि सभापति की इंटेलीजेंस और अन्डरस्टैंडिंग को और पब्लिक कांशेसनेस को बढ़ाया जाय। अगर कोई और बात गाली देने के लिए न पायी जाय तो बिना पढ़े बिल को ब्यूरोक्रेसी और करप्शन की बात कही जाती है।

कहा गया कि कुछ ही किसानों का फायदा होगा। मैं मानता हूं। मुश्किल से २५ फीसदी किसानों का लाभ होगा जो बाजार में सामान बेचते हैं। बाजार की मैल प्रेक्टिसेज पर ही कंट्रोल करने का हमारा इरादा है और कुछ नहीं। मैंने कब कहा कि इसकी परिधि ज्यादा है। छोटे किसान अधिकतर वहीं गांव में बेचते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं उस छोटे किसान को जो गांव में बेचता है उसको कैसे बचाया जाय? कौन-सा तरीका और कानून होगा? मैं वायदा करता हूं कि सदन में कि यह बिल तो पास हो जायगा लेकिन जितनी जल्दी राधेश्याम जी, लखीसिंह जी तरकीब बता देंगे जिससे ७५ फीसदी छोटे किसान की हिफाजत हो सकती है जो गांव में बेचता है तो मैं मन्त्रिमण्डल की इजाजत से अमेंडिंग बिल लाने में कोई हिचकिचाहट नहीं करूंगा। लेकिन आज कोई रास्ता नहीं दीखता। उसी के लिए मीरचन्दानी, जो ऐग्रीकल्चर ऐडवाइजर हैं, उनको बुलाया था लेकिन वह हमको कोई बात नहीं बतला सके। हम अपने गांव, आफिशियल्स, इकोनोमिक कंडीशन्स और कल्चरल लेविल को समझते हैं। लेकिन अगर हम निकम्मे हों तो मुझे खुशी होगी माननीय मैनेजरसिंह कोई रास्ता सुझाएं। लेकिन आज नहीं सूझता। उन्होंने भी कोई डेफिनिट स्कीम अपने भाषण में नहीं रखी। भीखालाल जी ने कहा कि फायदा बहुत कम होगा। यह भी मैं मानता हूं। हमारे पास उरई, लखनऊ और हरदोई की मंडियां हैं। किसान गेहूं या दूसरी जिन्स को कन्ज्यूमर्स को देता है पर उसका कितना हिस्सा रियल प्रोड्यूसर को पहुंचता है, उसके आंकड़े मेरे पास हैं मगर समयाभाव के कारण पेश नहीं करना चाहता हूं। ७० फीसदी के करीब कन्ज्यूमर को जो देते हैं कम व बेश वह गल्ले के प्रोड्यूसर के पास जाता है। ३० फीसदी बीच में ही चला जाता है जैसे ट्रांसपोर्ट, रेल आदि में और इसी प्रकार से बहुत सी एसेंशियल सर्विसेज हैं जो कि प्राइवेट ट्रेडर को रेन्डर करते हैं। इस मिडिलमैन के खिलाफ माननीय राधेश्याम जी ने कहा, लेकिन प्राइवेट ट्रेडर डज सम सर्विस। कुछ सेवा करता है। उसके लिए भी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं ताकि मिडिलमैन बीच में से हटे और प्रोड्यूसर और कन्ज्यूमर का सीधा रिश्ता जुड़ जाय लेकिन आज कितनी कोआपरेटिव सोसाइटीज हैं जो प्राइवेट ट्रेडर्स से कम्पीट कर सकती हैं। बहुत कम, लेकिन जब माननीय लखी सिंह साहब, या मैनेजरसिंह खड़े हो जायेंगे तो वही बात करेंगे। तो एक प्रैक्टिकल बात या प्रैगमैटिक एप्रोच करें। इस ३० फीसदी में से हम केवल ४–५ फीसदी ही बचा सकते हैं। इससे ज्यादा को बचा नहीं सकते हैं। अब हमारे यहां ९ अरब एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस है, जो कि यहां पैदा होता है। कभी कम और कभी ज्यादा भी। फिगर्स पूरे नहीं हैं। इसमें से १ १/२ अरब के करीब केवल बाजार में आता है। इस तरह से ६ करोड़ के करीब किसानों को फायदा होता है। अगर २५ फीसदी को ही हो तो २५ लाख परिवारों को ६ करोड़ का फायदा हो जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आपका समय समाप्त होने वाला है, जल्दी कीजिए। २–३ मिनट बाकी हैं और इस पर अभी वोट भी लेना है।

श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि ५ मिनट का समय और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि सदन का समय ५ मिनट और बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चरणसिंह—

मैं यह कह रहा था कि ६ करोड़ का कन्क्रीट टर्म्स में फाइनेन्शियल गेन होता है उसे किसान ले। इसके अलावा और सुविधाएं मिलती हैं। जैसे अगर वह गल्ला रोकना चाहता है, उसे प्राम्प्ट पेमेंट हो जाता है। पक्के आढ़तिए अपना हिसाब कर लेते हैं कितना बिका, कितना नहीं बिका यह उसे मालूम नहीं होता। ६ करोड़ रुपए का अगर उसको सालाना मुनाफा हो तो यह बिल वुड हैव सवड इट्स परपज एम्पली। इन शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय मैं फिर कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की तकरीरें सुनकर और जैसा मैंने कहा मैं उस पृष्ठभूमि को समझता हूं जिसमें तकरीरें की गयीं और वह तकरीरें करनी ही चाहिए थीं भीखालाल और राधेश्याम जी को। मुझे खुशी हुई उनकी स्पीचेज में कटुता, बिटरनेस नहीं थी। इन शब्दों के साथ मैं मजबूर हूं यह दरख्वास्त करने के लिए हाउस से कि जो संशोधन मेरे मित्रों ने पेश किए हैं, उनको रिजेक्ट कर दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरे सामने ३ संशोधन हैं और एक मूल प्रस्ताव है। मैं मूल प्रस्ताव पहले ले लेता हूं और अगर वह पास हो जाता है तो बाकी को रखने की जरूरत नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधेयक, १९६३, जैसा कि वह प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर १५ मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

रामप्रकाश,
सहायक सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
५ अगस्त, १९६४।

नत्थी 'क'

(देखिए तारांकित प्रश्न १४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ६२८ पर)

तालिका

मांगें--

१--९-६-६४ से की गयी तालाबन्दी समाप्त की जाय।

२--उक्त तालाबन्दी तथा उसके फलस्वरूप की गयी हड़ताल की अवधि का पूरा मुआवजा दिया जाय।

३--श्रमिकों की वेतन दरों में कम से कम ५० प्रतिशत वृद्धि की जाय।

४--श्रमिकों को उचित महंगाई भत्ता दिया जाय और वह कास्ट आफ लिविंग इंडेक्स से सम्बद्ध किया जाय।

५--श्रमिकों को उचित प्रोडक्शन बोनस दिया जाय और एलेक्ट्रिक विभाग के कर्मचारियों और मेट को मेकैनिकों के समान प्रोडक्शन बोनस दिया जाय।

६--रिंग फ्रेम विभाग के श्रमिकों के प्रोडक्शन बोनस की दरें उचित रूप से पुनर्निर्धारित की जायं।

७--श्रमिकों को वर्ष में १५ दिन की सवेतन बीमारी की छुट्टी दी जाय।

८--स्विमिंग विभाग के ८ श्रमिकों का अप्रैल, १९६४ से रोका गया प्रोडक्शन बोनस तत्काल भुगतान किया जाय।

९--स्विमिंग विभाग के १४ श्रमिकों को मई, १९६४ से पूरा प्रोडक्शन बोनस नहीं दिया जा रहा है उसका भुगतान किया जाय।

१०--सर्वश्री उमाशंकर, कन्हैयालाल, हजारीलाल को उनकी पुरानी जगहों पर काम दिया जाय।

११--२० अप्रैल, १९६३ के समझौते के अनुसार पैकिंग तथा बैग सिविंग विभाग के श्रमिकों को पूरा प्रोडक्शन बोनस, बकाया प्रोडक्शन बोनस व फूरी क्लीनर को प्रोडक्शन बोनस और मेघवीर दरबान को ५ रु० वेतन वृद्धि मय बकाया भुगतान किया जाये।

१२--बैठकी पर भेजे गए श्रमिकों को बैठकी की अवधि का पूरा मुआवजा दिया जाय।

१३--श्री छबिनाथ सिंह का इस्तीफा वापस किया जाय और पूरे मुआवजे के साथ १०-३-६४ से उन्हें काम पर बहाल किया जाय।

१४--श्री औरंगजेब को उनके कार्य पर पूर्व क्षतिपूर्ति के साथ बहाल किया जाय।

१५--१३ नवम्बर, १९६३ के अन्तरिम समझौते में संघ के १४-१२-६३ के आपत्ति-पत्र में बतलायी गयी त्रुटियां दूर की जायं और उस समय जो मांगें छोड़ दी गयी, थीं वे पूरी की जायं।

१६--मेक विभाग के सर्वश्री होरीलाल व भगवन्त और पैकिंग विभाग के महावीर को पूर्ण क्षतिपूर्ति के साथ काम पर बहाल किया जाय।

१७--सर्वश्री रामबालक शर्मा, अतिउल्लाह (पुत्र अब्दुल जब्बार), दीनानाथ, मुहम्मद फरीद, नाथूराम, अतिउल्लाह (पुत्र मुहम्मद जकीर) को ड्यूटी पर लगाया जाय व पूरे पैसे का भुगतान किया जाय।

१८--पीस रेट पर रखे गए श्रमिकों का न्यूनतम दैनिक वेतन निर्धारित किया जाय।

१९--समस्त कर्मचारियों की हाजिरी ठीक की जाय और उनकी हाजिरी तथा सवेतन छुट्टी का पूरा वेतन दिया जाय।

२०—प्यारेलाल मेकैनिक की ड्यूटी रेगुलर लिस्ट में लगायी जाय और उनके वेतन तथा सवेतन छुट्टी के पैसे का भुगतान किया जाय।

२१—चपरासियों, मोटर ड्राइवरों और क्लीनरों को ओवरटाइम का वेतन दिया जाय।

२२—प्राविडेंट फंड स्कीम अप्रैल के दूसरे पक्ष से लागू किया जाय और श्रमिकों तथा कम्पनी दोनों के हिस्सों का कम्पनी द्वारा भुगतान किया जाय।

२३—जिन श्रमिकों ने १-५-६४ को मई दिवस की छुट्टी मनाई थी उन्हें उस दिन का वेतन दिया जाय और छुट्टी मनाने के कारण जो श्रमिक काम से अलग कर दिए गए हैं, उन्ह बहाल किया जाय।

२४—श्री छेदीलाल को उनकी ड्यूटी पर पूर्ण क्षतिपूर्ति के साथ बहाल किया जाय।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ९९ एल० ए०—१९६४—८६०।

विधान सभा उत्तर प्रदेश